ध्येयIAS®

most trusted since 2003

PERFECT 7

साप्ताहिक समसामयिकी

मार्च 2019 / अंक 2

विषय सूची

मार्च 2019
अंक-2

सात महत्वपूर्ण मुद्दे 01-17

- कुम्भ मेला : दुनिया में लोगों का सबसे बड़ा जमावड़ा
- सुरक्षा बलों के मानवाधिकार
- जहरीली शराब का कहर
- वनवासी एवं उनके अधिकार
- भारत-सऊदी अरब-पाकिस्तान संबंध : एक विश्लेषण
- भारत में दूरसंचार क्षेत्र : एक अवलोकन
- अरावली श्रेणी : भारत में सबसे अधिक संकटग्रस्त

सात विषयनिष्ठ प्रश्न और उनके मॉडल उत्तर 18-22

सात महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें 23-28

सात ब्रेन बूस्टर्स तथा उन पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न 29-37

सात महत्वपूर्ण तथ्य 38

सात महत्वपूर्ण बिंदुः साभार पीआईबी 39-41

सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु) 42

सात महत्वपूर्ण मुद्दे

1. कुम्भ मेला : दुनिया में लोगों का सबसे बड़ा जमावड़ा

चर्चा का कारण

हाल ही में आस्था और विश्वास का सबसे बड़ा पर्व, कुम्भ इस बार 15 जनवरी यानि मकर संक्रान्ति से शुरू हुआ। यह धार्मिक और सांस्कृतिक महोत्सव 4 मार्च (महाशिवरात्रि) तक चला। लगभग 50 दिनों तक चलने वाला यह आयोजन प्रयागराज में संपन्न हुआ है। कुम्भ मेला अपनी व्यवस्था को लेकर न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। यहाँ लगभग 24 करोड़ श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाई। दुनिया के इस सबसे बड़े मेले का आयोजन व प्रबंधन इस समय अध्ययन का विषय बना हुआ है।

परिचय

कुम्भ का शाब्दिक अर्थ है कलश और यहाँ 'कलश' का संबंध अमृत कलश से है। आस्था, विश्वास, सौहार्द एवं संस्कृतियों के मिलन का पर्व है "कुम्भ"। ज्ञान, चेतना और उसका परस्पर मंथन कुम्भ मेले का वो आयाम है जो आदि काल से ही हिन्दू धर्मावलम्बियों की जागृत चेतना को बिना किसी आमन्त्रण के खींच कर ले आता है। कुम्भ पर्व किसी इतिहास निर्माण के दृष्टिकोण से नहीं शुरू हुआ था अपितु इसका इतिहास समय द्वारा स्वयं ही बना दिया गया। वैसे भी धार्मिक परम्पराएँ हमेशा आस्था एवं विश्वास के आधार पर टिकती हैं न कि इतिहास पर। यह कहा जा सकता है कि कुम्भ जैसा विशालतम मेला संस्कृतियों को एक सूत्र में बाँधे रखने के लिए ही आयोजित होता है।

पृष्ठभूमि

कुम्भ मेले का आविर्भाव कब हुआ, इसका कोई ठोस प्रमाण उपलब्ध नहीं है। परंतु यह एक सर्वमान्य सत्य है कि प्रयाग कुम्भ का केन्द्र बिन्दु रहा है। यह कोई एक कालखण्ड की परिघटना नहीं है वरन् समय के अंतराल में यह और विकसित होता चला गया। ऐसा माना जाता है कि कुम्भ मेले की सनातनी परंपरा का उद्‌भव सातवीं-आठवीं सदी के महान दार्शनिक शंकराचार्य के दर्शन से हुआ है। इसका तात्पर्य यह है कि इस मेले में देश-विदेश के महान संत, दार्शनिक, विचारक तथा आध्यात्मिक लोग आपस में विचार-विमर्श किया करते थे। ऐतिहासिक साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि हर्षवर्द्धन के शासनकाल (590-647 ई.) में यह मेला आयोजित किया जाता था और इसी समय ही इस आयोजन को व्यापक मान्यता मिल गयी थी।

प्रसिद्ध यात्री ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा-वृत्तांत में भी इस मेला का उल्लेख किया है। अपनी इस यात्रा-वृत्तांत में उन्होंने हर्षवर्द्धन की दानवीरता का भी वर्णन किया है, जिसमें राजा हर्ष रेत (Sand) पर एक पंचवर्षीय सम्मेलन आयोजित किया करते थे, जहाँ पवित्र नदियों का संगम होता है।

कुम्भ का आयोजन

- वृहस्पति के कुम्भ राशि में तथा सूर्य के मेष राशि में प्रवेश होने पर हरिद्वार में गंगा-तट पर कुम्भ पर्व का आयोजन होता है।
- वृहस्पति के मेष राशि चक्र में प्रविष्ट होने तथा सूर्य और चन्द्र के मकर राशि में आने पर अमावस्या के दिन प्रयागराज में त्रिवेणी संगम तट पर कुम्भ पर्व का आयोजन होता है।
- वृहस्पति एवं सूर्य के सिंह राशि में प्रविष्ट होने पर नासिक में गोदावरी तट पर कुम्भ पर्व का आयोजन होता है।
- वृहस्पति के सिंह राशि में तथा सूर्य के मेष राशि में प्रविष्ट होने पर उज्जैन में क्षिप्रा तट पर कुम्भ पर्व का आयोजन होता है।

कुम्भ का सामाजिक महत्त्व

कुम्भ विश्व में एक ऐसा पर्व है जहाँ कोई आमंत्रण अपेक्षित नहीं होता है तथापि करोड़ों तीर्थयात्री इस पवित्र पर्व को मनाने के लिये एकत्रित होते हैं।

प्राथमिक स्नान कर्म के अतिरिक्त इस पर्व का सामाजिक पक्ष विभिन्न यज्ञों, वेदमंत्रों का उच्चारण, प्रवचन, नृत्य, भक्ति भाव के गीतों, आध्यात्मिक कथानकों पर आधारित कार्यक्रमों, प्रार्थनाओं, धार्मिक सभाओं के चारों ओर घूमती हैं, जहाँ सिद्धांतों पर वाद-विवाद एवं विचार-विमर्श प्रसिद्ध संतों एवं साधुओं द्वारा किया जाता है। इस पर्व का एक महत्वपूर्ण भाग गरीबों एवं वंचितों को अन्न एवं वस्त्र का दान कर्म है और संतों को आध्यात्मिक भाव के साथ गाय एवं स्वर्ण दान किया जाता है।

मानव मात्र का कल्याण, सम्पूर्ण विश्व में सभी मानव प्रजाति के मध्य वसुधैव कुटुम्बकम् के रूप में प्रगाढ़ सम्बन्ध बनाये रखने के साथ आदर्श विचारों एवं गूढ़ ज्ञान का आदान-प्रदान कुम्भ का मूल तत्त्व और संदेश है।

कुम्भ का सांस्कृतिक महत्त्व

भारत के प्रसिद्ध धार्मिक उत्सवों में शामिल कुम्भ मेला भारत की प्राचीन संस्कृति का प्रतीक है, इसी महत्त्व को समझते हुए संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) ने 07 दिसंबर, 2017 को कुम्भ मेले को भारत के लिए 'मानवता की अमूर्त्त सांस्कृतिक धरोहर' के रूप में मान्यता प्रदान की है। यूनेस्को के अधीनस्थ संगठन इंटरगवर्नमेंटल कमेटी फॉर द सेफगार्डिंग ऑफ इन्टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ने दक्षिण कोरिया के जेजू में हुए अपने 12वें सत्र में कुम्भ मेले को 'मानवता के अमूर्त्त सांस्कृतिक धरोहर की प्रतिनिधि सूची' में शामिल किया। इस पर्व को बोत्सवाना, कोलंबिया, वेनेजुएला, मंगोलिया, मोरक्को, तुर्की और संयुक्त अरब अमीरात के विभिन्न सांस्कृतिक मान्यताओं के साथ सूची में शामिल किया गया है।

कुम्भ मेला प्रबंधन

कुम्भ मेले के दौरान वर्ष 2013 में प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ में सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी। इसी को ध्यान में रखते हुए इस बार कुम्भ मेले में प्रबंधन समिति ने निम्नलिखित योजनाएँ संचालित की थीं-

आर्टिफिशियल इंटेलीजेंसः कुम्भ मेला में भीड़ प्रबंधन और संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर रखने के लिये पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस का इस्तेमाल किया गया है। 3200 हेक्टेयर में फैले मेले में 1000 से अधिक सीसीटीवी कैमरों का इस्तेमाल किया गया था ताकि पूरे इलाके पर नजर रखी जा सके।

अग्निशमन सेवाः 40 अग्निशमन केन्द्र 15 अग्निशमन चौकियों के साथ स्थापित की गयी थीं।

पुलिस आकस्मिक सेवाः पुलिस एवं आकस्मिक सेवा, कुम्भ मेला 2019 के लिये नियोजित की गयी थी। सिविल पुलिस, यातायात पुलिस एवं सशस्त्र पुलिस, केन्द्रीय सशस्त्र बल, जल पुलिस, चौकीदार एवं होमगार्ड्स के पर्याप्त बलों को नियोजित किया गया था।

निगरानी टावरः परिसंकटमय आकस्मिक घटनाओं एवं भीड़ का निकट से निरीक्षण करने हेतु निगरानी टावर विभिन्न क्षेत्रों में लगाये गये थे।

सुरक्षा सेवाएँः कुम्भ मेले के भीतर सुरक्षा सुनिश्चित करने और व्यवस्था बनाये रखने के लिये पुलिस के द्वारा निम्नलिखित उपाय किये गये थे-

- 40 पुलिस थाने, 3 महिला पुलिस थाने और 60 पुलिस चौकियों के साथ 4 पुलिस लाइनें कुम्भ मेले में स्थापित किये गए थे।
- कुम्भ के नदी क्षेत्र के चारों ओर जल पुलिस की तीन इकाइयाँ स्थापित की गई थीं। साथ ही घुड़सवार पुलिस लाइन भी स्थापित किये गये थे।

खोया-पायाः प्रयागराज मेला प्राधिकरण पुलिस विभाग के साथ 12 उच्च तकनीक सम्पन्न खोया-पाया पंजीकरण केन्द्रों की स्थापना की गयी थी। ये केन्द्र खोये हुये तीर्थयात्रियों को उनके परिवारों और मित्रों से पुनर्मिलन हेतु सुविधाएँ प्रदान करते थे। ये सुविधाएँ सभी केन्द्रों पर खोये हुये तीर्थयात्रियों का डिजिटल पंजीकरण प्रदान करते थे।

आपदा प्रबंधन

आगः आग जैसी आपदा से निपटने के लिये प्राधिकरण के द्वारा उपचारात्मक उपाय किये गये थे जो आधुनिक एवं नव्य अग्निशमन उपकरणों से सुसज्जित थीं।

बाढ़ः कुम्भ मेला क्षेत्र में बाढ़ की स्थितियों से निपटने के लिये बाढ़ प्रतिक्रिया तंत्र लाइफ जैकेट्स, सोनार सिस्टम तथा नावेँ इत्यादि खतरा कम करने वाले उपकरणों के साथ तैयार किये गये थे।

भगदड़ः भगदड़ की दशा में समर्पित डॉक्टरों एवं पैरा मेडिकल स्टाफ को टीम के विशेष किटों के साथ आपदा प्रबंधन सुविधाओं से युक्त नियोजित किये गये थे।

स्वास्थ्य सेवाएँः 10 सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट्स न्यूरो सर्जरी, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी, प्लास्टिक सर्जरी एवं कार्डियोलॉजी के गंभीर रोगियों के लिये विशिष्ट उपचार प्रदान करना है। आपदा की स्थिति से निपटने के लिए 40 बिस्तरों का एक ट्रॉमा केयर सुविधा सम्पन्न ट्रॉमा सेन्टर बनाया गया था।

कुम्भ मेला वेदर सर्विसः सरकार ने कुम्भ मेले के दौरान आने वाले तीर्थयात्रियों को मौसम की जानकारी देने के लिए एक विशेष मौसम सेवा की शुरूआत की थी, जिसका नाम 'कुम्भ मेला वेदर सर्विस' था। इसके माध्यम से मौसम से जुड़ी तापमान, आर्द्रता, वर्षा एवं हवा की गति से जुड़ी जानकारी प्राप्त की जा सकती थी।

राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) के दिशा-निर्देश

एनजीटी ने उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रयागराज में कुम्भ मेला 2019 के दौरान पर्यावरण के मानकों की निगरानी करने का निर्देश दिया था जो निम्नलिखित हैं-

- एनजीटी ने उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से कहा था कि पर्यावरण के मानकों की निगरानी रखने में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए।
- कुम्भ में आने वाली भारी भीड़ के चलते उस इलाके में कचरे के प्रबंधन की संपूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए।
- लोगों को शिक्षित करके कचरे के प्रबंधन के बारे में जानकारी देनी होगी।
- प्रदूषण की रोकथाम के लिए कुम्भ मेले में पोस्टर और बैनर लगाने चाहिए।
- साथ ही अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में लोगों को शिक्षित करने के लिए पर्चे भी वितरित किए जाएँ।

कुम्भ मेलाः अल्पकालीन स्मार्ट सिटी

दिव्य, भव्य और सुरक्षित कुम्भ एक साथ कई कीर्तिमानों के लिए याद किया जाएगा। पहली बार प्रबंधन, सेवा-सत्कार से लेकर संगीत तक के क्षेत्र में रिकॉर्ड बने। तंबुओं की नगरी जहाँ दूधिया रोशनी के उजाले में दमकी, वहीं स्वच्छता के मानक भी प्रस्तुत किए गए। लगभग 24 करोड़ श्रद्धालुओं ने सुरक्षित डुबकी लगाई तथा दुनिया के समक्ष स्वच्छ कुम्भ का उदाहरण भी पेश किया। चौबीस घंटे नुक्कड़ नाटक का रिकॉर्ड बना तो इंट्रीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सिस्टम के जरिये 40 फीट की वीडियो वाल पर कुम्भ की हर गतिविधि लाइव होती रही।

- स्मार्ट सिटी योजना के लिए कुम्भ मेले को 3200 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 20 सेक्टरों में बसाया गया।
- 1,22,500 शौचालयों की स्थापना से कुम्भ मेला क्षेत्र को स्वच्छ रखने में कामयाबी मिली।
- 20 हजार से अधिक डस्टबिन लगाकर सफाई प्रबंधन को गति दी गई।
- 1795 अस्थायी पुलों का निर्माण, 22 तैरती हुई ब्रीजें, 800 किमी. की जल पाइपलाइन, 850 किमी. का अपवाह तंत्र आदि एक तरह का अपने आप में सफल प्रबंधन को दर्शाता है।

कुम्भ मेला बजट, राजस्व एवं रोजगारः उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित कुम्भ के लिए यू.पी. सरकार ने 4,200 करोड़ रुपये आवंटित किए थे। यह आँकड़ा भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) का है। सीआईआई के मुताबिक कुम्भ मेला के आयोजन से जुड़े कार्यों में छह लाख से ज्यादा कामगारों के लिए रोजगार मिला।

- सीआईआई के मुताबिक एयरलाइंस और हवाई अड्डों के आसपास करीब डेढ़ लाख लोगों के लिए रोजगार सृजन हुआ।
- वहीं, करीब 45,000 टूर ऑपरेटरों को भी रोजगार मिला।

कुम्भ 2019 : एक विश्लेषण

- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कुम्भ मेले के लिए 4,200 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया जो वर्ष 2013 महाकुम्भ मेले की तुलना में तीन गुना अधिक है। आलोचकों का मानना है कि इतनी बड़ी राशि का आवंटन उचित नहीं है जबकि सरकार के लिए प्राथमिकता पर कई अन्य कार्य भी होते हैं। हालाँकि भारतीय उद्योग संघ का अनुमान है कि कुम्भ मेले से सरकार को 12000 करोड़ रुपये का राजस्व भी प्राप्त हुआ।
- इस बार के कुम्भ मेले के लिए 1,20,000 शौचालय बनवाए गए लेकिन गलत रख-रखाव की वजह से हजारों टॉयलेट्स पहले ही दिन खराब हो गए।
- संगम तट पर प्रशासन की ओर से महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम बनाये गये लेकिन

समस्या यह थी कि इन चेंजिंग रूम की दूरी घाट से बहुत अधिक थी जिससे महिलाओं को काफी समस्या हुई। हालाँकि सरकार ने महिलाओं के लिए वाटर प्रूफ साड़ी की भी व्यवस्था की थी।

- प्रयागराज शहर में सामान्य दिनों में पर्यटकों की इतनी बड़ी संख्या में आवाजाही नहीं होती है। अतः वहाँ पर घरेलू अथवा विदेशी पर्यटकों के लिए ठहरने की व्यवस्था अपेक्षाकृत बहुत अच्छी नहीं है। ऐसे में जब इस प्रकार के बड़े आयोजनों के दौरान बड़ी संख्या में पर्यटकों का आगमन होता है तो उन्हें ठहराने के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।
- कुम्भ मेले में जल का अत्यधिक दोहन एक अन्य समस्या है जिसके चलते मेले में आये तीर्थयात्रियों को स्वच्छ जल सही तरीके से उपलब्ध नहीं हो पाया।
- चूँकि प्रयागराज में परिवहन की व्यवस्था अपेक्षाकृत दुरुस्त नहीं है और ऐसे में बड़े आयोजन से कई रास्ते बदल दिये जाते हैं जिससे स्थानीय लोगों को जाम की समस्या से दो-चार होना पड़ता है।

निष्कर्ष

- प्रयागराज में आयोजित कुम्भ मेले की सफलता (कुछ अपवादों को छोड़कर) अपने आप में बेमिसाल उदाहरण प्रस्तुत करता है। इस तरह के आयोजन से प्रशासनिक व सरकारी ढाँचे में व्यापक बदलाव आता है। इसलिए इस तरह के आयोजन होते रहना चाहिए।
- इस बार के कुम्भ मेले में बड़ी संख्या में विदेशी नागरिकों ने भी शिरकत किया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा, मलेशिया, सिंगापुर, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैण्ड, जिम्बाब्वे और श्रीलंका जैसे देश शामिल हैं। इस प्रकार के आयोजनों से भारत विश्व के देशों के साथ अपने संबंध मजबूत कर सकता है।
- कुम्भ मेले के सफल आयोजन से भारत के अन्य बड़े आयोजनों का सफलतापूर्वक संचालन किया जा सकेगा। वहीं दूसरी तरफ हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के अनुसार कुम्भ मेले से हम रियल एस्टेट, शहरीकरण, धारणीयता (Sustainability) एवं बुनियादी ढाँचे को समझ सकते हैं। साथ ही कम समय में एक विविधतापूर्ण अल्पकालिक शहरीकरण का प्रबंधन कैसे किया जाए, ये भी हम कुम्भ मेले से सीख सकते हैं।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-1

- भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला के रूप, साहित्य और वास्तुकला के मुख्य पहलू शामिल होंगे।

■

2. सुरक्षा बलों के मानवाधिकार

चर्चा का कारण

हाल ही में सेना के दो अधिकारियों की बेटियों द्वारा सुरक्षा बलों के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की गयी है। इस याचिका में न्यायालय से अपील की गई है कि वह सुरक्षा बलों के मानवाधिकारों को लेकर एक स्पष्ट नीति बनाने हेतु सरकार को निर्देश दे।

परिचय

उच्चतम न्यायालय में दायर याचिका में कहा गया है कि ड्यूटी करने वाले सुरक्षा बलों के भी मानवाधिकार हैं। ड्यूटी के दौरान आतंकियों, नक्सलियों, अपराधियों, उग्र भीड़ या पत्थरबाजों आदि के हमले से सुरक्षा बलों के जीवन और स्वतंत्रता जैसे मूलभूत मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है, जिनकी रक्षा के लिए एक उचित तन्त्र व नीति बनाने की आवश्यकता है। इसके अलावा, इस याचिका में कहा गया है कि जम्मू-कश्मीर सहित देश के विभिन्न हिस्सों में हिंसा भड़काने वालों के द्वारा सेना के जवानों के मानवाधिकारों का उल्लंघन किया जाता है, जिससे न सिर्फ उन्हें अपनी ड्यूटी करने में परेशानी होती है, बल्कि उनकी सुरक्षा भी खतरे में पड़ जाती है। लेकिन सक्षम सरकारों या संस्थाओं द्वारा सुरक्षा बलों के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए संतोषजनक कदम नहीं उठाये जा रहे हैं। इस याचिका में केन्द्र सरकार के रक्षा मंत्रालय , जम्मू-कश्मीर राज्य और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) को पक्षकार बनाया गया है।

भारत में सुरक्षा/सशस्त्र बलों का ढाँचा

भारत में सुरक्षा बलों को मोटे तौर पर दो वर्गों में विभाजित किया जाता है-

- भारतीय सशस्त्र बल (Indian Armed Force- IAF)
- केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (Central Armed Police Force- CAPF)

बाहरी खतरों से निपटने के लिए आईएएफ प्राथमिक तौर पर जिम्मेदार बल है और ये रक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत आते हैं। सीएपीएफ, मुख्य रूप से आंतरिक सुरक्षा मुद्दों के प्रबंधन हेतु जिम्मेदार हैं किन्तु बाह्य खतरों से निपटने में यह आईएएफ की सहायता भी करते हैं। सीएपीएफ, गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं। आईएएफ को चार अग्रलिखित भागों में बाँटा गया है- भारतीय थल सेना, भारतीय वायु सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल। सीएपीएफ के अन्तर्गत सात अग्रलिखित सुरक्षा बल आते हैं- असम राइफल्स, सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ), केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल (आईटीबीपी), राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी), सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी)।

सशस्त्र बल एवं उनके मानवाधिकार

भारत के संविधान के अनुच्छेद 33 और अनुच्छेद 34 में संसद को यह शक्ति दी गयी है कि वह विधि द्वारा सशस्त्र बलों (Armed Forces) के सदस्यों, लोक व्यवस्था बनाए रखने वाले बलों के सदस्यों, आसूचना (Intelligence) या प्रति आसूचना (Counter Intelligence) के प्रयोजनों के लिए राज्य द्वारा स्थापित ब्यूरो या संगठन में नियोजित (Employed) व्यक्तियों आदि के संविधान के भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को निर्बंधित या निराकृत (Restricted or Abrogated) कर सकती है, ताकि उनके कर्त्तव्यों का उचित पालन और उनमें अनुशासन बना रहना सुनिश्चित हो सके। इसी भावना को ध्यान में रखते हुए संसद ने 1958 में बने 'सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून' (AFSPA, अफस्पा) में सशस्त्र बलों के मानवाधिकारों का उल्लेख नहीं किया है।

सुरक्षा बलों को देश व समाज की रक्षा करते हुए कई जोखिमों का सामना करना पड़ता है। इसमें वह कभी-कभी गम्भीर रूप से अपंग हो जाते हैं, जिसके कारण उनका व उनके परिवार का जीवन निर्वाह काफी कठिन हो जाता है। सरकार द्वारा इन अपंग जवानों को काफी कम मात्रा में मदद दी जाती है, जिसे कई विद्वान गम्भीर मुद्दा मानते

हैं। उनके अनुसार संविधान में प्रदत्त अनुच्छेद 21 के तहत आजीविका का अधिकार भी शामिल है, जिसे बाद में माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी व्याख्यायित किया, किन्तु देश की रक्षा करते हुए गम्भीर रूप से अपंग व्यक्ति अपनी आजीविका को कैसे चला पायेगा।

सरकार ने सशस्त्र बलों में कई श्रेणियाँ बना रखी हैं, जिन्हें भेदभावपूर्ण सरकारी सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं। यथा- शहीद का आधिकारिक दर्जा सेना के जवानों को ही दिया जाता है, जबकि अर्द्ध सैनिक बलों, पुलिस व खुफिया ब्यूरो आदि को यह नहीं प्रदान किया जाता। जबकि देश की सेवा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर करने वाला प्रत्येक जवान शहीद का दर्जा प्राप्ति का अधिकारी है।

कई विद्वान मानते हैं कि सशस्त्र बलों के निचले स्तर के कार्मिकों की अपेक्षाकृत स्थिति निम्न कोटि की है। उन्हें भर्ती तो देश व समाज सेवा के नाम पर किया जाता है किन्तु कभी-कभी उच्च स्तर के अधिकारी उनसे गैर गरिमापूर्ण व अनौपचारिक (Unofficial) कार्य करवाते हैं, जैसे- घर की सफाई का कार्य, बाजार से व्यक्तिगत वस्तुएँ मँगवाना इत्यादि। इसके लिए उन्हें कोर्ट मार्शल, ट्रान्सफर व अन्य तरह के भय दिखाये जाते हैं। निश्चित रूप से किसी भी व्यक्ति के गरिमापूर्ण जीवन को उपर्युक्त परिस्थितियाँ गम्भीर रूप से प्रभावित करती हैं, जबकि संविधान में गरिमापूर्ण जीवन को विवक्षित रूप से मौलिक अधिकार के रूप में वर्णित किया गया है, जिस पर समय-समय पर माननीय उच्चतम न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्देश प्राप्त हुए हैं।

विद्वानों का कहना है कि विभिन्न सशस्त्र बलों को एक ही कार्य के लिए अलग-अलग वेतन व पेंशन जैसी सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं, जैसे- सीआरपीएफ (केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल) आज काफी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में कार्य कर रही हैं किन्तु उन्हें भारतीय सेना के मुताबिक न तो वेतन प्राप्त होता है और न ही पेंशन। अर्द्ध सैनिक बलों को 'वन रैंक वन पेंशन' योजना से भी वंचित रखा गया है। ध्यातव्य है कि संविधान में 'समान कार्य के लिए समान वेतन' का उपबन्ध किया गया है।

सशस्त्र बलों को 'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता' से भी वंचित रखा गया है। यही कारण है कि जब सेना के जवान, प्रदान की जा रही सुविधाओं (यथा- खाना, कपड़े, जूते इत्यादि) से असंतुष्ट होते हैं तो अनुशासन के नाम पर कड़ी कार्रवाई की जाती है और उनकी आवाज को दबाया जाता है। हालाँकि सेना अधिनियम (1950), नौसेना अधिनियम (1950), वायुसेना अधिनियम (1950), पुलिस बल (अधिकारों का प्रतिबंध) अधिनियम, 1966 और विभिन्न अर्द्धसैनिक बलों की स्थापना हेतु बनाये गए कानूनों में यह प्रावधान किया गया है कि यदि कोई भी जवान प्राप्त हो रही सुविधाओं से असंतुष्ट है तो वह अपने से उच्च स्तर के अधिकारी से शिकायत कर सकता है, किन्तु व्यावहारिक स्तर पर जवानों की शिकायतों पर कार्रवाई बहुत कम होती है।

कई विशेषज्ञ मानते हैं कि 'कोर्ट मार्शल' न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्त के अनुरूप नहीं है क्योंकि इसमें जाँच और न्यायिक अधिकार किसी स्वतंत्र संस्था को प्रदान नहीं किये गए हैं बल्कि जाँच से लेकर निर्णय सुनाने तक सेना की ही भूमिका होती है। ध्यातव्य है कि कोर्ट मार्शल को सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों में चुनौती नहीं दी जा सकती है।

सेना के जवानों को किसी भी प्रकार का संगठन बनाने और सभा करने का अधिकार नहीं है। इसके अतिरिक्त वे नागरिक समाज और ट्रेड यूनियन आदि में भी शामिल नहीं हो सकते हैं।

सशस्त्र बलों के मानवाधिकार क्यों महत्वपूर्ण हैं

सशस्त्र बलों के कार्मिकों के मानवाधिकारों का सम्मान किसी भी राज्य का नैतिक दायित्व है। भारत का संविधान और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून आदि सभी का इस बात पर जोर है कि राज्य का यह मौलिक कर्त्तव्य है कि वह अपने प्रत्येक नागरिक को मानवाधिकारों को उपलब्ध कराये ताकि उनका सम्पूर्ण विकास सुनिश्चित हो सके। इसके अतिरिक्त सशस्त्र बलों को मानवाधिकारों को उपलब्ध कराने हेतु निम्नलिखित तर्क दिये जा सकते हैं-

- भारत, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) का सदस्य है।
- भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जहाँ आधुनिक मूल्यों को प्रमुखता प्रदान की जाती है।
- भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि सॉफ्ट पावर के रूप में है।

सशस्त्र बलों के मानवाधिकारों को सीमित करने के पक्ष में तर्क

देश की एकता और अखण्डता को अक्षुण्ण रखने हेतु सशस्त्र बलों में अनुशासन को प्रथम माना गया है। इसीलिए भारत के संविधान में अनुच्छेद 33 और अनुच्छेद 34 में संसद को सशस्त्र बलों के मानवाधिकारों को सीमित करने का अधिकार दिया गया है। सशस्त्र बलों के मानवाधिकारों को सीमित रखने वाले पक्षकारों का मानना है कि युद्ध व अन्य विकट स्थितियों में जवानों की यह प्रवृत्ति होती है कि वह उन सभी आदेशों की अवहेलना करें, जो उसके विपरीत जाते हों, चाहे उससे देश या समाज का कितना भी नुकसान क्यों न हो जाये। अतः उसे ऐसा करने से रोकने की प्रेरणा उसे दी गई विशेष ट्रेनिंग व अनुशासन आदि देते हैं।

सशस्त्र बलों की चुनौतियाँ

- सशस्त्र बलों को आज बाह्य और आंतरिक, दोनों मोर्चों पर काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। बाह्य चुनौतियों में सीमा पार से घुसपैठ, पड़ोसी देश में स्थित आतंकी संगठन और स्मगलिंग आदि को रखा जाता है जबकि आंतरिक चुनौतियों में नक्सलवादी, पत्थरबाज, उत्तर-पूर्व के उग्रवादी और भीड़ उन्मादी आदि आते हैं। इन स्थितियों में सशस्त्र बल, नागरिक अधिकारों को संरक्षित करते हुए अपनी ड्यूटी को निभा पाने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं। आतंकवादियों, नक्सलवादियों और उन्मादी भीड़ को नियंत्रित करने में यदि सुरक्षा बलों द्वारा कड़ा एक्शन लिया जाता है तो नागरिक मानवाधिकार के समर्थक उनकी आलोचना करते हैं। इससे उनके मनोबल पर काफी नकारात्मक असर पड़ता है।
- सुरक्षा बल आज भी विभिन्न तरीके की मौलिक आवश्यकताओं से जूझ रहे हैं। उनके पास विकट परिस्थितियों से सामना करने हेतु न तो उपयुक्त हथियार हैं और न ही उच्च तकनीक है। इसके अतिरिक्त सरकार उनके सुरक्षित स्थानांतरण (Movement) को भी सुनिश्चित नहीं कर पा रही है, जैसे उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान में भेजने पर विमान सेवा (Airlift) की जगह सड़क मार्ग से ले जाया जाता है, जो काफी असुरक्षित माना जाता है। हाल ही में हुए पुलवामा हमले को इसी संदर्भ में देखा जा सकता है।
- सुरक्षा बल लम्बे समय तक अपने परिवार से दूर रहते हैं जिससे वे मानसिक रूप से विचलित होते हैं।
- सुरक्षा बलों को दी जा रही विभिन्न तरह की सामाजिक सेवाएँ (जैसे- उनके बच्चों की शिक्षा, आवास, यात्रा सुविधा, स्वास्थ्य सुविधा आदि) अपेक्षानुरूप नहीं हैं।

- सुरक्षाबलों के कुछ समूहों को भाषा, संस्कृति और लिंग आदि के आधार पर संगठन के अन्दर ही भेदभाव का सामना करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त, सरकार अभी तक सशस्त्र बलों के लिए ऐसे बुनियादी ढाँचे का निर्माण नहीं कर पायी हैं, जो महिला कर्मियों के लिए अनुकूल हो।

आगे की राह

- सातवें वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की है कि सेना की तर्ज पर अर्द्ध सैनिक बलों को भी शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए। कुछ विद्वानों का कहना है कि शहीद के दर्जे की मुहिम का विस्तार संविधान के अनुच्छेद 33 में वर्णित सभी प्रकार के सशस्त्र बलों तक होनी चाहिए।
- सरकार को सशस्त्र बलों के अन्तर्गत ऐसे तंत्र का विकास करना होगा ताकि वरिष्ठ अफसर अपने पद का दुरुपयोग न कर सके। इसके अलावा, जवानों से सिर्फ उसी कार्य को सम्पन्न कराया जाये जिसके लिए उन्हें आधिकारिक तौर पर नियुक्त किया गया हो। इसके विनियंत्रण हेतु सेना के अन्दर ही एक स्वतंत्र प्रहरी निकाय (Watchdog Body) की स्थापना की जा सकती है।
- संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात सुरक्षाकर्मियों को जोखिम भत्ता बढ़ाकर दिया जाना चाहिए।
- सशस्त्र बलों के लिए भी एक पेशेवर आचार संहिता का निर्माण करना चाहिए।
- विभिन्न देशों में सशस्त्र बलों में अनुचित या अपमानजनक व्यवहार की शिकायतों के समाधान हेतु एक लोकपाल का गठन किया गया है। इन शिकायतों और कमियों की जाँच करने के बाद लोकपाल सुधारात्मक कार्रवाई के लिए सिफारिशें तैयार करता है। अतः भारत सरकार को भी देश की जरूरतों के अनुसार इस प्रकार की व्यवस्था बनानी चाहिए।
- सशस्त्र बलों को अपने प्रशिक्षण में सहिष्णुता और विविधता की शिक्षा को भी शामिल करना चाहिए, ताकि सैन्य कार्मिक एक-दूसरे के प्रति संवेदनशील हो सकें।
- सरकार को समानता पर विशेष ध्यान देना होगा, जैसे- विभिन्न सशस्त्र बलों को समान कार्य के लिए समान सुविधाएँ व वेतन आदि प्रदान किये जायें।
- नरेश चन्द्र समिति और चीफ ऑफ स्टॉफ कमेटी ने सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण पर अपनी रिपोर्टों में विभिन्न तरह के सुझावों को प्रस्तुत किया है। इन दोनों समितियों की सिफारिशों को जल्द-से-जल्द लागू करने की जरूरत है। इसी प्रकार की सिफारिशों को डी.बी. शेकटकर समिति ने भी सुझाया है।
- सशस्त्र बलों के मानवाधिकारों और उन्हें अनुशासन में रखने के बीच संतुलन को स्थापित करना होगा ताकि देश व समाज की सुरक्षा भी उन्नत ढंग से हो सके और इस सुरक्षा को उपलब्ध कराने वाले सैन्य कार्मिकों के हितों का भी संरक्षण हो सके।
- सरकार को अपनी रक्षा से संबंधित आंतरिक व बाह्य नीति को इस प्रकार निर्मित व कार्यान्वित करना होगा, जिससे कि तात्कालिक और दीर्घकालिक दोनों प्रकार के लक्ष्यों को साधा जा सके। तात्कालिक लक्ष्य में सैन्य कार्मिकों के हितों के रक्षा के साथ-साथ नागरिकों का भी ख्याल रखना होगा तथा दीर्घकालिक लक्ष्यों में सरकार को यह निर्धारित करना होगा कि देश के समक्ष गम्भीर चुनौतियों (यथा- नक्सलवाद, उग्रवाद और आतंकवाद आदि) को शुरूआती अवस्था में ही खत्म किया जाये।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- भारतीय संविधान-ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना।

■

3. जहरीली शराब का कहर

चर्चा का कारण

हाल ही में असम में जहरीली शराब पीने के कारण गोलाघाट और जोरहाट जिलों में लगभग 143 लोगों की मौत हो गई। ज्ञातव्य है कि एक ही महीने में देश के विभिन्न भागों में नकली जहरीली शराब पीने से लगभग 250 लोगों ने अपनी जान गँवाई है। पिछले 50 वर्षों में ऐसा पहली बार हुआ है कि एक ही महीने में नकली एवं जहरीली शराब पीने से इतनी ज्यादा मौतें हुई हैं।

परिचय

तमाम दावों और घोषणाओं के बावजूद देश में अवैध रूप से बनायी गई शराब, मौत का पर्याय बनी हुई है। न तो इसके अवैध निर्माण का कारोबार बन्द हुआ है और न ही बिक्री पर रोक लग पाई है। नतीजतन हर साल जहरीली शराब की वजह से सैकड़ों लोगों की जान चली जाती है। विभिन्न राज्यों में शराब बंदी के बावजूद भी अवैध रूप से शराब बनाई और बेची जा रही है।

> संविधान के भाग-4 में वर्णित 'नीति निदेशक तत्व' के अनुच्छेद 47 में कुछ नीति-निर्देश नियम सुनिश्चित किए गए हैं, जिनमें कहा गया है कि राज्य सरकारें चिकित्सा और स्वास्थ्य के नजरिये से मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पेय पदार्थों और ड्रग्स पर रोक लगा सकती हैं।

बिहार में शराब बंदी लागू होने से पहले केरल और गुजरात में भी शराब बंदी लागू की गई थी। साथ ही मिजोरम, हरियाणा, नागालैण्ड, मणिपुर, कर्नाटक आदि राज्यों में शराब की बिक्री पर रोक लगायी गयी किन्तु अभी भी विशेषकर, दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध रूप से शराब बनायी व बेची जा रही है। अवैध शराब के दुष्प्रभावों पर जो अध्ययन किए गए हैं उनसे पता चलता है कि इससे उपजने वाली बीमारियाँ सामान्य शराब से होने वाली बीमारियों से कहीं ज्यादा घातक हैं।

कुछ महत्वपूर्ण घटनाएँ

21 मई, 2018 को कानपुर में अवैध रूप से बनायी गई शराब पीने से 12 लोगों की मौत हुई। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड में जहरीली शराब पीने से 100 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई थीं। बिहार के रोहतास जिले में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की जाने चली गईं। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में जहरीली शराब पीने से लगभग 7 लोगों की मौत हो गई। इस दौरान तमिलनाडु राज्य में लगभग 1500 लोगों ने अपनी जान जहरीली शराब से गँवाई, इसके बाद जहरीली शराब से मरने वाले राज्यों में क्रमशः कर्नाटक, पंजाब, पश्चिम बंगाल और गुजरात जैसे राज्य हैं। इन पाँच राज्यों

में लगभग 6000 लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हुई है।

डब्ल्यूएचओ (WHO) की रिपोर्ट

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अध्ययन के अनुसार शराब की वजह से दुनिया भर में हर साल 50 लाख लोगों की मौत हो जाती है। यह एड्स, हिंसा और सड़क हादसों में होने वाली मौतों को जोड़कर प्राप्त आँकड़ों से भी ज्यादा है। अपनी रिपोर्ट में डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि लगभग 23.7 करोड़ पुरुष और 4.6 करोड़ महिलाएँ शराब से जुड़ी समस्याओं का सामना कर रहे हैं।

वहीं भारत की अगर बात की जाए तो भारत में शराब के कारण हर साल 2.6 लाख मौतें हो रही हैं। भारत में हर साल सड़क हादसे में होने वाली करीब एक लाख मौतें अप्रत्यक्ष रूप से शराब के सेवन से संबंधित हैं।

केन्द्रीय सामाजिक न्याय व सशक्तिकरण मंत्रालय और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के साझा अध्ययन में यह बात सामने आई है कि पुरुषों में शराब का सेवन करने वालों की तादाद महिलाओं के मुकाबले ज्यादा है, लेकिन लगभग सभी राज्यों में महिलाएँ भी अब शराब पीने लगी हैं। शराब पीने वाली महिलाओं की संख्या भारत में लगभग 6.4 फीसदी है, वहीं पुरुषों में यह संख्या लगभग 27.3 फीसदी है। भारत में शराब की खपत तेजी से बढ़ रही है। वर्ष 2005 में जहाँ देश में प्रतिव्यक्ति शराब की औसत खपत प्रतिव्यक्ति 2.4 लीटर थी, वहीं वर्ष 2016 में यह लगभग दोगुनी होकर 4.3 लीटर तक पहुँच गई है। डब्ल्यूएचओ और भारतीय संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से भारत में शराब की वर्तमान स्थिति तो परिलक्षित हो रही है लेकिन भारत में जहरीली शराब के बढ़ते कारोबार ने कोढ़ में खाज का काम किया है।

अवैध शराब में शामिल तत्त्व एवं नुकसान

- अवैध रूप से मादक पेय पदार्थों को बनाने के लिए मिथाइल अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है, जिसका अकसर कीटनाशकों में प्रयोग होता है। इसके अलावा इसका प्रयोग औद्योगिक प्रतिष्ठानों में पेंट व थिनर आदि बनाने में भी किया जाता है।
- एक अध्ययन के अनुसार यह पाया गया है कि एथिल अल्कोहल से मिलने वाली शराब में यदि मिथाइल मिलाया जाता है तो यह जहरीली हो जाती है।
- इसके अलावा कच्ची शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाली महुए की लहन को सड़ाने के लिए ऑक्सीटोसिन, नौसादर और यूरिया जैसे रसायनों का इस्तेमाल किया जाता है, इससे भी शराब जहरीली हो जाती है।
- कच्ची शराब में यूरिया या ऑक्सीटोसिन जैसे रसायन मिलाने से मिथाइल अल्कोहल बनता है। एथिल अल्कोहल के दुविधा व संशय में कई बार शराब में मिथाइल अल्कोहल का इस्तेमाल कर दिया जाता है।
- अवैध शराब के बुरे प्रभावों के बारे में सामान्यत: लोगों को जानकारी का अभाव होता है।

कच्ची शराब को तैयार करने में कोई निश्चित तापमान का मानक नहीं होता है। इसके अतिरिक्त इसमें मेथेनॉल, ऑर्गेनोफास्फोरस (Organophosphorus) यौगिक और एथेनॉल का प्रयोग किया जाता है। इसमें मिथाइल सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। फॉर्मेल्डिहाइड, मिथाइल अल्कोहल की अपेक्षा अधिक जहरीला होता है जिससे पीने वाले की मृत्यु हो जाती है।

भारत में अवैध शराब के बढ़ते बाजार के कारण

- भारत में सामान्यत: शराब पीने से होने वाले नुकसार के प्रति जागरूकता का बेहद अभाव पाया जाता है। चूकि अवैध शराब की कीमत कम और नशा ज्यादा होता है, इसलिए इसके सेवन करने वालों की तादाद विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ रही है।
- इस अवैध शराब के सेवन करने वालों में अधिकतर गरीब, मजदूर और कम पढ़े-लिखे लोग होते हैं, उन्हें पता ही नहीं रहता कि वे शराब पी रहे हैं या जहर।
- मादक पेय पदार्थों पर सरकारी नीति और उच्च करों के कारण देश में नकली व जहरीली शराब के बाजार का निर्माण हुआ है।
- अल्कोहल को नियंत्रित करने वाले कानून भारत के राज्य सूची में शामिल हैं जिसकी वजह से भारत में शराब से संबंधित कानूनों में कोई समानता नहीं है। साथ ही जिन राज्यों में शराब बंदी है, वहाँ भी इसका कड़ाई से पालन नहीं किया जा रहा है।
- चूँकि शराब से राज्यों को मोटा राजस्व तो प्राप्त होता है, किन्तु अवैध रूप से बनायी गई शराब से न तो राजस्व का सृजन होता है और न ही रोजगार का सृजन होता है।
- राजनीतिक व प्रशासनिक भ्रष्टाचार भी अवैध देशी शराब के प्रसार के कारण हैं।
- अवैध रूप से बनाई गई शराब पर कोई कराधान नहीं लगता है, जिससे इसके उत्पादन में काफी कम लागत आती है।
- कभी-कभी विभिन्न राज्यों में शराबबंदी भी देशी व जहरीली शराब को बढ़ावा देती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शराबबंदी वाले राज्यों में अवैध शराब की आपूर्ति सीमावर्ती राज्यों से होने लगती है।
- चूँकि ब्राण्डेड कंपनी के शराब काफी महँगे होते हैं, इसलिए गरीब व मजदूर लोग इसका वहन नहीं कर पाते हैं, जबकि इसके विपरीत अवैध शराब सस्ते दामों पर उपलब्ध हो जाती है।

शराब का प्रभाव

भारत में बढ़ते अवैध व वैध शराब के प्रभावों को निम्नलिखित बिन्दुओं के तहत देखा जा सकता है-

स्वास्थ्य पर प्रभाव: शराब सेवन करने से लिवर सिरोसिस से लेकर कैंसर सहित लगभग 200 से ज्यादा स्वास्थ्य विकार उत्पन्न होते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार शराब पीने वाले लोगों में टीबी, एचआईवी और निमोनिया जैसी बिमारियों के संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा ज्यादा मात्रा में नियमित रूप से इसका सेवन करने से दिमाग को भी नुकसान पहुँचता है। अवैध शराब को पीने वाला व्यक्ति हालत बिगड़ने पर घर पर ही उपचार करने लगता है, जिससे उसकी स्थिति और गंभीर हो जाती है।

आर्थिक प्रभाव: अवैध शराब के कारण होने वाले मौतों की वजह से सरकार को आर्थिक क्षति उठानी पड़ती है, जो धन, शिक्षा, आवास पर खर्च होने चाहिए वह कहीं न कहीं इस गोरखधन्धे की वजह से फिजूल में ही खर्च हो जाता है। शराब से सबसे अधिक नुकसान गरीबों को होता है, वे अपनी कमाई का लगभग 45 फीसदी हिस्सा शराबखोरी पर खर्च कर डालते हैं।

सामाजिक प्रभाव: शराब पीने से देश का सामाजिक ताना-बाना अपेक्षाकृत ज्यादा प्रभावित होता है। इससे घर-परिवार जैसी संस्थाओं में बिखराव आता है तो दूसरी ओर शराब सेवन के कारण समाज में अपराध और बलात्कार जैसी घटनाओं में वृद्धि होती है, जिसके कारण सामाजिक शांति और समृद्धि का वातावरण प्रभावित होता है। महिलाओं को विशेष रूप से कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है, विरोध करने पर उन्हें प्रताड़नाएँ भी सहन करनी पड़ती हैं।

मानव संसाधन पर प्रभाव: शराब के सेवन से मानव संसाधन की भी हानि होती है। इससे एक बड़े कुशल एवं अकुशल श्रम की असमय मृत्यु हो जाती है।

भारत की साख पर प्रभाव: अवैध शराब या जहरीली शराब के सेवन से लोग असमय मृत्यु के शिकार हो जाते हैं जिससे लोगों की जीवन प्रत्याशा में गिरावट आती है। साथ ही वैश्विक खुशहाली सूचकांक भी प्रभावित होता है। इसके

अलावा विश्व स्तर पर भ्रष्टाचार सूचकांक में भी भारत की रैंकिंग में गिरावट होती है क्योंकि अवैध शराब का निर्माण प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार को परिलक्षित करता है।

सरकारी प्रयास

खाने-पीने की वस्तुओं की गुणवत्ता का ध्यान रखने वाले फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) ने खाने-पीने की चीजों में मिलावट करने वालों के खिलाफ कानून को कठोर बनाने का प्रस्ताव दिया है। एफएसएसएआई के मुताबिक, मिलावट से स्वास्थ को नुकसान की आशंका पर 7 साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा के प्रावधान के अलावा 10 लाख रुपये जुर्माने की भी सिफारिश की गई है। फिलहाल मिलावट से मौत होने पर उम्रकैद का ही प्रावधान है।

कुछ राज्यों में शराब से संबंधित कानून

- अवैध व जहरीली शराब के सेवन से यदि उत्तर प्रदेश में किसी भी व्यक्ति के मौत का मामला सामने आता है तो दोषियों को उम्रकैद व जुर्माने की सजा दी जाएगी। लेकिन यदि मौतों की संख्या ज्यादा है तो मामले को असाधारण माना जाएगा व दोषियों को भारी जुर्माने के साथ-साथ मौत की सजा का भी प्रावधान किया गया है।
- इसके अतिरिक्त यदि कोई अवैध रूप से शराब की तस्करी करता पाया जाता है तो उसको एक से लेकर तीन वर्ष तक के कारावास की सजा का प्रावधान है।
- झारखंड ने अवैध शराब की बिक्री रोकने के लिए पुराने कानून में संशोधन करते हुए कड़ी सजा का प्रावधान किया है। अवैध शराब की बिक्री में लिप्त पाए जाने पर झारखण्ड में फाँसी की सजा व उम्रकैद तक हो सकती है।
- बिहार राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू की गई है। नए कानून में राज्य सरकार ने शराब बनाने और बेचने वालों के लिए मौत का प्रावधान किया है। बच्चों एवं महिलाओं को शराब के धंधे में लगाने पर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना एवं दस साल तक की सजा का भी प्रावधान किया है।

आगे की राह

- भारत में स्वस्थ समाज विकसित करने के लिए अवैध शराब के बढ़ते गंभीर खतरे को रोकने व लोगों को इसके दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करने की आवश्यकता है। इसके लिए जागरूकता अभियान का सहारा लिया जा सकता है।
- कच्ची व अवैध शराब के गोरखधन्धे को रोकने के लिए राज्य की संस्थाएँ एवं केन्द्रीय विभागों में तालमेल बढ़ाने की जरूरत है।
- अब समय आ गया है कि देश की सभी सरकारें देशी, अवैध शराब की भट्टियों और उससे जुड़े शराब माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई करें तथा प्रशासनिक भ्रष्टाचार के विरुद्ध भी दण्डात्मक कार्रवाई करें। जब तक इस तरह के ठोस पहल नहीं होंगे तब तक अवैध शराब की बढ़ती खपत पर रोक लगाना संभव नहीं होगा।
- जब कभी किसी राज्य में शराबबंदी कानून लागू हो तो सीमावर्ती राज्यों में प्रशासनिक निगरानी मजबूत किया जाना चाहिए।
- समाज में शराब के बढ़ते प्रचलन को रोकने के लिए इसे सामाजिक बुराई के रूप में स्थापित करने की जरूरत है।
- चुनावी माहौल के दौरान विशेष निगरानी तंत्र विकसित किए जाने की जरूरत है।
- सरकार को चाहिए कि अवैध शराब के बढ़ते प्रभाव से निपटने के लिए एक एकीकृत कानूनी प्रावधान बनाए।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।
- शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई-गवर्नेंस-अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं और संभावनाएं, नागरिक घोषणा-पत्र, पारदर्शिता एवं जवाबदेही और संस्थागत तथा अन्य उपाय।

■

4. वनवासी एवं उनके अधिकार

चर्चा का कारण

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न राज्यों के वन क्षेत्र में रह रहे लाखों लोगों की बेदखली के अपने आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। इसके साथ ही न्यायालय ने सभी राज्यों से कहा है कि वे हलफनामा दाखिल कर 'वन अधिकार अधिनियम, 2006' के तहत वन भूमि पर लोगों के दावों को खारिज करने की प्रक्रिया का ब्यौरा उपलब्ध करायें। उच्चतम न्यायालय का उपरोक्त आदेश तब आया जब 'वन अधिकार अधिनियम, 2006' की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई चल रही थी। याचिकाकर्त्ताओं ने अपनी याचिका में कहा है कि राज्य सरकारें उन आदिवासियों/वनवासियों के दावों को खारिज कर रही हैं जो वन क्षेत्रों में सदियों से रहते आ रहे हैं।

पृष्ठभूमि

औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों ने भारतीय संसाधनों का अधिकतम दोहन किया और इसी क्रम में वनों की ओर भी रुख किया। वनों में रह रहे वनवासियों पर उन्होंने कई प्रकार के अत्याचार किये किन्तु स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान में देश के विभिन्न क्षेत्रों के वनों में रह रहे आदिवासी एवं अन्य समुदायों के लिए विशेष प्रावधान किये गए ताकि वनों के संरक्षण के साथ-साथ इन लोगों के भी अधिकारों को अक्षुण्ण रखा जा सके। संविधान की भावनाओं के अनुरूप सरकार ने समय-समय पर विभिन्न कानूनों का निर्माण किया है। केन्द्र सरकार द्वारा सन् 2006 में वनों पर आदिवासियों एवं अन्य लोगों के अधिकारों को परिरक्षित करने हेतु 'वन अधिकार अधिनियम, 2006' लाया गया था। इस अधिनियम के निम्नलिखित प्रावधान हैं-

- यदि कोई व्यक्ति (आदिवासी या अन्य) अनुसूचित जनजाति से संबंधित है या फिर वह या उसके पूर्वज परम्परागत रूप से कम से कम पिछले 75 सालों से वन क्षेत्रों में रहते आये हैं तो उसे वनों के सूक्ष्म उत्पादों और 4 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि पर मालिकाना हक (Ownership Rights) होगा। लेकिन वह अपनी इस 4 हेक्टेयर भूमि को किसी अन्य को बेच या स्थानांतरित नहीं कर सकता है।
- इस कानून में व्यक्तिगत वन अधिकार (Individual Forest Rights) के अलावा सामुदायिक वन अधिकारों (Community Forest Rights) को भी जगह दी गयी है।

सामुदायिक वन अधिकारों का इस्तेमाल वहाँ पर निवास करने वाला हर समुदाय कर सकेगा।

- इस कानून में व्यक्तिगत या सामूहिक वन अधिकारों को उपलब्ध कराने हेतु प्रक्रिया का भी उल्लेख किया गया है। इस प्रक्रिया के अनुसार, किसी वन क्षेत्र की ग्राम सभा सर्वप्रथम अपने प्रस्ताव को उप-मंडल स्तर (Sub-divisional Level) की जाँच समिति (Screening Committee) को भेजेगी और इसके बाद यह जाँच समिति इस प्रस्ताव को जिला स्तर की जाँच समिति के पास भेजेगी। जिला स्तर की जाँच समिति के अंतिम अनुमोदन के बाद ही उक्त प्रस्ताव को पारित माना जायेगा। जिला स्तर की जाँच समिति में 6 अधिकारियों का वर्णन किया गया है- वन अधिकारी, राजस्व अधिकारी, आदिवासी कल्याण विभाग का अधिकारी और अन्य तीन पदाधिकारी स्थायी निकायों से चुने जाते हैं।

इस प्रकार 'वन अधिकार अधिनियम, 2006', वन क्षेत्रों में रह रहे लोगों की आजीविका सुनिश्चित करता है लेकिन इस अधिनियम के प्रावधानों का बेहतर क्रियान्वयन न हो पाने से कई प्रकार की समस्याओं ने जन्म ले लिया है।

उच्चतम न्यायालय का निर्णय

जिन लोगों के 'वन अधिकार अधिनियम, 2006' के तहत मालिकाना हक को नकार दिया गया है, वे आज भी वन क्षेत्रों में रह रहे हैं। अत: उनके निष्कासन (Eviction) को लेकर 'वाइल्डलाइफ फर्स्ट' (Wildlife First) नामक एनजीओ ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की, जिस पर उच्चतम न्यायालय ने 'वाइल्डलाइफ फर्स्ट एवं अन्य बनाम पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एवं अन्य' (Wildlife First & Others Vs Ministry of Environment, Forest and Climate Change & Others) केस में, 13 फरवरी, 2019 को फैसला सुनाते हुए 21 राज्यों को आदेश दिया कि देश के विभिन्न क्षेत्रों के वनों में रह रहे ऐसे लोग, जिनका वन अधिकार अधिनियम के तहत मालिकाना हक का आवेदन निरस्त हो गया है, उन्हें वहाँ से निष्कासित किया जाय। न्यायालय के 13 फरवरी के निर्णय के बाद केन्द्र सरकार ने पुनर्विचार याचिका दायर की, जिसमें सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने अपने पूर्व के दिए गए निर्णय को अमल में लाने में फिलहाल रोक लगा दी है और आगे की सुनवाई हेतु तारीख सुनिश्चित की है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि वनभूमि पर आदिवासियों के अधिकार की और बात है लेकिन आदिवासियों की आड़ में बाहरी लोगों को वन भूमि पर कब्जा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। कोर्ट ने अपनी संक्षिप्त सुनवाई में, 21 राज्यों को निर्देश दिया कि वह विस्तृत हलफनामा दाखिल कर कोर्ट को बताएँ कि वनभूमि पर दावा नकारने की क्या और कैसी प्रक्रिया अपनायी गई थी।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 का विश्लेषण

- इस अधिनियम के कुछ कमियों (Loop holes) का फायदा उठाते हुए, वन क्षेत्रों में ऐसे लोगों ने मालिकाना हक प्राप्त कर लिया है जो वास्तव में उसके अधिकारी नहीं थे।
- सरकार की तमाम कागजी कार्यवाहियों, अशिक्षा और गरीबी आदि के चलते वन क्षेत्रों में सदियों से रहते आ रहे आदिवासी या अन्य समुदाय अपने मालिकाना हक से वंचित हो गए हैं। एक अनुमान के अनुसार, 'वन अधिकार अधिनियम, 2006' के तहत लगभग 42 लाख व्यक्तिगत वन अधिकारों को लेकर आवेदन आये, जिसमें से लगभग 23 लाख आवेदनों को स्वीकार किया गया है, जबकि अन्य को अस्वीकार कर दिया गया है।
- कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि व्यक्तिगत वन अधिकारों के आवेदनों को छोटी-छोटी प्रक्रियात्मक गलतियों या मानवीय भूलों के आधार पर भी निरस्त किया गया है और इस निरस्तीकरण के खिलाफ अपील करने के लिए सरकार ने कोई भी विकल्प या तंत्र नहीं बनाया है ताकि कम पढ़े-लिखे आदिवासी अपनी भूलों को सुधारकर अपना मालिकाना हक पा सकें।
- कहीं-कहीं व्यक्तिगत वन अधिकारों को ही प्रमुखता दी गयी है और सामुदायिक वन अधिकारों को नगण्य रूप में उपलब्ध कराया गया है, जबकि 'वन अधिकार अधिनियम, 2006' में व्यक्तिगत और सामुदायिक दोनों ही वन अधिकारों को समान रूप से प्रमुखता प्रदान की गयी है।
- कई बार देखा गया है कि विशेष कानून के बारे में सही से जानकारी, न उसे कार्यान्वित करने वाले अधिकारियों को होती है और न ही उस जनता को, जिसके लिए इस कानून का निर्माण हुआ है। इस प्रकार की स्थिति 'वन अधिकार अधिनियम, 2006' में भी देखने को मिली है।
- वन अधिकार अधिनियम, 2006 के लागू होने से पहले ही वन अधिकारियों समेत कई सामाजिक कार्यकर्त्ताओं ने कहा था कि यदि इसका क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं हो पाया तो इससे भ्रष्टाचार व अन्य कई प्रकार की समस्याएँ जन्म लेंगी, सामाजिक कार्यकर्त्ताओं की भविष्यवाणी आज वास्तविक रूप में परिलक्षित हो रही है।
- वन अधिकार अधिनियम, 2006 को मानवीय गतिविधियों और पर्यावरण के बीच संतुलन स्थापित करते हुए वनों को संरक्षित करने हेतु लाया गया था, किन्तु इसके क्रियान्वयन के बाद देखा गया है कि कई क्षेत्रों में निर्वनीकरण की समस्या घटने की बजाय और बढ़ी है तथा मानव और वन्यजीवों के मध्य टकराव ने भी जन्म लिया है।
- राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का कहना है कि 'वन अधिकार अधिनियम, 2006' के तहत मालिकाना हक पाने की प्रक्रिया बहुत जटिल है। पहले ग्रामसभा, फिर एक कमेटी और फिर दूसरी कमेटी, इतनी लंबी व जटिल प्रक्रिया को गाँव का आदिवासी समझ नहीं पाता है।

उच्चतम न्यायालय के आदेश से उभरने वाले मुद्दे

- कोर्ट के निर्णय से विभिन्न राज्यों में लाखों लोगों की आजीविका पर खतरा मँडरा रहा है अर्थात उनकी आजीविका पर संशय उत्पन्न हो गया है।
- कुछ विद्वानों का मानना है कि कोर्ट के इस प्रकार के निर्णय से आदिवासी बाहुल्य इलाकों में नक्सलवाद को बढ़ावा मिल सकता है, क्योंकि वन भूमि पर रहने वाले आदिवासियों या अन्य परम्परागत निवासियों को लगेगा कि राज्य उनके खिलाफ है और उनके अधिकारों को छीन रहा है। इस प्रकार, इन क्षेत्रों में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है।
- आदिवासी या अन्य लोग इन क्षेत्रों में आंदोलन कर सकते हैं, जिससे कई प्रकार

की हानियाँ होंगी, जैसे-आर्थिक गतिविधियाँ मंद पड़ सकती हैं।

- कुछ विद्वानों का कहना है कि कोर्ट ने तो लाखों लोगों के निष्कासन का फैसला सुना दिया लेकिन सबसे बड़ी चुनौती इन लोगों की आधारभूत जरूरतों को पूरा करते हुए पुनर्वास की है। जब एक तरफ राज्य सरकारों के पास संसाधनों को लेकर तंगी व्याप्त है तो वे इतनी बड़ी संख्या में लोगों को किस प्रकार से स्थायित्व प्रदान करेंगे।
- मानवाधिकार और वन्य जीवन या पर्यावरण के बीच टकराव का इतिहास काफी पुराना है। कोर्ट के इस निर्णय ने इस टकराव को फिर से रेखांकित किया है।
- कुछ विद्वानों का मानना है कि कोर्ट के इस निर्णय के बाद भ्रष्टाचार में और बढ़ोत्तरी होगी क्योंकि लोग वन क्षेत्र पर अपना मालिकाना हक पाने के लिए रिश्वत आदि का प्रयोग करेंगे।

भारत का संविधान और आदिवासी एवं पर्यावरण संरक्षण

भारत का संविधान विभिन्न उपबन्धों के माध्यम से आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा करता है-

- संविधान के भाग 4 'राज्य की नीति के निदेशक तत्वों' (डपीएसपी) के अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जातियों एवं अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि हेतु प्रावधान किया गया है।
- डीपीएसपी के अनुच्छेद 48क में पर्यावरण संरक्षण और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान है।
- भाग 4क 'मूल कर्त्तव्य' के तहत प्राकृतिक पर्यावरण और प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखने का प्रावधान किया गया है।
- संविधान के भाग 9 और भाग 9क के क्रमशः अनुच्छेद 243D, अनुच्छेद 243M और अनुच्छेद 243ZC में आदिवासियों के संरक्षण का प्रावधान है। इनमें पंचायतों व नगरपालिकाओं के नियमों से छूट प्रदान की गयी है।
- संविधान का 'भाग 10' अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के बारे में कई उपबन्ध करता है। इस भाग के अनुच्छेद 244 और अनुच्छेद 244क संविधान की पाँचवीं और छठी अनुसूची के उपबन्धों को लागू करने का निर्देश प्रदान करते हैं।
- संविधान के भाग 16 'कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबन्ध' में अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा के लिए अनुच्छेद 338 (राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग), अनुच्छेद 338क, अनुच्छेद 339, अनुच्छेद 340 और अनुच्छेद 342 आदि का वर्णन किया गया है।

सुझाव

- सरकार को व्यक्तिगत वन अधिकारों के निरस्त होने के बाद मानवीय भूलों को सुधारने हेतु एक स्पष्ट तंत्र का विकास करना होगा।
- सरकार को ऐसी नीति या तंत्र विकसित करनी चाहिए, जिससे कि मानवाधिकारों और पर्यावरण के बीच संतुलन स्थापित हो सके। इसके लिए पर्यावरणविद् 'क्रिटिकल वाइल्डलाइफ हैबिटेट' (CWH- Critical Wildlife Habitat) के सिद्धांत का सुझाव प्रस्तुत करते हैं। सीडब्ल्यूएच को राष्ट्रीय पार्क, वन्यजीव अभयारण्य और जैवमण्डल रिजर्व आदि के रूप में लागू किया जाता है, जिसके लिए केन्द्र सरकार का 'पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय' नियम व प्रक्रिया तय करता है और राज्य सरकारें अपने-अपने क्षेत्रों में इन्हें लागू करती हैं। सीडब्ल्यूएच को लागू करने में यदि लोगों को पुनर्वासित करने की आवश्यकता होती है तो सरकार उन्हें तय नियम-कानून के अनुसार पुनर्वासित करती हैं।
- उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार यदि लोगों को वन क्षेत्रों से अन्यत्र स्थापित किया जाये तो उनकी आधारभूत जरूरतों के साथ पुनर्वासित किया जाना चाहिए। इस संबंध में 'भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013' (Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013) के प्रावधानों का कठोरता से पालन करना चाहिए।
- जनजातीय क्षेत्रों (संविधान की 5वीं अनुसूची में वर्णित) की जनजातीय विशिष्टताओं को ध्यान में रखते हुए संसद ने सन् 1996 में 'पेसा कानून' अर्थात् 'पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996' को निर्मित किया था, जिसके कार्यान्वयन में सामने आने वाली चुनौतियों की समीक्षा करने के लिए वर्ष 2016 में नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गयी थी, जिसने जनजातीय क्षेत्रों के उपयुक्त विकास के लिए कई प्रकार की सिफारिशें प्रस्तुत की थीं, अतः सरकार को उन्हें लागू करने पर ध्यान देना चाहिए।
- आदिवासी समुदायों एवं वन क्षेत्र में परम्परागत रूप से रह रहे अन्य निवासियों की सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य और शैक्षणिक आदि स्थिति पर गठित उच्च-स्तरीय समिति 'जाजा समिति' (Xaxa Committee) ने सन् 2014 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि देश में लगभग 60 प्रतिशत वन क्षेत्र आदिवासी क्षेत्रों में स्थित हैं और इन आदिवासियों को आज भी जीवन निर्वाह हेतु मौलिक आवश्यकताओं के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। इस समिति ने आदिवासियों के उत्थान और पर्यावरण संरक्षण पर कई सिफारिशें दी थीं, जिन्हें अमल में लाने की आवश्यकता है।

पेसा कानून

- पेसा पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996
- संविधान का अनुच्छेद 243क, पाँचवी अनुसूची के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों को संविधान के भाग 9 से छूट प्रदान करता है। साथ ही संसद को यह अधिकार देता है कि 'भाग 9' के प्रावधानों को यथोचित संशोधित करके अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों (5वीं अनुसूची में वर्णित) तक विधि द्वारा विस्तारित कर सकता है। भूरिया समिति के द्वारा 1995 में दी गयी सिफारिशों के आधार पर संसद ने 9 राज्यों (आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान) के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में संविधान के 'भाग 9 (पंचायती राज)' को 'पेसा कानून, 1996' के द्वारा विस्तारित किया। वर्तमान में यह 10 राज्यों (तेलंगाना सहित) में लागू है।
- इन राज्यों के 'अनुसूचित क्षेत्र' ऐसे क्षेत्र हैं, जिन्हें राष्ट्रपति ने अपने आदेश द्वारा घोषित किया है।
- राज्यों में पेसा प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु 'पंचायती राज मंत्रालय' एक नोडल मंत्रालय है।

- सन् 2007 में संयुक्त राष्ट्र का स्थानीय या देशज लोगों के अधिकारों या पुनर्वास से संबंधित घोषणापत्र आया था, जिस पर भारत ने भी हस्ताक्षर किये थे और स्थानीय लोगों के अधिकारों को संरक्षित करने के प्रति प्रतिबद्धता को प्रकट किया था।
- जनजातीय क्षेत्रों के विकास हेतु सरकार को अपनी प्रमुख योजनाओं (यथा-मनरेगा, एनआरएलएम इत्यादि) को विशेष तरीके से कार्यान्वयित करना चाहिए।
- सरकार को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जनजातियों या अन्य समुदायों को जागरूक करने के साथ-साथ जैविक खेती जैसी विधियों को अपनाने पर भी जोर देना चाहिए। इसके लिए विभिन्न गैर सरकारी संगठनों (NGOs) और स्वयं सहायता समूह (SHGs) आदि का योगदान लिया जा सकता है।

- वन क्षेत्रों में आदिवासियों के विकास और वन संरक्षण हेतु केन्द्र सरकार और राज्य सरकार को मिलकर समन्वित रूप से प्रयास करना होगा तथा विभिन्न सरकारी एजेंसियों के बीच तालमेल बिठाना होगा।
- वनों की सुरक्षा हेतु ग्राम पंचायत को मजबूत बनाना होगा। इसके लिए पंचायत में महिला प्रतिनिधियों की भागीदारी बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।
- प्राकृतिक संसाधनों (यथा-भूमि, जल, लघु वन उपज आदि) के प्रबंधन में जनजातीय लोगों के 'देशी ज्ञान' का उपयोग किया जाना चाहिए।
- मालिकाना हक पाने की कानूनी प्रक्रिया को सरल बनाने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

सरकार को ऐसी कार्ययोजना विकसित करनी होगी, जिससे आदिवासी लोगों की क्षमता निर्माण और पर्यावरण संरक्षण दोनों हो सकें। इसके लिए सरकार को विभिन्न पक्षकारों को साथ लेकर चलना होगा तथा 'वन अधिकार अधिनियम, 2006' जैसे प्रगतिशील कानूनों का सफल क्रियान्वयन भी सुनिश्चित करना होगा।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- केन्द्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ और इन योजनाओं का कार्य-निष्पादन, इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय।
- संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन।

■

5. भारत-सऊदी अरब-पाकिस्तान संबंध : एक विश्लेषण

चर्चा का कारण

हाल ही में सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भारत की यात्रा पर आये। उनकी यह यात्रा ऐसे समय पर हुई है, जब भारत-पाकिस्तान के बीच आतंकवाद के मुद्दे को लेकर तनाव चरम पर है। पाकिस्तान की यात्रा के बाद सऊदी प्रिंस भारत पहुँचे और भारतीय प्रधानमंत्री के साथ गहन व सफल वार्ता की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद भारत व सऊदी अरब ने व्यापार, निवेश व ऊर्जा सहयोग समेत विभिन्न क्षेत्रों में करार किये हैं।

पृष्ठभूमि

सऊदी अरब, पश्चिम एशिया का एक प्रमुख देश है। 2006 से पहले भारत और सऊदी अरब के बीच कुछ खास रिश्ते नहीं थे किन्तु बाद में धीरे-धीरे दोनों के बीच संबंधों में प्रगाढ़ता आई। सन् 2006 में सऊदी अरब के किंग भारत की यात्रा पर आये थे और इसके बाद सन् 2010 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सऊदी अरब की यात्रा पर गये थे तथा उन्होंने पश्चिम एशिया के इस देश को भारत की ऊर्जा सुरक्षा व डायस्पोरा (Diaspora) हेतु काफी महत्वपूर्ण बताया था। सन् 2014 में सऊदी अरब के किंग फिर से भारत की यात्रा पर आये और सन् 2016 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सऊदी अरब की यात्रा पर गए थे।

वर्तमान परिदृश्य

सऊदी प्रिंस की हालिया भारत यात्रा के निम्नलिखित परिणाम निकलकर सामने आये हैं-

- दोनों देश द्विवार्षिक शिखर बैठक करने और एक 'सामरिक साझेदारी परिषद' (Strategic Partnership Council) के गठन पर सहमत हुए हैं। एसपीसी के द्वारा दोनों देश सुरक्षा के मुद्दों पर समन्वित रूप से कार्रवाई कर सकेंगे। ध्यातव्य है कि एसपीसी में समुद्री और ऊर्जा सुरक्षा को प्रमुखता प्रदान की गयी है।
- नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड में निवेश के लिए दोनों देशों ने एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं।
- पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग हेतु एक एमओयू (Memorandum of Understanding) पर हस्ताक्षर हुआ है। इसके अलावा, आवास के क्षेत्र में सहयोग हेतु भी एमओयू पर हस्ताक्षर किये गये हैं।
- भारत की इन्वेस्ट इंडिया और सऊदी अरब की जनरल इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के बीच भी द्विपक्षीय निवेश संबंधों को बढ़ावा देने के लिए सहयोग ढाँचा करार पर हस्ताक्षर हुए हैं।
- प्रसार भारती एवं सऊदी ब्रॉडकास्ट को-ऑपरेशन के बीच भी सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए हैं।
- सऊदी अरब ने भारतीयों के लिए हज कोटे में वृद्धि की है।
- भारत, व्यापार और पर्यटन को बढ़ाने हेतु सऊदी अरब के नागरिकों के लिए ई-वीजा का विस्तार करने पर सहमत हुआ है।
- दोनों देशों की तरफ से जारी संयुक्त बयान में कहा गया कि आतंकवाद के लिए किसी संस्कृति, धर्म या क्षेत्र को आधार नहीं बनाया जा सकता है। इसमें आतंकवाद को पनाह देने वाले देशों से आग्रह किया गया कि वे ऐसा करना तत्काल रूप से बंद करें और आतंकियों को हथियार देना या वित्तीय सुविधा पहुँचाना भी बंद करें। इसके अलावा संयुक्त बयान में यह भी कहा गया कि भारत-पाकिस्तान को आपसी विवादों को द्विपक्षीय रूप से हल करना चाहिए। इसे भारतीय रक्षा विशेषज्ञ बड़ी जीत बता रहे हैं, क्योंकि यह कश्मीर पर भारत के रुख का समर्थन है। पाकिस्तान को यह बात चुभेगी कि कश्मीर पर उसकी बहानेबाजी एक तरीके से खारिज की गई है।
- सऊदी अरब ने भारत के साथ आर्थिक संबंधों को मजबूती प्रदान करने हेतु कई प्रकार के निवेशों की घोषणा की है, यथा- सऊदी अरब द्वारा 26 बिलियन डॉलर भारत की आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए दिया जायेगा और 44 बिलियन डॉलर का निवेश महाराष्ट्र में रत्नागिरी ऑयल रिफाइनरी को स्थापित करने के लिए किया जायेगा। ध्यातव्य है कि रत्नागिरी ऑयल रिफाइनरी, भारत के विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, अरामाको कम्पनी (सऊदी अरब) और आबूधाबी नेशनल ऑयल रिफाइनरी (संयुक्त अरब अमीरात) के आपसी सहयोग द्वारा स्थापित की जा रही है।
- दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) नियमित रूप से विभिन्न मुद्दों पर बातचीत करने हेतु नियमित रूप से मिलेंगे।

भारत के लिए सऊदी अरब का महत्त्व

पश्चिम एशिया में भारत के लिए सऊदी अरब काफी महत्वपूर्ण है, इसके निम्नलिखित कारण हैं-

- सऊदी अरब और उसके सहयोगी देशों में

भारत का विशाल डायस्पोरा निवास करता है।

- चीन, अमेरिका और जापान के बाद सऊदी अरब भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। 2017-18 में भारत और सऊदी अरब के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 27 बिलियन डॉलर था। इसके अतिरिक्त सऊदी अरब, भारत के कुल वैश्विक आयातों में लगभग 4.74 प्रतिशत हिस्सा रखता है अर्थात् सऊदी अरब भारत के वैश्विक आयातों में तीसरा सबसे बड़ा स्रोत है। इसी प्रकार भारत, सऊदी अरब के कुल वैश्विक आयातों में लगभग 4.13 प्रतिशत हिस्सा रखता है अर्थात् भारत सऊदी अरब के वैश्विक आयातों में 7वें सबसे बड़े स्रोत की भूमिका अदा करता है।
- भारत अपने कुल कच्चे तेल (Crude Oil) का लगभग 17 प्रतिशत सऊदी अरब से आयात करता है, इससे स्पष्ट है कि हमारी ऊर्जा जरूरतों के लिए सऊदी अरब काफी महत्वपूर्ण है।
- पश्चिम एशिया में अमेरिका के अतिरिक्त चीन दखल दे रहा है, इसलिए भारत भी अपने हितों को खाड़ी क्षेत्र में संरक्षित करने हेतु सऊदी अरब एवं अन्य पश्चिम एशिया के देशों के साथ संबंधों को प्रगाढ़ता प्रदान कर रहा है और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोगों की सम्भावनाओं को तलाश रहा है, जैसे- खुफिया सूचनाओं का साझाकरण, आतंकवाद, सैन्य अभ्यास और धनशोधन आदि।
- इस्लामिक सहयोग संगठन (ओआईसी) में शामिल होने हेतु भारत को खाड़ी देशों का भरोसा प्राप्त हो रहा है। इसके अलावा भारत, सऊदी अरब के साथ निकटता बढ़ाने की कोशिश लगातार कर रहा है। ध्यातव्य है कि ओआईसी में पाकिस्तान को सदस्यता मिली हुई है, जबकि भारत ओआईसी का सदस्य देश नहीं है। पाकिस्तान ओआईसी का इस्तेमाल कश्मीर जैसे मुद्दों के अंतर्राष्ट्रीयकरण हेतु करता आ रहा है।
- पिछले कुछ वर्षों में सऊदी अरब ने नए आधुनिक मूल्यों को आत्मसात् करते हुए अपनी अर्थव्यवस्था में विविधता लाने, अपनी शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार करने, आतंकवाद और कट्टरवाद के सभी स्वरूपों का विरोध करने इत्यादि में काफी उल्लेखनीय प्रयास किये हैं। भारत को नए एवं उच्च मूल्यों वाले सऊदी अरब से काफी फायदा होगा क्योंकि यहाँ भारत के लोग काफी संख्या में विभिन्न रोजगारों में संलग्न हैं।

इस प्रकार स्पष्ट है कि 21वीं सदी में सऊदी अरब भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त जिस प्रकार सऊदी अरब भारत के लिए महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार भारत भी सऊदी अरब के लिए महत्वपूर्ण है, जिसे निम्न आधारों पर समझा जा सकता है-

- सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था पेट्रोलियम उत्पादन पर निर्भर है और भारत एक प्रमुख पेट्रोलियम पदार्थों का खरीदकर्त्ता देश है।
- सऊदी प्रिंस अपने 'विजन 2030' के तहत सऊदी अरब को नए आधुनिक मूल्यों वाले राष्ट्र में तब्दील करने के लिए इच्छुक हैं। इस स्थिति में भारत के अनुभव उनके लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। भारत में मानवाधिकार, महिला स्वतंत्रता और सामाजिक सौहार्दयता आदि बेहतर स्थिति में हैं, जिसकी प्रशंसा खाड़ी देशों में खूब की जाती है।
- समुद्री सुरक्षा में भारत काफी बेहतर स्थिति में है और भारत की नौसेना दुनिया की आधुनिकतम व शक्तिशाली नौसेनाओं में गिनी जाती है। अतः सऊदी अरब भारत की इस शक्ति का लाभ उठाना चाहता है।
- भारत के संबंध इजरायल, तुर्की, ईरान और सऊदी अरब से समान रूप में अच्छी अवस्था में हैं, जबकि सऊदी अरब की इजरायल और ईरान से पुरानी दुश्मनी है और पत्रकार 'जमाल खगोशी' की हत्या के बाद तुर्की से भी संबंध काफी खराब हो चुके हैं। ऐसे में सऊदी अरब को भारत जैसी सॉफ्ट पावर की जरूरत बढ़ जाती है।
- पर्यावरण और आतंकवाद ऐसे वैश्विक मुद्दे हो चुके हैं जो देशों को आपस में सहयोग करने हेतु मजबूर कर रहे हैं।

खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी)

यह फारस की खाड़ी के आसपास स्थित देशों (सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान) का एक क्षेत्रीय अंतर्सरकारी राजनैतिक व आर्थिक संगठन है। ये देश भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं। सन् 2018 में भारत ने इन देशों से अपने प्रवासियों के द्वारा लगभग 40 बिलियन डॉलर का प्रेषण (Remittances) प्राप्त किया था। गौरतलब है कि जीसीसी के तीन देशों (कतर, कुवैत और बहरीन) में संवैधानिक राजशाही (Constitutional Monarchies), दो देशों (सऊदी अरब, ओमान) में पूर्ण राजशाही (Absolute Monarchies) है और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में संघीय राजशाही (Federal Monarchies) है।

- भारत सॉफ्टवेयर उद्योग और सर्विस सेक्टर में काफी आगे है। अतः सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था में विविधता लाने हेतु ये दोनों देश अपना महत्वपूर्ण योगदान अदा कर सकते हैं।
- सऊदी अरब के उत्पादों के लिए भारत एक बड़ा बाजार है।
- सऊदी अरब के निवेश के लिए भारत काफी सुरक्षित व लाभकारी स्थान रखता है।

सऊदी अरब-भारत-पाकिस्तान त्रिकोण

सऊदी अरब के लिए भारत की उपयोगिता काफी महत्वपूर्ण है लेकिन सऊदी अरब, पाकिस्तान को ताक पर रखकर भारत के साथ एक सीमा से आगे नहीं बढ़ पायेगा, जिसके निम्नलिखित कारण हैं-

- सऊदी अरब और पाकिस्तान परम्परागत रूप से काफी घनिष्ठ मित्र रहे हैं। शीत युद्ध के समय जब भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रणेता बना हुआ था तब सऊदी अरब और पाकिस्तान, अमेरिका के प्रमुख सहयोगी देश थे।
- सऊदी अरब और पाकिस्तान, दोनों ही राष्ट्र विचारधारा में काफी समानता रखते हैं, जैसे- दोनों ही देशों में शासन व्यवस्था इस्लाम की विचारधारा पर आधारित है और दोनों ही सुन्नी बाहुल्य देश हैं। इसके विपरीत भारत एक पंथनिरपेक्ष राष्ट्र है और यहाँ हर धर्म, वर्ग, जाति, भाषा और संस्कृति के लोग निवास करते हैं।
- भारत एक मजबूत लोकतांत्रिक देश है, जो अपनी सेना को संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में शांति स्थापित करने हेतु भारत से बाहर भेजता है। इसके विपरीत, पाकिस्तान में लोकतंत्र अभी काफी निम्न स्थिति में है और वहाँ सेना का प्रभाव काफी अधिक है। इस स्थिति में सऊदी अरब के प्रिंस को लगता है कि पश्चिम एशिया में उनके हितों की रक्षा करने में पाकिस्तानी सेना बखूबी साथ निभायेगी, जबकि भारत से इस प्रकार की उम्मीद वो दूर-दूर तक नहीं कर सकते हैं। ध्यातव्य है कि सऊदी अरब की मदद हेतु पहले भी पाकिस्तान ने सैन्य मदद की है।
- यमन में पिछले कई वर्षों से गृह युद्ध जारी है, जिसमें सऊदी अरब, यूएई (संयुक्त अरब अमीरात) और ईरान आदि बाहरी शक्तियाँ उलझी हुयी हैं। इस स्थिति में पाक सेना के सहयोग की सऊदी अरब अपेक्षा कर रहा है।
- 2010 में शुरू हुई अरब स्प्रिंग के बाद से सऊदी अरब के शासकों को डर सताने लगा है कि कहीं उनके देश में लोकतंत्र की स्थापना हेतु माँग न उठने लगे और उन्हें देश

छोड़कर भागना पड़े। इस स्थिति में सऊदी शासक अपनी राजशाही बचाने हेतु पाकिस्तान सेना की मदद की ओर रुख कर सकते हैं।

- हाल ही में पाकिस्तान की सरजमीं पर पल रहे आतंकियों ने ईरान की प्रतिष्ठित रिवोल्यूशनरी गार्ड्स पर आत्मघाती हमला किया था, जिसमें लगभग 27 जवानों की मौत हो गयी थी। इस हमले के लिए ईरान ने पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया था और कहा था कि उसे इसका खामियाजा भुगतना होगा। इस स्थिति में सऊदी अरब और पाकिस्तान का नजदीक आना स्वाभाविक है, क्योंकि सऊदी अरब और ईरान पश्चिम एशिया में एक-दूसरे के धुर-विरोधी हैं। गौरतलब है कि भारत और ईरान के संबंध सामान्य अवस्था में हैं और भारत ने ईरान के चाबहार बंदरगाह में काफी निवेश भी किया है।
- तालिबान और पाकिस्तान के बीच घनिष्ठता जगजाहिर है, तो ऐसे में अफगानिस्तान में सऊदी अरब द्वारा शांति व प्रभुत्व स्थापित करने के प्रयास में पाकिस्तान अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उल्लेखनीय है कि भारत, अफगानिस्तान की लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को मान्यता देता है और तालिबान से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखता है।

नोट: अफगानिस्तान में अमेरिकी फौजों के प्रवेश के पहले तालिबान का अफगानिस्तान में शासन था, जिसे अमेरिका ने उखाड़ फेंका था, लेकिन वर्तमान में अफगानिस्तान की 60 प्रतिशत से भी अधिक सरजमीं पर तालिबान का शासन चलता है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि सऊदी अरब के लिए भारत की महत्ता होते हुए भी पाकिस्तान को एक सीमा से ज्यादा वह दरकिनार नहीं कर सकता है, इसीलिए हाल ही में भारत के पूर्व पाकिस्तान की यात्रा पर गये सऊदी प्रिंस ने पाकिस्तान में कई प्रकार के निवेश करने और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की घोषणा की है। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद के खिलाफ उठाये गए कदम काफी सराहनीय हैं।

सुझाव

- भारत को सऊदी अरब पर लगातार दबाव बनाए रखना होगा कि वह पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद के खात्मे हेतु अपने मजबूत इरादों को प्रकट करें।
- भारत को अपनी विदेश नीति को काफी संतुलित रखने की जरूरत है और पश्चिम एशिया की विभिन्न शक्तियों (यथा- सऊदी अरब, तुर्की, इजरायल, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान आदि) के बीच संतुलन साधना चाहिए।
- सऊदी अरब एक स्तर से आगे पाकिस्तान पर यदि दबाव नहीं बना सकता है तो भारत को लाइक माइन्डेड कन्ट्रीज (Like Minded Countries) के साथ मिलकर पाकिस्तान को 'प्रति-सन्तुलित' (Counter Balance) करना होगा। इसमें ईरान और अफगानिस्तान का साथ लिया जा सकता है क्योंकि ये दोनों ही देश पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद से पीड़ित हैं।
- भारत को सऊदी अरब या अन्य पश्चिम एशियाई देशों के साथ अपने संबंधों का आधार सिर्फ पाकिस्तान के 'प्रति-सन्तुलन' को लेकर नहीं प्रदान करना चाहिए। संबंधों का दायरा या दृष्टिकोण विस्तृत होना चाहिए।
- भारत को पश्चिम एशिया में शांति की स्थापना, अपने डायस्पोरा की सुरक्षा और ऊर्जा जरूरतों आदि को ध्यान में रखते हुए खाड़ी देशों से संबंधों को और मजबूत बनाना होगा।

आगे की राह

सऊदी अरब सहित अन्य खाड़ी देशों का भारत के लिए अत्यधिक महत्त्व है। अतः हमारी सरकार को अपनी विदेश नीति में विविधता लाने के साथ-साथ इन देशों के साथ संबंधों को नए आयाम तक पहुँचाना होगा। हमारी विदेश नीति में लघु और दीर्घ अवधि, दोनों दृष्टिकोणों का समावेशन होना चाहिए। लघु अवधि के दृष्टिकोण में पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद जैसे मुद्दों को शामिल करना होगा, तो वहीं दीर्घकालिक दृष्टिकोण में ऊर्जा जरूरतों, व्यापार और प्रवासी भारतीय जैसे मुद्दों को शामिल किया जा सकता है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और/अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले समझौते।

■

6. भारत में दूरसंचार क्षेत्र : एक अवलोकन

चर्चा का कारण

हाल ही में भारती एयरटेल के प्रमुख 'सुनील भारती मित्तल' ने कहा है कि सरकार को देश में 5जी सेवाओं के विकास हेतु नीलामी में स्पेक्ट्रम की कीमतों को कम रखना चाहिए क्योंकि दूरसंचार से जुड़ी निजी कंपनियाँ 5जी के लिए आधारभूत ढाँचा तैयार कर रही हैं, जिसमें सरकार को मदद करनी चाहिए।

परिचय

21वीं सदी में दूरसंचार क्षेत्र ने भारत को एक नई दिशा प्रदान की है और यह क्षेत्र तेजी से विकसित हो रहा है। 1995 में दूरसंचार क्षेत्र में उदारीकरण का कार्य प्रारम्भ हुआ, जिसके बाद इस क्षेत्र ने नई-नई ऊँचाईयों को छुआ जो आज भी अनवरत रूप से जारी है। दूरसंचार क्षेत्र का देश की जीडीपी में योगदान लगातार बढ़ रहा है और अनुमान है कि 2020 तक यह 10 प्रतिशत तक हो जायेगा। वर्तमान में भारत, चीन के बाद दूरसंचार क्षेत्र में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। यहाँ 100 करोड़ से भी अधिक मोबाइल फोन के उपभोक्ता हैं, जो वृहद स्तर पर इंटरनेट और फोन कॉल्स आदि का इस्तेमाल करते हैं।

दूरसंचार और डिजिटल क्षेत्र का महत्त्व

भारत में दूरसंचार एवं डिजिटल क्षेत्र के महत्त्व को निम्नलिखित बिन्दुओं के आधार पर समझा जा सकता है-

- टेलीकॉम विभाग से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में तेजी से बदलाव दूरसंचार क्षेत्र की ही वजह से सम्भव हो पा रहा है। जो बदलाव अमूमन 20 से 25 वर्षों में होते हैं, उन बदलावों को भारतीय समाज दूरसंचार के माध्यम से 2 से 3 वर्षों में ही प्राप्त कर लेती है।
- भारत में लगभग 40 मिलियन लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दूरसंचार क्षेत्र में कार्यरत हैं।
- सरकार को दूरसंचार से काफी मात्रा में टैक्स के रूप में राजस्व प्राप्त होता है अर्थात् यह सरकार के लिए दूसरा सबसे बड़ा राजस्व प्राप्त करने वाला स्रोत है।

- सामान्यत: दूरसंचार बाजार को तीन खण्डों- वायरलेस (Wireless), वायरलाइन (Wireline) और इंटरनेट सेवा में विभाजित किया जाता है। वायरलेस मार्केट, कुल सब्सक्राइबर बेस (Subscriber Base) का लगभग 98.1 प्रतिशत हिस्सा रखता है।

दूरसंचार क्षेत्र का लाभ

दूरसंचार क्षेत्र ने भारत की अर्थव्यवस्था से लेकर समाज आदि सभी पर उल्लेखनीय प्रभाव डाले हैं, जिसे निम्नांकित बिन्दुओं के आधार पर समझा जा सकता है-

- 21वीं सदी में दूरसंचार क्षेत्र ने भारतीय अर्थव्यवस्था को नई गति प्रदान की है। स्मार्टफोन के बढ़ते हुए प्रयोग को देखते हुए कुछ अर्थशास्त्री कहते हैं कि वह दिन दूर नहीं जब ई-कॉमर्स, ई-बैंकिंग इत्यादि स्मार्टफोन में समाहित हो जायेंगे। आज विश्व में उन्हीं कम्पनियों (यथा- गूगल, फेसबुक, अमेजन एवं अन्य) का राज है जो डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रही हैं।
- दूरसंरचार क्षेत्र ने भारतीय समाज को गतिशील व आधुनिक बनाने में भी योगदान दिया है। आज विभिन्न सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए लोग अपने विचारों को एक-दूसरे के साथ साझा कर रहे हैं।
- दूरसंचार क्षेत्र ने देश में कनेक्टिविटी को बढ़ाकर देश के एकीकरण में भी योगदान दिया है।
- ई-शिक्षा ने शिक्षा को उस दरवाजे तक भी पहुँचा दिया है, जो इससे सदियों से महरूम थे। ई-शिक्षा ने शिक्षा तक अमीर-गरीब और शहरी-ग्रामीण आदि सभी की समान पहुँच सुनिश्चित की है। दूसरे शब्दों में इससे हर वर्ग, जाति, धर्म और क्षेत्र के लोगों को समान रूप से फायदा पहुँचा है। सरकार डिजिटल लाइब्रेरी के द्वारा लाखों किताबों को सहेज रही है और उन्हें जनता के लिए ऑनलाइन उपलब्ध भी करवा रही है, जैसे- एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों को सरकार ने विद्यार्थियों को मुफ्त में ऑनलाइन उपलब्ध कराया है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने तमाम महत्वपूर्ण पाण्डुलिपियों व पुरानी किताबों को डिजिटल रूप से सहेजने का भी कार्य किया है ताकि इनकी जानकारियों के द्वारा हम अपने अतीत/इतिहास के बारे में बेहतर समझ विकसित कर सकें और भावी रणनीति को उत्तम ढंग से तैयार कर सकें।
- ई-स्वास्थ्य ने भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र पर अपना गहरा प्रभाव छोड़ा है। आज दूर-दराज क्षेत्र में भी टेलीमेडिसिन और डिजिटल माध्यम से डॉक्टरी सलाह से बेहतर इलाज सम्भव हो पा रहा है।
- दूरसंचार क्षेत्र ने राजनैतिक व प्रशासनिक व्यवस्था के विकास को गति प्रदान की है। जनता अब डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग कर बेहतर तरीके से सरकारी कार्यों की समीक्षा कर पा रही है। इसके अलावा, प्रशासन जनता को अपनी योजनाओं व कार्यक्रमों के बारे में जागरूक करने के लिए दूरसंचार क्षेत्र का सहारा लेता है। भारत में चुनावों में राजनैतिक पार्टियाँ अपने विचारों व योजनाओं को जनता तक पहुँचाने में इस क्षेत्र का जमकर प्रयोग करती हैं।
- आपदा प्रबंधन में भी दूरसंचार क्षेत्र ने अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया है। आपदा के पूर्व प्रशासन विभिन्न तरह की चेतावनी दूरसंचार क्षेत्र के माध्यम से लोगों तक पहुँचाता है। आपदा के समय या आपदा के बाद भी सरकार व जनता आपस में इस क्षेत्र के माध्यम से आसानी से जुड़ते हैं।
- कानून व्यवस्था को सुदृढ़ता प्रदान करने में भी दूरसंचार व डिजिटल क्षेत्र ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पुलिस इस क्षेत्र का उपयोग करते हुए विभिन्न अपराधियों के डाटा का डिजिटलीकरण करके अन्य सरकारी एजेंसियों तक साझा कर रही है ताकि अपराध को समन्वित प्रयास से रोका जा सके। सरकार अब अपराधियों के डीएनए की जानकारियों को भी डिजिटल रूप से सहेजने पर बल दे रही है। इसी प्रकार नागरिक भी कानूनी सुरक्षा प्राप्त करने में दूरसंचार क्षेत्र का उपयोग कर रहे हैं, जैसे- डायल 100 के द्वारा पुलिस सहायता पाना, ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करना इत्यादि।
- न्यायालय ने मुकदमों की फाइलों को डिजिटल रूप प्रदान करने पर बल दिया है और मुकदमों की स्थिति जानने हेतु जनता की ऑनलाइन पहुँच को सुनिश्चित किया है। इसके अलावा, न्यायालय वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के द्वारा भी मुकदमों की सुनवाई कर रहा है।
- महिलाओं को दूरसंचार क्षेत्र की तकनीकों ने घर के अन्दर और बाहर दोनों जगह सुरक्षा प्रदान की है। मोबाइल की पैनिक बटन ने महिलाओं की सुरक्षा हेतु अचूक हथियार प्रदान किया। दूरसंचार क्षेत्र ने महिला हिंसा को मंद किया है और उनके अन्दर जागरूकता को नया आयाम दिया है।
- युद्ध के समय, सरकार लोगों (मुख्यत: बॉर्डर पर बसे लोगों) को सुरक्षित स्थानों तक पहुँचाने व अन्य प्रकार की चेतावनी जारी करने में दूरसंचार का उपयोग करती है।
- पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता लाने में दूरसंचार व डिजिटल क्षेत्र ने अतुलनीय योगदान दिया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म के बढ़ते प्रयोग ने कागज के उपयोग को सीमित किया है, जिससे पेड़ों की कटाई कम हो रही है। सरकार जीवों की मॉनीटरिंग करते हेतु दूरसंचार की आधुनिकतम तकनीकों का इस्तेमाल कर रही है, जैसे- एम-स्ट्रिप्स (M-STrIPES) इत्यादि।

> एम-स्ट्रिप्स (Monitoring System for Tiger's - Intensive Protection and Ecological Status) को 2010 में बाघ अभयारण्यों में बाघों की निगरानी हेतु शुरू किया गया था। यह एक सॉफ्टवेयर मॉनीटरिंग सिस्टम है जो बाघों की गतिविधियों को प्रबंधित करने हेतु जीआइएस (भौगोलिक सूचना प्रणाली) का उपयोग करता है।

- किसी भी सरकार को शासन-प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने हेतु अपने नागरिकों का निजी व अन्य प्रकार के डाटा की आवश्यकता होती है, जिसे प्राप्त करने व संरक्षित करने में दूरसंचार और डिजिटल प्रौद्योगिकी का अहम रोल है।
- अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के व्यावहारिक उपयोग को जनता तक पहुँचाने में दूरसंचार व डिजिटल क्षेत्र का योगदान होता है। इसके अलावा, दूरसंचार क्षेत्र अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के उन्नति में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

चुनौतियाँ

वर्तमान में दूरसंचार व डिजिटल क्षेत्र को विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है-

- वित्तीय वर्ष 2017-18 में दूरसंचार क्षेत्र की सकल आय (Gross Revenue) में 15% से 20% तक की गिरावट आई है और दूरसंचार क्षेत्र की कंपनियों पर ऋण बोझ भी बहुत अधिक बढ़ गया है, जो यह दर्शाता है कि यह क्षेत्र अब धीरे-धीरे घाटे की ओर अग्रसर है।
- भारत में दूरसंचार क्षेत्र के लिए स्पेक्ट्रम की उपलब्धता यूरोपीय यूनियन की तुलना में

40% और चीन की तुलना में 50% कम है। इस प्रकार स्पष्ट है कि भारत में स्पेक्ट्रम उपलब्धता अपेक्षाकृत काफी कम है, जो दूरसंचार और डिजिटल क्षेत्र के विकास में प्रमुख बाधा है। भारत सरकार ने इस स्थिति को दूर करने के बजाय इसे और गम्भीर करने की ओर कदम बढ़ाये हैं, जैसे- स्पेक्ट्रम की नीलामी को उच्च कीमतों पर रखा जाना। इन स्थितियों में दूरसंचार क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा ग्राहकों को उचित दर की व गुणवत्तापूर्ण सेवाएँ उपलब्ध कराना काफी कठिन हो गया है।

- रिलायंस जियो (Jio) ने बाजार में उच्च प्रतियोगिता को स्थापित करने के साथ-साथ टैरिफ युद्ध को भी जन्म दिया है। जियो ने अपने शुरूआती दिनों में वॉयस (Voice) और इंटरनेट, दोनों सेवाओं को मुफ्त उपलब्ध कराया था और अब इन्हें काफी सस्ती दरों पर उपलब्ध करा रहा है। इस स्थिति में अन्य टेलीकॉम कम्पनियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उनके पास जियो जैसी पूँजी का अभाव है। इस संदर्भ में एक प्रतिष्ठित दूरसंचार कम्पनी के चेयरपर्सन ने कहा था कि आज दूरसंचार क्षेत्र में भीषण गला-काट प्रतियोगिता है। यहाँ वहीं टिका रह सकता है जिसके पास दैवीय प्रकृति का 'पैसों का पाइप' है। कई विद्वान इस गला-काट प्रतियोगिता पर आशंका व्यक्त करते हैं कि कुछ कंपनियाँ दूरसंचार क्षेत्र में अपना एकाधिकार स्थापित करने हेतु उपर्युक्त प्रकार की परिस्थितियों को जन्म दे रही हैं।
- भारत में अर्द्ध-ग्रामीण और ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार अवसंरचना का भारी अभाव देखने को मिलता है क्योंकि इन क्षेत्रों में लाभ कम और निवेश अधिक की स्थितियों को देखते हुए दूरसंचार क्षेत्र की कम्पनियाँ रुचि नहीं लेती हैं। इसके अलावा इन क्षेत्रों में दूरसंचार अवसंरचना के अभाव के लिए बिजली व सड़क जैसी बुनियादी संरचनाओं की कमी भी जिम्मेदार है।
- 21वीं सदी में जिस गति से दूरसंचार व डिजिटल क्षेत्र के बाजार का विस्तार हुआ है, उस गति से इस क्षेत्र के संचालन, रखरखाव और उपकरणों (जैसे- मोबाईल, टेबलेट, कम्प्यूटर आदि) के निर्माण आदि के लिए प्रशिक्षित कर्मियों का विस्तार नहीं हो पाया है। भारत में आज भी कुशल कामगारों का अभाव है।
- भारत में दूरसंचार व डिजिटल क्षेत्र की आधुनिक तकनीकों की स्वीकार्यता अपेक्षाकृत कम है, जिसके लिए लोगों की कम आय के साथ सरकार की नीतियाँ भी जिम्मेदार हैं।
- व्हाट्सएप, फेसबुक, स्काइप और गूगल प्लस आदि कंपनियाँ फ्री वीडियो कॉलिंग एवं मैसेजिंग सेवा उपलब्ध करा रही हैं, जिससे दूरसंचार कम्पनियों को घाटा हो रहा है।
- सरकार ने लाइसेंस शुल्क सहित अन्य प्रकार की विभिन्न शुल्क फीस दूरसंचार क्षेत्र की कम्पनियों पर लगा रखी है, जो दुनिया के अन्य देशों से काफी अधिक है।
- आर्थिक सर्वेक्षण, 2017-18 ने भी यह रेखांकित किया है कि दूरसंचार क्षेत्र संकट का सामना कर रहा है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि इस संकट ने दूरसंचार क्षेत्र के निवेशकों, ऋणदाताओं, विक्रेताओं और अन्य भागीदारों पर गहरा असर डाला है।

उपर्युक्त प्रकार की स्थितियों को देखते हुए दूरसंचार क्षेत्र के विशेषज्ञ कहते हैं कि विभिन्न प्रकार की बाधाओं और सरकार के नीतिगत दोषों के चलते दूरसंचार क्षेत्र में बड़ी आपदा देखने को मिल सकती है, जो अर्थव्यवस्था और रोजगार में भारी तबाही लाने के साथ-साथ भारी मात्रा में बैंकिंग एनपीए को जन्म देगी। अतः सरकार को समय रहते इस क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण हेतु कदम उठाने होंगे।

सरकारी प्रयास

- भारत सरकार अपनी राष्ट्रीय डिजिटल कम्युनिकेशन नीति (एनडीसीपी), 2018 के द्वारा दूरसंचार क्षेत्र को एक आवश्यक बुनियादी ढाँचा और अन्य प्रकार की सुविधाएँ प्रदान कर रही हैं।
- सरकार ने ईज ऑफ डूईंग बिजनेस के तहत लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया सहित दूरसंचार कम्पनियों के आपसी विलय को आसान बनाया है। आज इस क्षेत्र में 4 से 5 प्रमुख कम्पनियाँ मौजूद हैं जो अपने पास उचित मात्रा में स्पेक्ट्रम और अन्य संसाधन रखती हैं।
- सरकार ने इस क्षेत्र में भी कौशलयुक्त कामगारों को उपलब्ध कराने हेतु 'राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन 2015' को शुरू किया और इस मिशन के तहत लोगों को दूरसंचार व डिजिटल कौशल उपलब्ध कराने हेतु 'दूरसंचार क्षेत्र कौशल परिषद' (टीएसएससी) को कार्यभार सौंपा।

> नोट: टीएसएससी, एक गैर-लाभकारी संगठन है जो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत है। टीएसएससी का निर्माण सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इण्डिया (COAI), इंडियन सेल्युलर एसोसिएशन (ICA), राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) और टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सिलेंस (TCOE) आदि ने मिलकर किया था।

- सरकार ने राष्ट्रीय ऑप्टिक (Optic) फाइबर नेटवर्क को सुदृढ़ किया है, जिससे ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी में तेजी आई है।
- 'मोबाईल वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर' (Mobile Virtual Network Operator) की अवधारणा ने नए अवसरों को जन्म दिया है।
- नई राष्ट्रीय दूरसंचार नीति (नोडल संस्था- दूरसंचार आयोग) के तहत भारत में दूरसंचार क्षेत्र में स्थाई निवेश और स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति (2018) के तहत 2022 तक दूरसंचार क्षेत्र में 100 बिलियन डॉलर के निवेश को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है।
- दूरसंचार क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की कैप (Cap) को 74% से बढ़ाकर 100% कर दिया गया है। गौरतलब है कि 100 फीसदी एफडीआई में से 49 फीसदी ऑटोमेटिक रूट के जरिए और शेष 51 फीसदी 'एफआईपीबी अप्रूवल रूट' (FIPB Approval Route) के जरिए आयेगा।
- भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को लॉन्च किया है, जिसके तहत सभी क्षेत्रों (यथा- स्वास्थ्य, खुदरा, शिक्षा, कॉमर्स आदि) को इंटरनेट के माध्यम से जोड़ा जा रहा है।
- भारत सरकार अपने महत्वाकांक्षी 'स्मार्ट सिटी मिशन' के तहत 100 शहरों को स्मार्ट सिटी में तब्दील करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें आईओटी (इंटरनेट ऑफ थिंग्स) की अहम भूमिका रहेगी।
- केन्द्र सरकार ने टेलीकॉम क्षेत्र के उत्थान हेतु एक 'अंतर-मंत्रालयी समूह' (आईएमजी) का गठन किया था, जिसकी सिफारिशें निम्नलिखित हैं-
  - वार्षिक लाइसेंस शुल्क को कम किया जाये।
  - स्पेक्ट्रम की कीमतों को वाजिब मूल्यों पर रखा जाये।
  - अन्य आवश्यक वस्तुओं की तरह दूरसंचार क्षेत्र पर भी जीएसटी की दरों को कम किया जाये।

- स्पेक्ट्रम आवंटन के समय शुल्क अदायगी को किश्तों (Installments) में उपलब्ध कराया जाये।
- दूरसंचार क्षेत्र के द्वारा लिए गए ऋण की ब्याज दरों को कम किया जाये।

सुझाव

- दूरसंचार और डिजिटल क्षेत्र आज मानव की विभिन्न मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है, इसलिए सरकार को इसे सिर्फ राजस्व प्राप्त करने के स्रोत के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि एक ऐसा व्यवस्थित ढाँचा तैयार करना चाहिए जिससे इस क्षेत्र का देश की जीडीपी में अनवरत योगदान जारी रह सके।
- किसी भी क्षेत्र में प्रतिस्पर्द्धा अति आवश्यक होती है, क्योंकि यह ग्राहकों के लिए फलदायी होती है, किन्तु सरकार को यह देखना होगा कि कोई भी कम्पनी विशेष क्षेत्र (यथा- दूरसंचार, डिजिटल आदि) में अपना एकाधिकार न व्याप्त कर ले।
- सरकार को दूरसंचार क्षेत्र की 5जी जैसी उच्च तकनीक के विकास के लिए एक स्पष्ट नीति बनानी होगी। इसके लिए सरकार को निजी क्षेत्र की मदद करने के अलावा सार्वजनिक निवेश भी दूरसंचार क्षेत्र में बढ़ाना होगा।
- दूरसंचार क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों (यथा- 5जी आदि) के विकास हेतु अनुसंधान एवं विकास (आर एण्ड डी) को प्रोत्साहित करना होगा।
- सरकार को ट्राई (भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण) को और अधिक मजबूत करना होगा ताकि दूरसंचार क्षेत्र में स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा दिया जा सके।

आगे की राह

आज मोबाईल फोन और इंटरनेट सेवा लोगों की दैनिक जरूरतें हो गयी हैं, इनके बिना बेहतर जीवन की कल्पना मुश्किल हो गयी है। इसलिए सरकार को लोगों की इस मूलभूत आवश्यकता को पूरा करने के लिए दूरसंचार क्षेत्र में व्याप्त चुनौतियों को तात्कालिक रूप से समाप्त करना होगा और इस क्षेत्र के विकास हेतु एक भावी रणनीति तैयार करनी होगी।

दूरसंचार एवं डिजिटल क्षेत्र एक फलदायी पेड़ है, जिस पर 21वीं सदी की सूचना क्रांति टिकी हुई है, अतः सरकार को इसके उपयोग और संरक्षण दोनों को बराबर महत्त्व देना होगा।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी-विकास एवं अनुप्रयोग और रोजमर्रा के जीवन पर इसका प्रभाव।

■

7. अरावली श्रेणी : भारत में सबसे अधिक संकटग्रस्त

चर्चा का कारण

हाल ही में अरावली पहाड़ियों में हो रहे अवैध खनन पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही आदेशों के खिलाफ नया कानून बनाने पर हरियाणा सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। ज्ञातव्य है कि हरियाणा सरकार ने पंजाब भूमि परिरक्षण संशोधन विधेयक-2019 को विधान सभा में पारित कर अरावली संरक्षित क्षेत्र में अवैध निर्माण के एक बड़े हिस्से को वैध बनाने और इस क्षेत्र में पेड़ काटने और निर्माण कार्य करने की अनुमति दे दी थी।

पृष्ठभूमि

पर्यावरणविदों ने अरावली क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन को रोकने के लिए अनेक जनहित याचिकाएँ दायर की थीं। अवैध खनन को रोकने के लिए पहली जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालय में 1985 में दायर की गई। 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि इस क्षेत्र में सभी खनन एवं औद्योगिक गतिविधियों की मंजूरी केन्द्र सरकार द्वारा दी जाएगी।

लगभग एक दशक बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-हरियाणा सीमा से 0.5 किमी. तक के क्षेत्र में पानी की पम्पिंग सहित सभी विकासात्मक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया। इसी परिप्रेक्ष्य में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में पड़ने वाली अरावली क्षेत्र में भी इस तरह की गतिविधियों को प्रतिबंधित किया था।

सुप्रीम कोर्ट के प्रतिबंधन से बचने के लिए राजस्थान राज्य खनन विभाग द्वारा पहाड़ों को फिर से परिभाषित किया गया। नई परिभाषा के अनुसार 100 मी. से कम ऊँचाई वाले क्षेत्र को पहाड़ के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता।

वर्ष 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से अरावली क्षेत्र में खनन पर प्रतिबंध लगाया, ऐसा स्पष्ट शर्तों के निरंतर उल्लंघनों के कारण किया गया था। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि इस क्षेत्र में जलदोहन नहीं होना चाहिए और जल संचयन के उपाय भी किए जाने चाहिए लेकिन इसके बाद भी शीर्ष न्यायालय के आदेशों की अनदेखी की गई।

वर्तमान परिदृश्य

अरावली पर्वतमाला जैसी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संरचना का बड़ा हिस्सा बीते चार दशक में पूरी तरह न केवल नदारद हुआ, बल्कि कई जगह उत्तुंग शिखर की जगह डेढ़ सौ फुट की गहरी खाई हो गई है।

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को आदेश दिया है कि वह 48 घंटे में अरावली पहाड़ियों के 29682 हेक्टेयर क्षेत्र में चल रहे अवैध खनन पर रोक लगाए। यहाँ 45 हजार से ज्यादा वैध-अवैध खदानें हैं। इनमें लाल बलुआ-पत्थर का खनन बड़ी तेजी से हो रहा है।

अरावली का महत्त्व

अरावली पर्वत- श्रृंखला, पश्चिमी भारत के जलवायु और जैव विविधता को आकार देने वाला प्रमुख भू-भाग है, जिसके महत्त्व को निम्नलिखित बिन्दुओं के तहत देखा जा सकता है-

- अरावली पर्वत श्रृंखला में फैले वन एक हरित पट्टी का निर्माण करते हैं जो मरुस्थलीकरण के विस्तार को सीमित करने में प्रमुख योगदान देते हैं।
- इसने पूर्वी राजस्थान, गंगा के मैदानी भागों, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ओर भारतीय रेगिस्तान (थार) के प्रसार को रोका है।
- यह उत्तर-पश्चिम में सिंधु नदी बेसिन और पूर्व में गंगा नदी बेसिन के बीच जल विभाजक के रूप में कार्य करता है जिसके अंतर्गत उत्तर भारत का एक बड़ा भू-भाग शामिल है।
- उत्तर-पश्चिम भारत में सामान्य वर्षा की घटना अरावली की पहाड़ियों पर हरे-भरे जंगलों के आच्छादन पर निर्भर करती है। पेड़-पौधे वातावरण में आर्द्रता को बनाए रखते हैं तथा ये वर्षा के वितरण में भी

सहायक होते हैं। हालाँकि वनों की कटाई और मिट्टी के कटाव में वृद्धि ने अरावली क्षेत्र में सूखे की घटना को बढ़ाया है।

- अरावली की पहाड़ियों में वन्यजीवों और पौधों की प्रजातियों की एक विस्तृत एवं समृद्ध शृंखला पायी जाती है जिसमें, तेंदुआ, भेड़िया, ब्लैक बक, चिंकारा, डेजर्टफॉक्स, प्रवासी क्रेन, बत्तख आदि शामिल हैं। लेकिन मानवीय हस्तक्षेप और वनों की कटाई के कारण वन्यजीव अब केवल कुछ संरक्षित क्षेत्रों में ही सीमित रह गये हैं।
- अरावली वनावरण के साथ-साथ पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अभिन्न अंग है। यहाँ इस क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों को ईंधन के लिए लकड़ी, चारा, फल, सब्जियाँ, रबर, किशमिश जैसे महत्वपूर्ण वाणिज्यिक उत्पादों के साथ-साथ अनेक खनिज संसाधनों का स्रोत भी है।
- अरावली मिट्टी के क्षरण, भू-जल स्तर बनाए रखने और जमीन की नमी बरकरार रखने के लिए महत्वपूर्ण है।

अरावली पर्वतमाला

अरावली पर्वतमाला एक अवशिष्ट पर्वत है एवं विश्व के प्राचीनतम मोड़दार पर्वतों में से एक है। यह पर्वत श्रेणी क्वार्ट्ज चट्टानों से निर्मित है। इनमें सीसा, तांबा, जस्ता आदि खनिज पाये जाते हैं। इस पर्वत-श्रेणी को उदयपुर के निकट जग्गा पहाड़ियों, अलवर के निकट हर्षनाथ की पहाड़ियों एवं दिल्ली के निकट इसे दिल्ली की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। अरावली का सर्वोच्च पर्वत शिखर सिरोही जिले में स्थित गुरुशिखर (1727 मी.) है, जो माउंटआबू में है। अरावली पर्वत- शृंखला की कुल लम्बाई गुजरात से दिल्ली तक 692 किलोमीटर है, अरावली पर्वत- शृंखला का लगभग 80 % विस्तार राजस्थान में है। दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन रायसीना पहाड़ी पर बना हुआ है जो अरावली का ही भाग है। अरावली की औसत ऊँचाई 930 मीटर है।

यह बाना, लूनी, साखी एवं साबरमती का उदगम स्थल है। इस पर्वतमाला में केवल दक्षिणी क्षेत्र में सघन वन हैं, जबकि अधिकांश क्षेत्रों में यह विरल, रेतीली एवं पथरीली (गुलाबी रंग के स्फटिक) है।

अरावली पर्वतमाला के क्षरण के कारण

अरावली पर्वतमाला क्षरण के लिए निम्नलिखित कारक जिम्मेदार हैं-

- वन्यजीव इंस्टीट्यूट की एक सर्वे के अनुसार 1980 में अरावली क्षेत्र के महज 247 वर्ग किलोमीटर पर आबादी थी जबकि वर्तमान समय में यह 638 वर्ग किमी. तक फैल गई है। स्थानीय लोगों द्वारा ईंधन के लिए वनों के अंधाधुँध कटाई एवं पशुओं के चरागाह के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है।
- सरकार के विकासात्मक कार्य भी अरावली के क्षरण के लिए काफी हद तक जिम्मेदार हैं। अकेले दिल्ली में ही अरावली पर्वत को उजाड़कर एक संस्थानिक क्षेत्र, होटल तथा रक्षा मंत्रालय की एक बड़ी आवासीय कॉलोनी बना दी गई। इसी प्रकार पूरे एनसीआर क्षेत्र का भी वहीं हाल है। विकास के नाम पर इस पर्वतीय क्षेत्र में बेहिसाब पर्यटन की आशाओं ने प्रकृति की विरासत को ही बदलकर रख दिया है वहीं दूसरी ओर शहरों में विकास के नाम पर वाहनों के लिए चौड़ी सड़कों के निर्माण के लिए जमीन जुटाने या कंक्रीट उगाहने के लिए इन पहाड़ों को ही निशाना बनाया जा रहा है।
- खनन का सबसे मुख्य कारण इस क्षेत्र में स्थित कीमती पत्थर एवं कीमती खनिज का पाया जाना है। बीते चार दशकों से हो रहे खनन इतना बढ़ गया है कि पहाड़ों की शृंखला कई जगह गहरी खाई में तब्दील हो गई हैं।
- पर्वतों के क्षरण के प्राकृतिक कारणों में मुख्यत: चट्टानों का गिरना, भूस्खलन, अत्यधिक आकाशीय विद्युत की तीव्रता, जलवायु की चरम स्थितियाँ तथा अत्यधिक तापमान व नमी आदि जिम्मेदार हैं।

प्रमुख समस्याएँ

अरावली पर्वतमाला और इस क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं को निम्न बिन्दुओं के तहत देखा जा सकता है-

स्वामित्व का मुद्दा: 1960 के दशक तक अरावली भूमि को आम गाँव की भूमि माना जाता था और पशुपालन एवं इससे संबंधित अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता था। लेकिन 70 और 80 के दशक में इस क्षेत्र में निजीकरण की प्रक्रिया सामने आई और जमीन मालिकों द्वारा अवैध जमीन अपने कब्जे में लेकर बहुत कम दामों में बेच दी गई। इस प्रक्रिया से यह क्षेत्र रियल स्टेट जैसे बाजार का आधार बना है।

वन की परिभाषा का अभाव: सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्यों को यह आदेश दिया कि राज्य वन शब्द को परिभाषित करें जिससे जंगलों की पहचान की जा सके। लेकिन राज्य सरकारों ने 'वन' शब्द को परिभाषित करने में ढ़ीला रवैया अपनाया है। हालाँकि हरियाणा सरकार द्वारा लगभग 25,000 हेक्टेयर भूमि को 'पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम' के तहत जंगल के रूप में अधिसूचित किया गया है लेकिन अभी भी 12,000 हेक्टेयर वन भूमि को तय नहीं किया गया है।

प्राकृतिक संरक्षण क्षेत्र: प्राकृतिक संरक्षण क्षेत्र (NCZ) के रूप में भी अरावली पर्वतमाला का लगभग 60,000 एकड़ क्षेत्र के वर्गीकरण को लेकर भी विवाद बना हुआ है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसे अभी आधिकारिक रूप से अधिसूचित नहीं किया गया है। वर्ष 2005 में तैयार की गई राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय (NCZ) योजना बोर्ड की क्षेत्रीय योजना 2021 के अनुसार एनसीजेड श्रेणी में अरावली, वन, नदियाँ, प्रमुख झीलें एवं जल निकाय (Water bodies) भू-जल पुनर्भरण क्षेत्र (Ground Water Recharging Areas) को शामिल किया गया है। इन्हें पर्यावरण या पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है साथ ही इनका उपयोग प्रतिबंधित हैं। इस क्षेत्र में कुल भूमि का मात्र 0.5% पर ही निर्माण कार्य किया जा सकता है जिसका उद्देश्य भी क्षेत्रीय मनोरंजक गतिविधियों के लिए निर्दिष्ट है। विकासात्मक गतिविधियाँ तथा अवैध खनन आज भी जारी है।

अतिक्रमण: अरावली क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या इस क्षेत्र में बढ़ता अतिक्रमण है। खान माफिया और प्रॉपर्टी डीलर, सरकार और प्रशासन को नियंत्रित करते हैं और अनुमोदन प्राप्त करते हैं। इस क्षेत्र की पहाड़ी जमीन पर कुछ नेताओं का भी जमीन है। पहले इस क्षेत्र में वनों की कटाई, विनिर्माण कार्य और अब अवैध खनन जैसी अनेक समस्याएँ उत्पन्न हुई हैं। पर्यावरणविदों ने अरावली के क्षरण के लिए इस क्षेत्र में बढ़ते अतिक्रमण को जिम्मेदार ठहराया है, जिसे सभी राज्यों और केन्द्र सरकार द्वारा हल किया जाना बाकी है। इसके अतिरिक्त खनन जैसी गतिविधियों को रोकने के लिए स्पष्ट कानून का अभाव है।

दुष्प्रभाव

अरावली क्षेत्र में रेगिस्तान का विस्तार: वनों की अंधाधुँध कटाई और विकासात्मक गतिविधियों ने अरावली क्षेत्र में स्थित घने जंगलों को नष्ट किया है। मिट्टी के अत्यधिक कटाव के कारण इस पर्वत की वनस्पति लगभग समाप्त हो गई है। परिणामस्वरूप इस क्षेत्र में रेगिस्तान का लगातार विकास हो रहा है।

एनसीआर क्षेत्र में बढ़ता धूल का प्रभाव: अरावली पर्वतमाला की ऊँचाई समान नहीं है। इनमें काफी अंतर पाया जाता है। फिर भी यह पर्वतमाला और इस पर स्थित वनस्पति रेगिस्तानी धूल-कण को रोक लेती थी लेकिन इस क्षेत्र में अत्यधिक अवैध खनन के कारण यह क्षीण हो

गई है जिससे थार मरुस्थल से उठा धूल अब इसे पार कर पूरे एनसीआर क्षेत्र में फैल रहा है, जो एनसीआर क्षेत्र में प्रदूषण का कारण बन रहा है।

पारिस्थितिकी रूप से कमजोर क्षेत्र: अरावली पहाड़ियों में खनन के कारण यहाँ की पारिस्थितिकी कमजोर हुई है, विभिन्न जंगली जानवरों के निवास स्थान प्रभावित हुए हैं। इस पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए इस क्षेत्र की पहचान, मूल्यांकन, मानचित्रण और निगरानी की आवश्यकता है। ज्ञातव्य है कि राजस्थान के अलवर जिले के साथ ही हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित अरावली पर्वत माला को भी 1992 में पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया था।

- अरावली क्षेत्र की जमीन बंजर हुई हैं, भूजल के स्त्रोत दूषित होने के साथ-साथ सूख रहे हैं।
- यह बेहद दुखद और चिंताजनक तथ्य है कि बीसवीं सदी के अंत में अरावली के 80 प्रतिशत हिस्से पर हरियाली थी जो आज बमुश्किल सात फीसदी रह गई।
- इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि इस प्राकृतिक ढ़ाँचे में किसी भी तरह के हस्तक्षेप (जैसे निर्माण, अवैध खनन) से गंभीर संकट उत्पन्न हो सकती है।
- इससे उत्तर भारतीय मैदानों से सटे क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर परिवर्तन आएगा और पर्यावरण के लिए विनाशकारी होगा जिससे पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, मालवा क्षेत्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे।
- यदि अरावली का क्षरण नहीं रूका तो देश की राजधानी दिल्ली सहित हरियाणा और पंजाब की कृषि के समक्ष संकट खड़ा हो जाएगा।

आगे की राह

- कानून बनाए जा सकते हैं, लेकिन जब तक लोगों का रवैया नहीं बदलेगा तथा जागरूकता नहीं आयेगी तब तक कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए आवश्यक है कि लोगों को जागरूक किया जाए।
- कभी-कभी कानून भी पर्याप्त नहीं होता है क्योंकि पिछली पीढ़ी ने प्रकृति के साथ सह-अस्तित्व बनाए रखा लेकिन वर्तमान पीढ़ी ने इस ताल-मेल को हतोत्साहित किया है। कानूनों के पालन के लिए युवाओं तथा जागरूक लोगों को आगे आना होगा, मिलकर अवैध खनन जैसे गतिविधि को रोकने के लिए काम करना होगा। जिस प्रकार चिपको आन्दोलन सफल हुआ उसी प्रकार इसे भी रोकने की आवश्यकता है।
- इसके लिए आवश्यक है कि वन अधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही तरीके से करें तथा अनावश्यक गतिविधियों को बढ़ने से रोकें।
- राज्य सरकारों को चाहिए कि अवैध खनन से संबंधित कठोर कानून बनाएँ जिससे कि अवैध खनन को रोका जा सके। साथ ही जो कानून विद्यमान हैं उनका भी प्रभावी क्रियान्वयन हो यह भी सुनिश्चित करने की जरूरत है।
- पर्वतों, पठारों को फिर से परिभाषित करने की जरूरत हैं जिससे नए कानून बनाने में सहायता मिल सके।
- प्रशासनिक एवं राजनीतिक भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की जरूरत है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन।

■

सात विषयनिष्ठ प्रश्न और उनके मॉडल उत्तर

कुम्भ मेला : दुनिया में लोगों का सबसे बड़ा जमावड़ा

प्र. हाल ही में प्रयागराज में कुम्भ मेले का सफल आयोजन किया गया। इस संदर्भ में बताएँ कि क्या भारत इस तरह के आयोजनों को सफलतापूर्वक संपन्न कर सकता है? मूल्यांकन कीजिए।

उत्तर:

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- परिचय
- कुम्भ मेला प्रबंधन
- कुम्भ 2019 : एक विश्लेषण

चर्चा का कारण

- हाल ही में आस्था और विश्वास का सबसे बड़ा पर्व, कुम्भ इस बार 15 जनवरी यानि मकर संक्रान्ति से शुरू हुआ। यह धार्मिक और सांस्कृतिक महोत्सव 4 मार्च (महाशिवरात्रि) तक चला।

परिचय

- कुम्भ का शाब्दिक अर्थ है कलश और यहाँ 'कलश' का संबंध अमृत कलश से है। आस्था, विश्वास, सौहार्द एवं संस्कृतियों के मिलन का पर्व है "कुम्भ"। ज्ञान, चेतना और उसका परस्पर मंथन कुम्भ मेले का वो आयाम है जो आदि काल से ही हिन्दू धर्मावलम्बियों की जागृत चेतना को बिना किसी आमन्त्रण के खींच कर ले आता है।

कुम्भ मेला प्रबंधन

- कुम्भ मेला में भीड़ प्रबंधन और संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर रखने के लिये पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस का इस्तेमाल किया गया है। 3200 हेक्टेयर में फैले मेले में 1000 से अधिक सीसीटीवी कैमरों का इस्तेमाल किया गया था ताकि पूरे इलाके पर नजर रखी जा सके।
- कुम्भ मेला क्षेत्र में बाढ़ की स्थितियों से निपटने के लिये बाढ़ प्रतिक्रिया तंत्र लाइफ जैकेट्स, सोनार सिस्टम तथा नावें इत्यादि खतरा कम करने वाले उपकरणों के साथ तैयार किये गये थे।

कुम्भ 2019 : एक विश्लेषण

- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कुम्भ मेले के लिए 4,200 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया जो वर्ष 2013 महाकुम्भ मेले की तुलना में तीन गुना अधिक है। आलोचकों का मानना है कि इतनी बड़ी राशि का आवंटन उचित नहीं है जबकि सरकार के लिए प्राथमिकता पर कई अन्य कार्य भी होते हैं। हालाँकि भारतीय उद्योग संघ का अनुमान है कि कुम्भ मेले से सरकार को 12000 करोड़ रुपये का राजस्व भी प्राप्त हुआ।
- प्रयागराज में आयोजित कुम्भ मेले की सफलता (कुछ अपवादों को छोड़कर) अपने आप में बेमिसाल उदाहरण प्रस्तुत करता है। इस तरह के आयोजन से प्रशासनिक व सरकारी ढाँचे में व्यापक बदलाव आता है। इसलिए इस तरह के आयोजन होते रहना चाहिए। ■

सुरक्षा बलों के मानवाधिकार

प्र. वर्तमान में सशस्त्र बलों के समक्ष किस प्रकार की चुनौतियाँ सिर उठाये खड़ी हैं और उन्हें इन चुनौतियों से निपटने में किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है? मूल्यांकन करें।

उत्तर:

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- परिचय
- सशस्त्र बल एवं उनके मानवाधिकार
- सशस्त्र बलों के मानवाधिकार क्यों महत्वपूर्ण हैं
- सशस्त्र बलों की चुनौतियाँ
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- हाल ही में सेना के दो अधिकारियों की बेटियों द्वारा सुरक्षा बलों के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की गयी है।

परिचय

- उच्चतम न्यायालय में दायर याचिका में कहा गया है कि ड्यूटी करने वाले सुरक्षा बलों के भी मानवाधिकार हैं। ड्यूटी के दौरान आतंकियों, नक्सलियों, अपराधियों, उग्र भीड़ या पत्थरबाजों आदि के हमले से सुरक्षा बलों के जीवन और स्वतंत्रता जैसे मूलभूत मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है, जिनकी रक्षा के लिए एक उचित तन्त्र व नीति बनाने की आवश्यकता है।

सशस्त्र बल एवं उनके मानवाधिकार

- सुरक्षा बलों को देश व समाज की रक्षा करते हुए कई जोखिमों का सामना करना पड़ता है। इसमें वह कभी-कभी गम्भीर रूप से अपंग हो जाते हैं, जिसके कारण उनका व उनके परिवार का जीवन निर्वाह काफी कठिन हो जाता है। सरकार द्वारा इन अपंग जवानों को काफी

कम मात्रा में मदद दी जाती है, जिसे कई विद्वान गम्भीर मुद्दा मानते हैं। उनके अनुसार संविधान में प्रदत्त अनुच्छेद 21 के तहत आजीविका का अधिकार भी शामिल है, जिसे बाद में माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी व्याख्यायित किया, किन्तु देश की रक्षा करते हुए गम्भीर रूप से अपंग व्यक्ति अपनी आजीविका को कैसे चला पायेगा।

सशस्त्र बलों के मानवाधिकार क्यों महत्वपूर्ण हैं

- भारत, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) का सदस्य है।
- भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जहाँ आधुनिक मूल्यों को प्रमुखता प्रदान की जाती है।
- भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि सॉफ्ट पावर के रूप में है।

सशस्त्र बलों की चुनौतियाँ

- सुरक्षा बलों को दी जा रही विभिन्न तरह की सामाजिक सेवाएँ (जैसे- उनके बच्चों की शिक्षा, आवास, यात्रा सुविधा, स्वास्थ्य सुविधा आदि) अपेक्षानुरूप नहीं हैं।
- सुरक्षाबलों के कुछ समूहों को भाषा, संस्कृति और लिंग आदि के आधार पर संगठन के अन्दर ही भेदभाव का सामना करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त, सरकार अभी तक सशस्त्र बलों के लिए ऐसे बुनियादी ढाँचे का निर्माण नहीं कर पायी हैं, जो महिला कर्मियों के लिए अनुकूल हो।

आगे की राह

- संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात सुरक्षाकर्मियों को जोखिम भत्ता बढ़ाकर दिया जाना चाहिए।
- सशस्त्र बलों के लिए भी एक पेशेवर आचार संहिता का निर्माण करना चाहिए।
- सशस्त्र बलों को अपने प्रशिक्षण में सहिष्णुता और विविधता की शिक्षा को भी शामिल करना चाहिए, ताकि सैन्य कार्मिक एक-दूसरे के प्रति संवेदनशील हो सकें। ■

जहरीली शराब का कहर

प्र. क्या आप इस बात से सहमत हैं कि विभिन्न राज्यों में शराबबंदी जैसे कार्यक्रम अपेक्षाकृत असफल रहे हैं? इसके कारणों की चर्चा करते हुए इसे रोकने के लिए आवश्यक उपाय सुझाएँ।

उत्तर:

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- अवैध शराब में शामिल तत्त्व एवं नुकसान
- भारत में अवैध शराब के बढ़ते बाजार के कारण
- सरकारी प्रयास
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- हाल ही में असम में जहरीली शराब पीने के कारण गोलाघाट और जोरहाट जिलों में लगभग 143 लोगों की मौत हो गई। ज्ञातव्य है कि एक ही महीने में देश के विभिन्न भागों में नकली जहरीली शराब पीने से लगभग 250 लोगों ने अपनी जान गँवाई है।

अवैध शराब में शामिल तत्त्व एवं नुकसान

- अवैध रूप से मादक पेय पदार्थों को बनाने के लिए मिथाइल अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है, जिसका अकसर कीटनाशकों में प्रयोग होता है। इसके अलावा इसका प्रयोग औद्योगिक प्रतिष्ठानों में पेंट व थिनर आदि बनाने में भी किया जाता है।
- एक अध्ययन के अनुसार यह पाया गया है कि एथिल अल्कोहल से मिलने वाली शराब में यदि मिथाइल मिलाया जाता है तो यह जहरीली हो जाती है।

भारत में अवैध शराब के बढ़ते बाजार के कारण

- भारत में सामान्यत: शराब पीने से होने वाले नुकसार के प्रति जागरूकता का बेहद अभाव पाया जाता है। चूकि अवैध शराब की कीमत कम और नशा ज्यादा होता है, इसलिए इसके सेवन करने वालों की तादाद विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ रही है।
- इस अवैध शराब के सेवन करने वालों में अधिकतर गरीब, मजदूर और कम पढ़े-लिखे लोग होते हैं, उन्हें पता ही नहीं रहता कि वे शराब पी रहे हैं या जहर।

सरकारी प्रयास

- खाने-पीने की वस्तुओं की गुणवत्ता का ध्यान रखने वाले फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) ने खाने-पीने की चीजों में मिलावट करने वालों के खिलाफ कानून को कठोर बनाने का प्रस्ताव दिया है। एफएसएसएआई के मुताबिक, मिलावट से स्वास्थ को नुकसान की आशंका पर 7 साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा के प्रावधान के अलावा 10 लाख रुपये जुर्माने की भी सिफारिश की गई है। फिलहाल मिलावट से मौत होने पर उम्रकैद का ही प्रावधान है।

आगे की राह

- भारत में स्वस्थ समाज विकसित करने के लिए अवैध शराब के बढ़ते गंभीर खतरे को रोकने व लोगों को इसके दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करने की आवश्यकता है। इसके लिए जागरूकता अभियान का सहारा लिया जा सकता है।
- कच्ची व अवैध शराब के गोरखधन्धे को रोकने के लिए राज्य की संस्थाएँ एवं केन्द्रीय विभागों में तालमेल बढ़ाने की जरूरत है। ■

वनवासी एवं उनके अधिकार

प्र. उच्चतम न्यायालय के हाल ही में दिये गए निर्णय के आलोक में वन अधिकार अधिनियम, 2006 के क्रियान्वयन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

उत्तर:

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- पृष्ठभूमि

- उच्चतम न्यायालय का निर्णय
- वन अधिकार अधिनियम, 2006 का विश्लेषण
- उच्चतम न्यायालय के आदेश से उभरने वाले मुद्दे

चर्चा का कारण

- हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न राज्यों के वन क्षेत्र में रह रहे लाखों लोगों की बेदखली के अपने आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। इसके साथ ही न्यायालय ने सभी राज्यों से कहा है कि वे हलफनामा दाखिल कर 'वन अधिकार अधिनियम, 2006' के तहत वन भूमि पर लोगों के दावों को खारिज करने की प्रक्रिया का ब्यौरा उपलब्ध करायें।

पृष्ठभूमि

- यदि कोई व्यक्ति (आदिवासी या अन्य) अनुसूचित जनजाति से संबंधित है या फिर वह या उसके पूर्वज परम्परागत रूप से कम से कम पिछले 75 सालों से वन क्षेत्रों में रहते आये हैं तो उसे वनों के सूक्ष्म उत्पादों और 4 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि पर मालिकाना हक (Ownership Rights) होगा। लेकिन वह अपनी इस 4 हेक्टेयर भूमि को किसी अन्य को बेच या स्थानांतरित नहीं कर सकता है।

उच्चतम न्यायालय का निर्णय

- उच्चतम न्यायालय ने अपने पूर्व के दिए गए निर्णय को अमल में लाने में फिलहाल रोक लगा दी है और आगे की सुनवाई हेतु तारीख सुनिश्चित की है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि वनभूमि पर आदिवासियों के अधिकार की और बात है लेकिन आदिवासियों की आड़ में बाहरी लोगों को वन भूमि पर कब्जा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। कोर्ट ने अपनी संक्षिप्त सुनवाई में, 21 राज्यों को निर्देश दिया कि वह विस्तृत हलफनामा दाखिल कर कोर्ट को बताएँ कि वनभूमि पर दावा नकारने की क्या और कैसी प्रक्रिया अपनायी गई थी।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 का विश्लेषण

- सरकार की तमाम कागजी कार्यवाहियों, अशिक्षा और गरीबी आदि के चलते वन क्षेत्रों में सदियों से रहते आ रहे आदिवासी या अन्य समुदाय अपने मालिकाना हक से वंचित हो गए हैं। एक अनुमान के अनुसार, 'वन अधिकार अधिनियम, 2006' के तहत लगभग 42 लाख व्यक्तिगत वन अधिकारों को लेकर आवेदन आये, जिसमें से लगभग 23 लाख आवेदनों को स्वीकार किया गया है, जबकि अन्य को अस्वीकार कर दिया गया है।

उच्चतम न्यायालय के आदेश से उभरने वाले मुद्दे

- मानवाधिकार और वन्य जीवन या पर्यावरण के बीच टकराव का इतिहास काफी पुराना है। कोर्ट के इस निर्णय ने इस टकराव को फिर से रेखांकित किया है।
- कुछ विद्वानों का मानना है कि कोर्ट के इस निर्णय के बाद भ्रष्टाचार में और बढ़ोत्तरी होगी क्योंकि लोग वन क्षेत्र पर अपना मालिकाना हक पाने के लिए रिश्वत आदि का प्रयोग करेंगे। ■

भारत–सऊदी अरब–पाकिस्तान संबंध : एक विश्लेषण

प्र. 21वीं सदी में भारत व सऊदी अरब के संबंधों ने किस प्रकार के नए आयामों को छुआ है? वर्तमान में 'भारत-सऊदी अरब-पाकिस्तान त्रिकोण' किस प्रकार की नई चुनौतियाँ उत्पन्न की हैं? चर्चा कीजिए।

उत्तर:

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- वर्तमान परिदृश्य
- भारत के लिए सऊदी अरब का महत्त्व
- सऊदी अरब–भारत–पाकिस्तान त्रिकोण
- सुझाव

चर्चा का कारण

- हाल ही में सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भारत की यात्रा पर आये। उनकी यह यात्रा ऐसे समय पर हुई है, जब भारत–पाकिस्तान के बीच आतंकवाद के मुद्दे को लेकर तनाव चरम पर है। पाकिस्तान की यात्रा के बाद सऊदी प्रिंस भारत पहुँचे और भारतीय प्रधानमंत्री के साथ गहन व सफल वार्ता की।

वर्तमान परिदृश्य

- दोनों देश द्विवार्षिक शिखर बैठक करने और एक 'सामरिक साझेदारी परिषद' (Strategic Partnership Council) के गठन पर सहमत हुए हैं। एसपीसी के द्वारा दोनों देश सुरक्षा के मुद्दों पर समन्वित रूप से कार्रवाई कर सकेंगे। ध्यातव्य है कि एसपीसी में समुद्री और ऊर्जा सुरक्षा को प्रमुखता प्रदान की गयी है।

भारत के लिए सऊदी अरब का महत्त्व

- सऊदी अरब और उसके सहयोगी देशों में भारत का विशाल डायस्पोरा निवास करता है।
- भारत अपने कुल कच्चे तेल (Crude Oil) का लगभग 17 प्रतिशत सऊदी अरब से आयात करता है, इससे स्पष्ट है कि हमारी ऊर्जा जरूरतों के लिए सऊदी अरब काफी महत्वपूर्ण है।
- समुद्री सुरक्षा में भारत काफी बेहतर स्थिति में है और भारत की नौसेना दुनिया की आधुनिकतम व शक्तिशाली नौसेनाओं में गिनी जाती है। अतः सऊदी अरब भारत की इस शक्ति का लाभ उठाना चाहता है।
- पर्यावरण और आतंकवाद ऐसे वैश्विक मुद्दे हो चुके हैं जो देशों को आपस में सहयोग करने हेतु मजबूर कर रहे हैं।

सऊदी अरब-भारत-पाकिस्तान त्रिकोण

- सऊदी अरब और पाकिस्तान परम्परागत रूप से काफी घनिष्ठ मित्र रहे हैं। शीत युद्ध के समय जब भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रणेता बना हुआ था तब सऊदी अरब और पाकिस्तान, अमेरिका के प्रमुख सहयोगी देश थे।

- सऊदी अरब और पाकिस्तान, दोनों ही राष्ट्र विचारधारा में काफी समानता रखते हैं, जैसे- दोनों ही देशों में शासन व्यवस्था इस्लाम की विचारधारा पर आधारित है और दोनों ही सुन्नी बाहुल्य देश हैं। इसके विपरीत भारत एक पंथनिरपेक्ष राष्ट्र है और यहाँ हर धर्म, वर्ग, जाति, भाषा और संस्कृति के लोग निवास करते हैं।

सुझाव

- भारत को सऊदी अरब पर लगातार दबाव बनाए रखना होगा कि वह पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद के खात्मे हेतु अपने मजबूत इरादों को प्रकट करें।
- भारत को अपनी विदेश नीति को काफी संतुलित रखने की जरूरत है और पश्चिम एशिया की विभिन्न शक्तियों (यथा- सऊदी अरब, तुर्की, इजरायल, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान आदि) के बीच संतुलन साधना चाहिए। ■

भारत में दूरसंचार क्षेत्र : एक अवलोकन

प्र. भारत में दूरसंचार क्षेत्र और इससे संबंधित अन्य क्षेत्र किस प्रकार की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं? इनके निदान हेतु सरकार ने किस प्रकार के उपाय किये हैं?

उत्तर:

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- दूरसंचार और डिजिटल क्षेत्र का महत्त्व
- दूरसंचार क्षेत्र का लाभ
- चुनौतियाँ
- सरकारी प्रयास

चर्चा का कारण

- हाल ही में भारती एयरटेल के प्रमुख 'सुनील भारती मित्तल' ने कहा है कि सरकार को देश में 5जी सेवाओं के विकास हेतु नीलामी में स्पेक्ट्रम की कीमतों को कम रखना चाहिए क्योंकि दूरसंचार से जुड़ी निजी कंपनियाँ 5जी के लिए आधारभूत ढाँचा तैयार कर रही हैं, जिसमें सरकार को मदद करनी चाहिए।

दूरसंचार और डिजिटल क्षेत्र का महत्त्व

- टेलीकॉम विभाग से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में तेजी से बदलाव दूरसंचार क्षेत्र की ही वजह से सम्भव हो पा रहा है। जो बदलाव अमूमन 20 से 25 वर्षों में होते हैं, उन बदलावों को भारतीय समाज दूरसंचार के माध्यम से 2 से 3 वर्षों में ही प्राप्त कर लेती है।

दूरसंचार क्षेत्र का लाभ

- 21वीं सदी में दूरसंचार क्षेत्र ने भारतीय अर्थव्यवस्था को नई गति प्रदान की है। स्मार्टफोन के बढ़ते हुए प्रयोग को देखते हुए कुछ अर्थशास्त्री कहते हैं कि वह दिन दूर नहीं जब ई-कॉमर्स, ई-बैंकिंग इत्यादि स्मार्टफोन में समाहित हो जायेंगे। आज विश्व में उन्हीं कम्पनियों (यथा- गूगल, फेसबुक, अमेजन एवं अन्य) का राज है जो डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रही हैं।

चुनौतियाँ

- वित्तीय वर्ष 2017-18 में दूरसंचार क्षेत्र की सकल आय (Gross Revenue) में 15% से 20% तक की गिरावट आई है और दूरसंचार क्षेत्र की कंपनियों पर ऋण बोझ भी बहुत अधिक बढ़ गया है, जो यह दर्शाता है कि यह क्षेत्र अब धीरे-धीरे घाटे की ओर अग्रसर है।
- भारत में दूरसंचार क्षेत्र के लिए स्पेक्ट्रम की उपलब्धता यूरोपीय यूनियन की तुलना में 40% और चीन की तुलना में 50% कम है। इस प्रकार स्पष्ट है कि भारत में स्पेक्ट्रम उपलब्धता अपेक्षाकृत काफी कम है, जो दूरसंचार और डिजिटल क्षेत्र के विकास में प्रमुख बाधा है। भारत सरकार ने इस स्थिति को दूर करने के बजाय इसे और गम्भीर करने की ओर कदम बढ़ाये हैं, जैसे- स्पेक्ट्रम की नीलामी को उच्च कीमतों पर रखा जाना। इन स्थितियों में दूरसंचार क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा ग्राहकों को उचित दर की व गुणवत्तापूर्ण सेवाएँ उपलब्ध कराना काफी कठिन हो गया है।

सरकारी प्रयास

- भारत सरकार अपनी राष्ट्रीय डिजिटल कम्युनिकेशन नीति (एनडीसीपी), 2018 के द्वारा दूरसंचार क्षेत्र को एक आवश्यक बुनियादी ढाँचा और अन्य प्रकार की सुविधाएँ प्रदान कर रही हैं।
- सरकार ने राष्ट्रीय ऑप्टिक (Optic) फाइबर नेटवर्क को सुदृढ़ किया है, जिससे ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी में तेजी आई है। ■

अरावली श्रेणी : भारत में सबसे अधिक संकटग्रस्त

प्र. अरावली पर्वत शृंखला विश्व की प्राचीनतम शृंखलाओं में से एक है लेकिन इस शृंखला में अवैध खनन के कारण, इसका अस्तित्व तेजी से सिमट रहा है। इस संदर्भ में अवैध खनन के कारणों तथा प्रभावों की चर्चा करते हुए इसे रोकने के लिए आवश्यक उपाय सुझाएँ।

उत्तर:

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- वर्तमान परिदृश्य
- अरावली पर्वतमाला के क्षरण के कारण
- प्रमुख समस्याएँ
- दुष्प्रभाव
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- हाल ही में अरावली पहाड़ियों में हो रहे अवैध खनन पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही आदेशों के खिलाफ नया कानून बनाने पर हरियाणा सरकार को कड़ी फटकार लगाई है।

वर्तमान परिदृश्य

- अरावली पर्वतमाला जैसी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संरचना का बड़ा हिस्सा बीते चार दशक में पूरी तरह न केवल नदारद हुआ, बल्कि कई जगह

उत्तुंग शिखर की जगह डेढ़ सौ फुट की गहरी खाई हो गई है।

अरावली पर्वतमाला के क्षरण के कारण

- वन्यजीव इंस्टीट्यूट की एक सर्वे के अनुसार 1980 में अरावली क्षेत्र के महज 247 वर्ग किलोमीटर पर आबादी थी जबकि वर्तमान समय में यह 638 वर्ग किमी. तक फैल गई है। स्थानीय लोगों द्वारा ईंधन के लिए वनों के अंधाधुँध कटाई एवं पशुओं के चरागाह के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है।

प्रमुख समस्याएँ

- 1960 के दशक तक अरावली भूमि को आम गाँव की भूमि माना जाता था और पशुपालन एवं इससे संबंधित अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता था। लेकिन 70 और 80 के दशक में इस क्षेत्र में निजीकरण की प्रक्रिया सामने आई और जमीन मालिकों द्वारा अवैध जमीन अपने कब्जे में लेकर बहुत कम दामों में बेच दी गई। इस प्रक्रिया से यह क्षेत्र रियल स्टेट जैसे बाजार का आधार बना है।
- अरावली क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या इस क्षेत्र में बढ़ता अतिक्रमण है। खान माफिया और प्रॉपर्टी डीलर, सरकार और प्रशासन को नियंत्रित करते हैं और अनुमोदन प्राप्त करते हैं।

दुष्प्रभाव

- वनों की अंधाधुँध कटाई और विकासात्मक गतिविधियों ने अरावली क्षेत्र में स्थित घने जंगलों को नष्ट किया है। मिट्टी के अत्यधिक कटाव के कारण इस पर्वत की वनस्पति लगभग समाप्त हो गई है।
- अरावली क्षेत्र की जमीन बंजर हुई हैं, भूजल के स्त्रोत दूषित होने के साथ-साथ सूख रहे हैं।
- यह बेहद दुखद और चिंताजनक तथ्य है कि बीसवीं सदी के अंत में अरावली के 80 प्रतिशत हिस्से पर हरियाली थी जो आज बमुश्किल सात फीसदी रह गई।

आगे की राह

- राज्य सरकारों को चाहिए कि अवैध खनन से संबंधित कठोर कानून बनाएँ जिससे कि अवैध खनन को रोका जा सके। साथ ही जो कानून विद्यमान हैं उनका भी प्रभावी क्रियान्वयन हो यह भी सुनिश्चित करने की जरूरत है।
- पर्वतों, पठारों को फिर से परिभाषित करने की जरूरत हैं जिससे नए कानून बनाने में सहायता मिल सके।
- प्रशासनिक एवं राजनीतिक भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की जरूरत है। ■

सात महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें

राष्ट्रीय

1. राष्ट्रीय विज्ञान दिवस

हाल ही में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया। इस वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम है: साइंस फॉर द पीपल, एंड पीपल फॉर द साइंस। इस अवसर पर वर्ष 2016, 2017 और 2018 के लिये शांति स्वरूप भट्नागर पुरस्कार भी प्रदान किये गए।

प्रोफेसर सी वी रमन (चंद्रशेखर वेंकटरमन)

हमारे देश के उत्कृष्ट वैज्ञानिको में से एक प्रोफेसर सी वी रमन (चंद्रशेखर वेंकटरमन) ने 28 फरवरी 1928 को भौतिकी विषय में एक उत्कृष्ट खोज की थी, जो की रमन प्रभाव (Raman Effect) के रूप में प्रसिद्ध है। पारदर्शी पदार्थ से गुजरने पर प्रकाश की किरणों में आने वाले बदलाव पर की गई इस महत्वपूर्ण खोज के लिए 1930 में उन्हें भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वह यह पुरस्कार ग्रहण करने वाले भारत ही नहीं बल्कि एशिया के पहले वैज्ञानिक थे। रमन प्रभाव स्पेक्ट्रोस्कोपी में प्रख्यात भौतिकविद् द्वारा खोजी गई एक घटना है, जो इंडियन एसोसिएशन ऑफ द कल्टिवेशन ऑफ साइंस, कोलकाता की प्रयोगशाला में काम करते हुए किया गया था। प्रकाश की तरंगदैर्ध्य में तब परिवर्तन होता है जब प्रकाश किरण अणुओं द्वारा विक्षेपित हो जाती है।

क्या है रमन प्रभाव?

रमन प्रभाव के अनुसार जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम (ठोस, द्रव या गैस) से गुजरता है तो उस दौरान प्रकाश की तरंगदैर्ध्य में बदलाव दिखाई देता है, अर्थात जब प्रकाश तरंग एक द्रव्य से निकलती है तो इस प्रकाश तरंग का कुछ भाग एक ऐसी दिशा में फैल जाता है जो कि आने वाले प्रकाश तरंग की दिशा से भिन्न होता है। इसे रमन प्रभाव कहा जाता है।

इस खोज के सम्मान में 1986 से इस दिन को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाने का चलन है। 1954 में भारत सरकार ने सी.वी. रमन को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा। रमन प्रभाव का उपयोग आज पूरी दुनिया में हो रहा है।

शांति स्वरूप भट्नागर पुरस्कार

हर साल 45 वर्ष से कम आयु के कई वैज्ञानिकों को देश भर के विभिन्न संस्थानों से चुना जाता है और पिछले पाँच वर्षों में उनके उत्कृष्ट वैज्ञानिक कार्य के लिये इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ■

2. स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2019

हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द ने 06 मार्च 2019 को मध्यप्रदेश के इंदौर शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार का प्रथम पुरस्कार प्रदान किया। इंदौर को लगातार तीसरे वर्ष यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इन पुरस्कारों की स्थापना केंद्र सरकार के आवास और शहरी कार्य मंत्रालय की पहल पर की गई है।

स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार-2019

इंदौर को जहां भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया वहीं भोपाल सबसे स्वच्छ राजधानी चुनी गई।

- इसके अलावा 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में अहमदाबाद और पांच लाख से कम आबादी वाले शहरों में उज्जैन पहले स्थान पर हैं।
- दिल्ली छावनी को भारत की सबसे स्वच्छ छावनी चुना गया।
- स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 में भारत के शीर्ष 3 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकारी राज्यों में छत्तीसगढ़, झारखंड और महाराष्ट्र उभरे हैं।
- दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) क्षेत्र को सबसे साफ छोटा शहर का पुरस्कार दिया गया।
- उत्तराखंड के गौचर को केंद्र सरकार के सर्वेक्षण में सर्वश्रेष्ठ गंगा टाउन घोषित किया गया।

सर्वेक्षण प्रक्रिया

स्वच्छ सर्वेक्षण-2019 में 4237 शहरों का सर्वेक्षण 28 दिनों में किया गया। इस दौरान विभिन्न टीमों ने 64 लाख लोगों से बात की। साथ ही, सोशल मीडिया के माध्यम से इन शहरों के 4 करोड़ लोगों से फीडबैक लिया गया। टीम ने इन शहरों के 41 लाख फोटो एकत्रित किये थे। सर्वेक्षण में शामिल शहरों की तरफ से स्वच्छता के संदर्भ में 4.5 लाख पत्र अपलोड किए गए जिनके आधार पर सर्वश्रेष्ठ शहर को चुना गया है। ■

3. अरुण–3 जल विद्युत परियोजना

हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक समिति ने अरुण-3 जल विद्युत परियोजना (नेपाल भाग) के ट्रांसमिशन घटक के लिए जून, 2017 के मूल्य स्तर पर 1236.13 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से निवेश को अपनी स्वीकृति दे दी है। इस परियोजना के अंतर्गत 70 मीटर ऊंचा गुरुत्वीय बांध और 11.74 किलोमीटर का हेड रेस सुरंग (एचआरटी) भूमिगत पावर हाउस के साथ नदी के बाएँ किनारे पर बनाया जाएगा और प्रत्येक 4 ईकाइयाँ 225 मेगावाट विद्युत उत्पादन करेंगी।

पृष्ठभूमि

- अरुण-3 जल विद्युत परियोजना (900 मेगावॉट) पूर्वी नेपाल के सनखुवासभा जिले में अरुण नदी पर है। नेपाल सरकार और एसजेवीएन लिमिटेड ने परियोजना के लिए मार्च 2008 में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था। यह समझौता ज्ञापन 30 वर्ष की अवधि के लिए बिल्ड ऑन ऑपरेट तथा ट्रांसफर (बीओओटी) के आधार पर किया गया था। 30 वर्ष की अवधि में 5 वर्ष की निर्माण अवधि शामिल है। परियोजना विकास समझौता (पीडीए) पर नवंबर 2014 में हस्ताक्षर किए गए। इस समझौता में 25 वर्षों की संपूर्ण रियायत अवधि के लिए नेपाल को निःशुल्क 21.9 प्रतिशत विद्युत प्रदान करने का प्रावधान है।

लाभ

- परियोजना के ट्रांसमिशन घटक के निर्माण से लगभग 400 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा।
- यह परियोजना नेपाल के साथ आर्थिक संपर्क को मजबूत बनाने के लिए भारत को अधिशेष विद्युत प्रदान करेगी।
- इस परियोजना से बिजली नेपाल के धलकेबर से भारत के मुजफ्फरपुर में भेजी जाएगी।

अरुण नदी

- अरुण नदी कोसी नदी की एक महत्वपूर्ण उपनदी है।
- यह तिब्बत के न्यालाम जिले में महालंगूर हिमाल की ढलानों में उत्पन्न होती है, जहाँ इसे फुंग चु और बुम चु के नाम से जाना जाता है और फिर यह नेपाल मे प्रवेश करती है, जहाँ इसका अधिकांश मार्ग स्थित है। ■

4. सम्प्रीति–2019

हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच रक्षा सहयोग के हिस्से के रूप में बांग्लादेश के तंगेल में दोनों देशों का संयुक्त सैन्य अभ्यास "सम्प्रीति" -2019 का आयोजन शुरू किया गया है।

अभ्यास का उद्देश्य

इस युद्धाभ्यास का मुख्य उद्देश्य भारत और बांग्लादेश की सेनाओं के बीच पारस्परिक सहयोग के पहलुओं को मजबूत बनाना और उनका विस्तार करना है, साथ ही संयुक्त राष्ट्र के अधिदेश के अंतर्गत विद्रोही और आंतकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए मिलकर कार्य करना है।

सम्प्रीति - 2019

- यह सैन्य अभ्यास एक साल बांग्लादेश और दूसरे साल भारत में होता है। इसका मकसद दोनों पड़ोसी देशों की सेनाओं के मध्य सकारात्मक संबंध बनाना है।

भारत-बांग्लादेश संबंध

भारत और बांग्लादेश दक्षिण एशियाई पड़ोसी देश हैं और आमतौर पर उन दोनों के बीच संबंध मैत्रीपूर्ण रहे हैं। बांग्लादेश की सीमा तीन ओर से भारत द्वारा ही आच्छादित है। ये दोनो देश सार्क, बिम्सटेक, हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संघ और राष्ट्रकुल के सदस्य हैं। ■

5. श्रेयस कार्यक्रम

हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं के प्रशिक्षण व कौशल विकास के लिए श्रेयस (Scheme for Higher Education Youth in Apprenticeship and Skills) कार्यक्रम की शुरूआत की है। इसका उद्देश्य आने वाले सत्र के स्नातकों को विशेष उद्योग से संबंधित प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करना है।

मुख्य विशेषताएँ

- श्रेयस कार्यक्रम केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय, कौशल विकास व उद्यमशीलता मंत्रालय तथा श्रम व रोजगार मंत्रालय की संयुक्त पहल है।
- श्रेयस कार्यक्रम का फोकस गैर-तकनीकी कोर्स के छात्रों पर है, इस कार्यक्रम के द्वारा उन्ही छात्रों को रोजगार के लिए आवश्यक कौशल प्रदान किया जायेगा।
- इस कार्यक्रम के द्वारा शिक्षण संस्थानों तथा उद्यमिता मंत्रालय द्वारा एक प्लेटफार्म उपलब्ध करवाया जायेगा जहाँ पर वे प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।
- इस कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण को शिक्षा के महत्वपूर्ण अंग के रूप में बढ़ावा दिया जायेगा। यह भारत सरकार द्वारा शिक्षा प्रणाली में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कौशल शामिल करने का प्रयास है।
- श्रेयस कार्यक्रम डिग्री प्राप्त छात्रों को कौशल, योग्य तथा रोजगार योग्य बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे देश में कार्यकुशल लोगों की आवश्यकता की पूर्ति भी होगी और वे देश के विकास में भी योगदान दे पायेंगे। ■

6. क्विक रिएक्शन मिसाइल

हाल ही में भारत ने जमीन से हवा में मार करने वाली क्विक रिएक्शन मिसाइल का ओडिशा के तट से सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इस मिसाइल का निर्माण डीआरडीओ ने भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और भारत डायनामिक लिमिटेड के साथ मिलकर भारतीय सेना के लिए की है। इस मिसाइल का पहला परीक्षण 4 जून 2017 को किया गया था और दूसरा सफल परीक्षण उसी साल 3 जुलाई को किया गया था। इसे डीआरडीओ के BEL जैसे संस्थाानों के साथ ही एपीजे अब्दुनल कलाम रिसर्च सेंटर इमारत ने भी सहयोग किया है।

विशेषताएँ

- हर मौसम में काम करने वाली इस स्वदेशी मिसाइल की रेंज 25 से 30 किलोमीटर है, जो तुरंत टारगेट को ध्वस्त कर सकती है।
- परीक्षण के दौरान मिसाइल के राडार, इलेक्ट्रोआप्टिकल सिस्टम्स, टेलीमीट्री, आदि के परीक्षण पैमाने सटीक आंके गये।
- इस मिसाइल के सफल परीक्षण के बाद भारतीय सेना जमीन से ही किसी भी संदिग्ध एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, एंटी-शिप मिसाइल, यूएवी, बैलेस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और कॉम्बैट जेट को हवा में ही नेस्तानाबूत कर सकती है।
- इससे पहले डीआरडीओ ने लंबी दूरी की जमीन से हवा में मार करने वाली बराक-8 मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। ■

7. परम शिवाय सुपर कम्प्यूटर

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आईआईटी-बीएचयू (IIT-BHU) में नेशनल सुपर कम्प्यूटिंग मिशन के तहत सुपर कम्प्यूटर 'परम शिवाय' का लोकार्पण किया। परम शिवाय सुपर कम्प्यूटर 833 टेराफ्लॉप क्षमता का है जो महीनों में किये गए अनुसंधानों को घंटों में पूरा कर देगा।

भारत का पहला सुपर कम्पयूटर परम 8000 था, उसे 1991 में लाँच किया गया था। वर्तमान में भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान में 'प्रत्युष', राष्ट्रीय मध्यम श्रेणी मौसम पूर्वानुमान केन्द्र के पास 'मिहिर' तथा IISc के पास SERC-Cray नामक सुपर कम्प्यूटर है।

मुख्य तथ्य

- परम शिवाय में 1 पेटा बाइट सेकेंडरी स्टोरेज, 233 प्रोसेसर नोड, 384 जीबी पर नोड DDR4 RAM, पैरेलल फाइल सिस्टम इत्यादि हैं।
- इस सुपर कम्प्यूटर का उपयोग सिंचाई योजनाओं, ट्रैफिक प्रबंधन, स्वास्थ्य इत्यादि क्षेत्रों में किया जायेगा।
- इस सुपर कम्प्यूटर का निर्माण फ्रांसीसी कंपनी एटोस (ATOS) ने किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय के अंतर्गत सी-डैक तथा एटोस ने सुपर कम्प्यूटर के निर्माण के लिए तीन वर्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं।
- राष्ट्रीय सुपर कम्प्यूटिंग मिशन के तहत देश के विभिन्न अनुसंधान व शैक्षणिक संस्थानों में 70 से अधिक सुपर कम्प्यूटर का नेटवर्क तैयार किया जायेगा।
- भारत को सुपर कम्प्यूटिंग के क्षेत्र में विश्व का अगुआ बनाना और राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर उत्पन्न चुनौतियों के निपटारे के लिए भारत की क्षमता बढ़ाना।
- यह पहल सरकार के 'डिजिटल इंडिया' व 'मेक इन इंडिया' का समर्थन तो करती ही है, साथ ही यह भारत को विश्व के सुपर कम्प्यूटिंग मानचित्र में सबसे आगे रखने में भी अहम साबित होगी। ■

अंतर्राष्ट्रीय

1. इस्लामिक सहयोग संगठन

हाल ही में इस्लामी सहयोग संगठन (Organisation of Islamic Cooperation) के देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अबू धाबी की आधिकारिक यात्रा संपन्न की। यह पहली बार है जब भारत को सम्मानित अतिथि के रूप में ओआईसी की बैठक में आमंत्रित किया गया।

इस्लामिक सहयोग संगठन

इस्लामिक सहयोग संगठन 57 देशों का प्रभावशाली समूह है। 25 सितंबर 1969 को रबात में हुए ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन में ओआईसी की स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा अंतर-सरकारी संगठन है। पाकिस्तान इसके संस्थापक सदस्यों में शामिल है। इसका मुख्यालय सऊदी अरब के जेद्दा में है। यह संगठन इस्लामिक देशों के मध्य सभी विषयों में सहयोग को प्रोत्साहित करता है।

उद्देश्य एवं कार्य

- सदस्य देशों के मध्य आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में इस्लामी एकजुटता को प्रोत्साहन देना तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से जुड़े सदस्यों के मध्य परामर्श की व्यवस्था करना।
- किसी भी रूप में विद्यमान उपनिवेशवाद की समाप्ति तथा जातीय अलगाव और भेदभाव की समाप्ति के लिये प्रयास करना।
- न्याय पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के विकास के लिये आवश्यक कदम उठाना।
- धार्मिक स्थलों की सुरक्षा के प्रयासों में समन्वय स्थापित करना तथा फिलिस्तीन संघर्ष को समर्थन तथा उनके अधिकारों और जमीनों को वापसी में उन्हें सहायता देना।
- विश्व के सभी मुसलमानों की गरिमा, स्वतंत्रता और राष्ट्रीय अधिकारों की रक्षा करने के लिये उनके संघर्षों को मजबूती प्रदान करना, तथा सदस्य देशों और अन्य देशों के मध्य सहयोग और तालमेल को प्रोत्साहित करने के लिये एक उपयुक्त वातावरण तैयार करना।

इस्लामिक देशों से संबद्ध महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार करने के लिये प्रत्येक तीन वर्ष के अंतराल पर राष्ट्राध्यक्षों का सम्मेलन बुलाया जाता है। विदेश मंत्रियों का सम्मेलन ओआईसी की प्रमुख संस्था है, जिसमें सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं इसके अन्य कार्य इस प्रकार हैं-

- संगठन की नीतियों की क्रियान्वित करना
- गैर-सदस्यीय देशों के साथ संबंधों के लिये दिशा निर्देशों का निर्धारण करना और राष्ट्राध्यक्षों के सम्मेलन के विचार के लिये रिपोर्ट तैयार करना।
- इसके सचिवालय का प्रधान अधिकारी महासचिव होता है, जो विदेश मंत्रियों के सम्मेलन के द्वारा चार वर्षों के लिये निर्वाचित होता है। ■

2. इन्टरनेट समावेश सूचकांक

इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट (EIU) ने फेसबुक के लिए इन्टरनेट समावेश सूचकांक 2019 तैयार किया है। इस सूचकांक में 100 देशों को शामिल गिया गया है, यह देश विश्व की 94% जनसंख्या तथा 96% वैश्विक जीडीपी का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस सूचकांक में इन्टरनेट की उपलब्धता, कीमत, महत्त्व इत्यादि श्रेणियों में स्कोर दिए गये हैं।

मुख्य बिन्दु

- इस सूची में स्वीडन प्रथम स्थान पर है, इसके बाद सिंगापुर तथा अमेरिका हैं।
- इस सूची में भारत 47वें स्थान है।
- विश्व में महिलाओं के मुकाबले पुरुषों के पास इन्टरनेट की ज्यादा पहुँच है।
- लैंगिक समानता के मामले में यूनाइटेड किंगडम, नामीबिया, आयरलैंड, ऑस्ट्रिया, चिली तथा दक्षिण अफ्रीका का प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा है। इन सभी देशों में महिला डिजिटल कौशल विकास कार्यक्रम संचालित हैं।
- इस रिपोर्ट में कहा गया है कि दिव्यांग महिलाओं के इन्टरनेट उपयोग में वृद्धि हुई है।
- कई देशों में फिक्स्ड-लाइन इन्टरनेट काफी महंगा है, इसलिए मोबाइल ही इन्टरनेट उपयोग करने के लिए एक माध्यम है।
- 4जी कवरेज में निम्न-मध्यम आय वर्गीय देशों ने 66% सुधार किया है।
- विश्व में 3.8 अरब लोग तेज तथा भरोसेमंद इन्टरनेट कनेक्टिविटी से वंचित हैं।
- इस रिपोर्ट के मुताबिक 52.2% लोग ऑनलाइन प्राइवेसी के बारे में विश्वस्त नही हैं।
- इस रिपोर्ट के अनुसार 74.4 फीसदी लोग मानते हैं कि इन्टरनेट नौकरी ढूँढने का अच्छा जरिया है। ■

3. सामान्य कर मुक्त प्रावधान

हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फैसला लिया है कि वह भारत का नाम उन देशों की सूची से बाहर कर देंगे, जो सामान्य कर-मुक्त प्रावधानों (जीएसपी) कार्यक्रम का लाभ उठा रहे हैं। यह लाभ उन उत्पादों पर उठाया जाता है जिनका निर्यात अमेरिका को किया जाता है। अमेरिका ने भारत पर उचित व्यापारिक सहयोग नहीं करने का आरोप लगाते हुए यह कदम उठाया है।

अमेरिका ने भारत के अलावा तुर्की का नाम भी इस सूची से बाहर कर दिया है। इससे पहले बीते साल ट्रंप ने भारत से आयातित 50 उत्पादों पर शुल्क मुक्त की रियायत खत्म कर दी

थी। अमेरिका के कानून के अनुसार ये बदलाव अधिसूचना जारी होने के दो महीने बाद से लागू हो जाएँगे। इस सूची में शामिल देशों को विशेष छूट दी जाती है।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उन्होंने ये फैसला इसलिए लिया है क्योंकि उन्हें भारत से ये आश्वासन नहीं मिल पाया है कि वह अपने बाजार में अमेरिकी उत्पादों को बराबर की छूट देगा। उनका कहना है कि भारत में पाबंदियों की वजह से उसे व्यापारिक नुकसान हो रहा है। अमेरिका ने अप्रैल 2018 में जीएसपी के लिए तय शर्तों की समीक्षा शुरू की थी।

जीएसपी कार्यक्रम

जाएसपी सूची में शामिल देशों के हजारों उत्पादों को अमेरिका में कर-मुक्त छूट की अनुमति देकर आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए लाया गया था। अमेरिका ने जीएसपी की शुरुआत वर्ष 1976 में विकासशील में आर्थिक वृद्धि बढ़ाने के लिए की थी। अभी तक लगभग 129 देशों को करीब 4,800 गुड्स के लिए जीएसपी के तहत फायदा मिला है। जीएसपी को विभिन्न देशों से आने वाले हजारों उत्पादों को शुल्क मुक्त प्रवेश की अनुमति देकर आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था। गौरतलब है कि वर्ष 2017 में जीएसपी के तहत भारत ने अमेरिका को 5.6 अरब डॉलर से अधिक का कर-मुक्त निर्यात किया था।

भारत पर असर

अमेरिका के जीएसपी कार्यक्रम में शामिल लाभार्थी देशों को उत्पादों पर अमेरिका में कोई आयात शुल्क नहीं देना पड़ता। इस कार्यक्रम के तहत भारत को 5.6 अरब डॉलर (40 हजार करोड़ रुपये) के निर्यात पर छूट मिलती है। कार्यक्रम से बाहर होने के बाद भारत को ये लाभ नहीं मिलेगा। साल 2017 में भारत के साथ अमरीकी सामान और सेवा व्यापार घाटा 27.3 बिलियन डॉलर (2730 करोड़ डॉलर) का था। ■

4. आरआईसी बैठक

हाल ही में रूस, भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की 16वीं आरआईसी बैठक चीन के झेजियांग प्रांत में संपन्न हुई। आरआईसी की बैठक इसलिये महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि रूस, भारत और चीन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं।

इस बैठक में तीनों देशों ने बहुपक्षवाद और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के सिद्धांतों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई। यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि इसमें प्रतिनिधियों को शामिल करने, इसे मजबूत बनाने तथा विकासशील देशों के प्रतिनिधित्व को और बढ़ाने के साथ संयुक्त राष्ट्र सहित सुरक्षा परिषद में व्यापक सुधार आदि विषयों पर चर्चा की गई। सम्मेलन में विभिन्न क्षेत्रीय मंचों और संगठनों, जैसे- पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, आसियान क्षेत्रीय मंच, आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक, एशिया-यूरोप बैठक, द कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन एशिया तथा एशिया को-ऑपरेशन डायलॉग के महत्त्व को दोहराया गया।

संयुक्त वक्तव्य

- बैठक में आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की गई। इसमें अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक नीति को शीघ्र अपनाने का आह्वान किया गया।
- इसमें आतंकवाद के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) के प्रस्तावों को लागू करने का भी आह्वान किया गया।
- आरआईसी की बैठक में इस बात पर भी जोर दिया गया कि आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देने वाले, इसे पोषित करने वाले, उकसाने वाले या समर्थन करने वालों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिये और उन्हें न्याय तंत्र के दायरे में लाया जाना चाहिये।
- नशीले पदार्थों की तस्करी, अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग, जैविक तथा रासायनिक हथियारों के निषेध के विरुद्ध कन्वेंशन को अपनाने का भी आह्वान किया गया।
- अफगानिस्तान में एक अफगान-नेतृत्व वाली, अफगान स्वामित्व वाली शांति का आह्वान किया गया, कोरियाई प्रायद्वीप में महत्वपूर्ण और सकारात्मक परिवर्तनों का स्वागत किया गया। ईरान-परमाणु समझौते का समर्थन किया गया तथा फिलिस्तीन मुद्दे के निपटारे के लिये दो-राज्य समाधान का समर्थन किया गया गया।
- इसके अतिरिक्त सम्मेलन में यमन, सीरिया और वेनेजुएला में उत्पन्न संकट के राजनयिक और राजनीतिक समाधान निकालने का भी आह्वान किया गया। ■

5. वायु प्रदूषण से हर साल 70 लाख लोगों की मौत

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण एवं मानवाधिकारों के जानकारों ने कहा है कि घर के अंदर और बाहर होने वाले वायु प्रदूषण के कारण हर साल करीब 70 लाख लोगों की मौत समय से पहले हो जाती है। इनमें 6 लाख बच्चे शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने कहा कि करीब छह अरब लोग नियमित रूप से इतनी प्रदूषित हवा में सांस ले रहे हैं कि इससे उनका जीवन और स्वास्थ्य जोखिम में घिरा रहता है। पर्यावरण और मानवाधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिवेदक ने मानवाधिकार परिषद से कहा कि इसके बावजूद इस महामारी पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। ये मौतें अन्य आपदाओं या महामारियों से होने वाली मौतों की तरह नहीं हैं। हर घंटे 800 लोग मर रहे हैं जिनमें से कई तकलीफ झेलने के कई साल बाद मर रहे हैं। विशेषज्ञों ने कहा कि कैंसर सांस संबंधी बीमारी या दिल की बीमारी प्रत्यक्ष तौर पर प्रदूषित हवा में सांस लेने के कारण भी होती है।

कनाडा की ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी में असोसिएट प्रोफेसर बोयड ने कहा कि स्वच्छ हवा सुनिश्चित नहीं कर पाना स्वस्थ पर्यावरण के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि यह वे अधिकार हैं जिन्हें 155 देशों ने कानूनी मान्यता दी है और इसे वैश्विक मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। उन्होंने 7 अहम कदमों की पहचान की जिनमें स्वच्छ हवा सुनिश्चित करने के लिए देशों को कदम उठाना चाहिए। इनमें

वायु गुणवत्ता और मानव स्वास्थ्य पर उसके प्रभावों की निगरानी, वायु प्रदूषण के स्रोतों का आकलन और जन स्वास्थ्य परामर्शों समेत अन्य सूचनाओं को सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध कराना शामिल है। बोयड ने कहा, 'अच्छे चलन के कई उदाहरण हैं, जैसे- भारत और इंडोनेशिया के कार्यक्रम जिन्होंने कई गरीब परिवारों को खाना पकाने की स्वच्छ तकनीकों की तरफ मोड़ा है। ■

6. जलवायु परिवर्तन से समुद्री घास को खतरा

हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के शोधकत्ताओं ने बताया है कि जलवायु परिवर्तन, पानी के नीचे समुद्री घास-पात से बने जंगलों के सूक्ष्मजीवों को प्रभावित कर उनके अस्तित्व के लिए खतरा बनता जा रहा है। शोधकर्ताओं ने बताया कि मनुष्यों में, उनकी आँतों के सूक्ष्मजीवों में किसी तरह का बदलाव उनकी सेहत बिगाड़ देता है। उन्होंने बताया कि इसी तरह की प्रक्रिया विशाल समुद्री शैवालों (केल्प) में भी होती है।

समुद्रों में अनुमानित वॉर्मिंग और अम्लीकरण के चलते केल्प की सतह पर सूक्ष्म जीवों में परिवर्तन होता है जिससे बीमारी होती है और मछली पालन को खतरा पहुंचने की आशंका रहती है। जलवायु परिवर्तन वैश्विक पैमाने पर जैव विविधता को प्रभावित कर रहा है। समुद्री परिप्रेक्ष्य में समुद्रों के गरम होने और अम्लीकरण से पानी में अपना निवास स्थान बनाने वाली प्रमुख प्रजातियों जैसे कोरल (मूंगा) एवं बड़े समुद्री शैवालों की संख्या घट रही है जिससे जैव विविधता प्रभावित हो रही है।

इस अध्ययन में दिखाया गया कि ये दो प्रक्रियाएँ भूरे रंग के विशाल शैवालों की सतह पर मौजूद सूक्ष्म जीवों में परिवर्तन ला सकती हैं जिससे बीमारी जैसे लक्षण पैदा हो सकते हैं। केल्प की सतह का तेजी से गर्म होना, ब्लीचिंग एवं अंततः क्षरण होने से जीवों की प्रकाश-संश्लेषण (फोटोसिंथेसिस) करने की क्षमता और संभवतः जीवित रहने की क्षमता भी प्रभावित होती है। शोधकर्त्ताओं के मुताबिक इससे विश्व भर के समुद्री जंगल प्रभावित हो सकते हैं। यह अध्ययन प्रोसीडिंग्स ऑफ द रॉयल सोसायटी बी पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। ■

7. मंगल पर प्राचीन भू-जल प्रणाली के साक्ष्य

हाल ही में वैज्ञानिकों ने मंगल की सतह पर ऐसी प्राचीन झीलों का भूगर्भीय साक्ष्य ढूंढा है, जो आपस में जुड़ी थीं और जिनका अस्तित्व कभी इस लाल ग्रह की सतह के नीचे गहराई तक रहा होगा। वैज्ञानिकों ने संभावना जताई है कि इनमें से पांच झीलों में संभवतः जीवन के लिए आवश्यक खनिज लवण हो सकते हैं।

नीदरलैंड में उट्रेच यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों के अनुसार मंगल एक शुष्क ग्रह लगता है लेकिन इसकी सतह ऐसे संकेत देती है जिनसे उन संभावनाओं को बल मिलता है कि कभी इस ग्रह पर प्रचुर मात्रा में पानी रहा होगा। पिछले साल यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के मार्स एक्सप्रेस अभियान में ग्रह के दक्षिणी ध्रुव की निचली सतह में तरल अवस्था में पानी के कुंड का पता चला था।

जियोफिजिकल रिसर्चः प्लेनेट्स में प्रकाशित एक नए अध्ययन में प्राचीन काल में मंगल पर भू-जल के विस्तार का खुलासा किया गया था जो इससे पहले सिर्फ मॉडल के जरिये अनुमान लगाया जाता था। उट्रेच यूनिवर्सिटी से फ्रांसेस्को सैलेसी ने कहा है कि पहले मंगल पानी से भरा ग्रह था, लेकिन जैसे-जैसे इसकी जलवायु बदली, इस पर मौजूद जल रिसकर सतह के नीचे चला गया और भू-जल का रूप ले लिया। सैलेसी ने एक बयान में कहा, हम लोगों ने अपने अध्ययन में इस पानी की पहचान की है। इसकी भूमिका बहस का विषय है। हमने मंगल पर व्यापक भू-जल का पहला भूगर्भीय साक्ष्य पाया।

अनुसंधानकर्त्ताओं ने मंगल के उत्तरी गोलार्द्ध में मौजूद गड्ढों में ऐसे 24 गहरे स्थानों की पड़ताल की, जो उसके अनुमानित समुद्र तल से 4000 मीटर नीचे थे। वैज्ञानिकों के अनुसार मंगल की सतह पर मौजूद इन गड्ढों में ऐसे स्थलाकृतियों का निर्माण तभी हो सकता है जब वहाँ जल मौजूद हो। समझा जाता है कि करीब तीन-चार अरब वर्ष पहले मंगल पर समुद्री जीवन मौजूद था। इटली के वैज्ञानिक गियान गैबरिएल ओरी ने कहा, हमारा मानना है कि यह समुद्र संभवतः समूचे ग्रह में फैली भू-जलीय झीलों की प्रणाली से जुड़ा हो। ओरी ने कहा, ऐसी संभावना है कि ये झीलें करीब 3.5 अरब साल पहले ग्रह पर मौजूद थीं। इसलिए उस समय समुद्री जीवन होने की संभावना हो सकती है। ■

सात ब्रेन बूस्टर्स

एंटी-माइक्रोबियल प्रतिरोध

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में स्वीडन ने कहा कि 'एंटी-माइक्रोबियल प्रतिरोध' (एएमआर) दुनिया भर में वास्तविक चुनौती पेश कर रहा है और भारत तथा स्वीडन इससे निपटने के लिए आपस में सहयोग बढ़ाने को इच्छुक हैं।

1.2 गौरतलब है कि माइक्रोबियल रोधी दवाइयों के अधिक इस्तेमाल से सूक्ष्मजीव के तौर पर एएमआर (AMR) का विकास हो जाता है, जैसे कीटाणु, संक्रमण या फफूंद जिससे, फिर दवाई का असर नहीं होता है।

पृष्ठभूमि

2.1 भारत और स्वीडन ने एएमआर, संचारी बीमारियाँ और सार्वजनिक स्वास्थ्य समेत विभिन्न मुद्दों पर 24 फरवरी, 2009 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।

2.2 एएमआर कार्य पर भारत और स्वीडन के बीच सहयोग चल रहा है। स्वीडन ने उम्मीद जताई है कि भारत 'एलायंस ऑफ चौम्पियंस' में शामिल होगा।

2.3 2015 में आयोजित हुई वर्ल्ड हेल्थ असेम्बली में स्वीडन ने 'एलायंस ऑफ चौम्पियंस' की शुरूआत की थी।

एंटी-माइक्रोबियल प्रतिरोध

3.1 ग्लोबल एंटीबायोटिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट पार्टनरशिप ने बताया कि रोगाणुरोधी प्रतिरोध (एएमआर) तब होता है, जब सूक्ष्मजीवी जैसे- जीवाणु, वायरस, फंगस, अन्य पराजीवी-आनुवंशिक परिवर्तनों के कारण उन दवाओं से प्रतिरोधी हो जाते हैं जिनसे वे पहले प्रभावित होते थे।

3.2 यह एक क्रमिक विकासवादी परिवर्तन है परन्तु यह प्रक्रिया कतिपय कारणों से त्वरित हो जाती है, जैसे मानव, पशु और कृषि क्षेत्र में दवाओं का अतिप्रयोग या दुरुपयोग तथा संक्रमण नियंत्रण में कमी।

प्रभाव

4.1 विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि एएमआर के कारण विश्व में जन-स्वास्थ्य की दृष्टि से, एक आपातकालीन स्थिति पैदा हो गयी है। इसके चलते अनेक रोग, जैसे टीबी, जिनका अब तक इलाज संभव था, अब लाइलाज हो रहे हैं क्योंकि इन बीमारियों को पैदा करने वाले ऐसे सूक्ष्मजीवी रोगाणु उत्पन्न हो रहे हैं जिन पर कोई दवा असर ही नहीं कर रही है।

4.2 यह एक भयावह स्थिति है। एंटी-माइक्रोबियल प्रतिरोध के कारण 7 लाख लोग प्रति वर्ष मृत्यु को प्राप्त होते हैं और यदि इसको रोकने के कारगर कदम न उठाये गए तो यह संख्या आने वाले वर्षों में 1 करोड़ तक बढ़ने की संभावना है।

टीबी उन्मूलन में एएमआर का रोड़ा

5.1 विश्व के 193 देशों ने 2030 तक 17 सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने का वादा किया है जिसमें टीबी उन्मूलन भी शामिल है। परन्तु टीबी दर जिस गति से गिर रही है, वह पर्याप्त नहीं है और दवा प्रतिरोधक टीबी एक पहाड़नुमा चुनौती बनी हुई है।

5.2 वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2018 के अनुसार, टीबी दवा प्रतिरोधकता (ड्रग रेसिस्टेन्स या एएमआर) अत्यंत चिंताजनक रूप से बढ़ोतरी पर है।

5.3 यदि किसी दवा से रोगी को प्रतिरोधकता उत्पन्न हो जाए तो वह दवा रोगी के उपचार के लिए निष्फल रहेगी। टीबी के इलाज के लिए प्रभावकारी दवाएँ सीमित हैं। यदि सभी टीबी दवाओं से प्रतिरोधकता उत्पन्न हो जाए तो टीबी लाइलाज तक हो सकती है।

रोकथाम के उपाय

6.1 पशु एवं कृषि में एंटीबायोटिक दवाओं का तर्कहीन उपयोग तत्काल बंद कर देना आवश्यक है। इन दवाओं का प्रयोग फसल अथवा दूध आदि उत्पाद बढ़ाने के लिए बिल्कुल नहीं करना चाहिए।

6.2 इसके अलावा जिन एंटीबायोटिक दवाओं को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आरक्षित श्रेणी में रखा है, उनको पशुओं में उपचार के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए तथा मनुष्यों में भी सावधानी से इसका इस्तेमाल करना चाहिए।

6.3 इसके अलावा इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि एंटीबायोटिक दवाएँ पानी और मिट्टी को प्रदूषित न कर सकें, ताकि प्रतिरोधी म्युटेशन वातावरण में स्थित दूसरे जीवाणुओं तक न फैल सकें। साथ ही सभी स्वास्थ्य केंद्रों में संक्रमण नियंत्रण विधियों का समुचित पालन होना भी अति आवश्यक है।

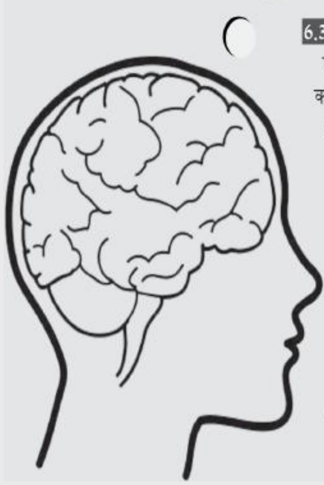

प्रधानमंत्री जी-वन योजना

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने प्रधानमंत्री जी-वन (जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण) योजना के लिए वित्तीय मदद को मंजूरी दे दी है।

1.2 इसके तहत ऐसी एकीकृत बायो-इथेनॉल परियोजनाओं को, जो लिग्नोसेल्यूलॉजिक बायोमास (Lignocellulosic Biomass) और अन्य नवीकरणीय फीडस्टॉक (Feedstock) का इस्तेमाल करती हैं, के लिए वित्तीय मदद का प्रावधान है।

1.3 परियोजना के तहत दूसरी पीढ़ी के इथेनॉल क्षेत्र को प्रोत्साहित करने और मदद करने का काम किया गया है। इसके लिए उसे वाणिज्यिक परियोजनाएँ स्थापित करने तथा अनुसंधान और विकास गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने का काम किया गया है।

पृष्ठभूमि

2.1 भारत सरकार ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम 2003 में लागू किया था। इसके जरिए पेट्रोल में इथेनॉल का मिश्रण कर पर्यावरण को जीवाश्म ईंधनों के इस्तेमाल से होने वाले नुकसान से बचाना, किसानों को क्षतिपूर्ति दिलाना तथा कच्चे तेल के आयात को कम कर विदेशी मुद्रा बचाना है।

2.2 वर्तमान में ईबीपी 21 राज्यों और 4 संघ शासित प्रदेशों में चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत तेल विपणन कम्पनियों के लिए पेट्रोल में 10 प्रतिशत तक इथेनॉल मिलाना अनिवार्य बनाया गया है।

लाभ

3.1 जीवाश्म ईंधन के स्थान पर जैव ईंधन के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर आयात पर निर्भरता घटाने की भारत सरकार की परिकल्पना को साकार करना।

3.2 जीवाश्म ईंधन के स्थान पर जैव ईंधन के इस्तेमाल का विकल्प लाकर उत्सर्जन के सीएचजी मानक की प्राप्ति।

3.3 बायोमास और फसल अवशेष जलाने से पर्यावरण को होने वाले नुकसान का समाधान और लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाना।

3.4 दूसरी पीढ़ी की इथेनॉल परियोजना और बायोमास आपूर्ति शृंखला में ग्रामीण और शहरी लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना।

3.5 बायोमास कचरे और शहरी क्षेत्रों से निकलने वाले कचरे के संग्रहण की समुचित व्यवस्था कर स्वच्छ भारत मिशन में योगदान करना।

3.6 दूसरी पीढ़ी के बायोमास को इथेनॉल प्रौद्योगिकी में परिवर्तित करने की विधि का स्वदेशीकरण।

लक्ष्य

4.1 पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 2022 तक पेट्रोल में इथेनॉल का मिश्रण 10 प्रतिशत करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

4.2 इथेनॉल की कीमत ज्यादा रखने और इथेनॉल खरीद प्रक्रिया को आसान बनाने के तमाम सरकारी प्रयासों के बावजूद 2017-18 के दौरान इथेनॉल की खरीद 150 करोड़ लीटर ही रही, हालाँकि यह देश भर में पेट्रोल में इथेनॉल के 4.22 प्रतिशत मिश्रण के लिए पर्याप्त है।

4.3 इथेनॉल इसी वजह से बायोमास और अन्य कचरों से दूसरी पीढ़ी का इथेनॉल प्राप्त करने की संभावनाएँ पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा तलाशी जा रही हैं।

4.4 इससे ईबीपी कार्यक्रम के तहत किसी तरह होने वाली कमी को पूरा किया जा सकेगा।

4.5 मौजूदा नीति के तहत पेट्रोकेमिकल के अलावा मोलासिस और नॉन फीड स्टॉक उत्पादों जैसे सेल्यूलोज और लिग्नोसेल्यूलोज जैसे पदार्थों से इथेनॉल प्राप्त करने की अनुमति दी गई है।

4.6 इस योजना को लागू करने का अधिकार पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत काम करने वाली एक तकनीकी इकाई सेंटर फॉर हाई टेक्नोलॉजी को सौंपा गया है।

राष्ट्रीय खनिज नीति, 2019

चर्चा का कारण

1.1 **हाल ही में** प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खनिज नीति, 2019 को मंजूरी दी है।

पृष्ठभूमि

2.1 राष्ट्रीय खनिज नीति (1993) की समीक्षा के लिए योजना आयोग द्वारा गठित होदा समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने एक नई राष्ट्रीय खनिज नीति, 2008 को मंजूरी दी थी।

2.2 राष्ट्रीय खनिज नीति 2008 की समीक्षा करने के लिये खान मंत्रालय के अपर सचिव डॉ. के. राजेश्वर राव की अध्यक्षता में 14 अगस्त, 2017 को एक समिति गठित की गई थी।

उद्देश्य

3.1 राष्ट्रीय खनिज नीति, 2019 का उद्देश्य प्रभावी, अर्थपूर्ण और कार्यान्वयन-योग्य नीति का निर्माण करना है जो बेहतर पारदर्शिता, नियमन और कार्यान्वयन, संतुलित सामाजिक व आर्थिक विकास के साथ-साथ दीर्घावधि खनन अभ्यासों को समर्थन प्रदान करती है।

3.2 एमएनपी, 2019 का उद्देश्य निजी निवेश को आकर्षित करना है और इसके लिए प्रोत्साहन देने की भी व्यवस्था की गई है।

3.3 खनन पट्टा-भूमि प्रणाली के तहत खनिज संसाधनों तथा पट्टे पर दी गई भूमि का डेटाबेस तैयार किया जाएगा। नई नीति के तहत खनिजों के परिवहन के लिए तटीय तथा अंतर्देशीय जलमार्ग पर विशेष ध्यान दिया गया है।

लाभ

4.1 नई राष्ट्रीय खनिज नीति अधिक प्रभावी नियमन सुनिश्चित करेगी। यह खनन क्षेत्र के स्थायी विकास में सहायता प्रदान करेगी तथा इससे परियोजना से प्रभावित होने वाले लोगों, विशेषकर जनजातीय क्षेत्र के लोगों की समस्याओं के बेहतर समाधान में मदद मिलेगी।

4.2 इससे खनिज गतिविधि में स्थिरता आएगी और बड़े पैमाने पर होने वाली वाणिज्यिक खनिज गतिविधि में निवेश आकर्षित होगा।

राष्ट्रीय खनिज नीति, 2019 में शामिल प्रावधान

5.1 आरपी/पीएल धारकों के लिए पहले अस्वीकार करने के अधिकार (Right of First Refusal) की शुरूआत की जायेगी।

5.2 अन्वेषण कार्य के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया जाएगा।

5.3 राजस्व-साझा के आधार पर समग्र आरपी-सह-पीएल-सह-एमएल के लिए नये क्षेत्रों में नीलामी होगी।

5.4 खनन कंपनियों में विलय और अधिग्रहण को प्रोत्साहन तथा खनन में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए खनन-पट्टों के हस्तांतरण की अनुमति तथा समर्पित खनिज कॉरिडोर का निर्माण।

5.5 खनिज नीति 2019 में प्रस्ताव दिया गया है कि खनन गतिविधि को उद्योग का दर्जा दिया जाए। इससे निजी क्षेत्र को खनन संपत्ति अधिग्रहण के लिए वित्त पोषण प्राप्त होगा।

5.6 यह भी उल्लेख किया गया है कि खनिज के लिए दीर्घकालिक आयात-निर्यात नीति के निर्माण से निजी क्षेत्र बेहतर नीतियाँ बनाने में सक्षम होगा और व्यापार में स्थिरता आएगी।

5.7 नीति में सार्वजनिक उपक्रमों को दिए गए आरक्षित क्षेत्रों को भी युक्तिसंगत बनाने का उल्लेख किया गया है। ऐसे क्षेत्र जहाँ खनन गतिविधियों की शुरूआत नहीं हुई है, की नीलामी होनी चाहिए। इससे निजी क्षेत्र को भागीदारी के लिए अधिक अवसर प्राप्त होंगे।

5.8 नीति में निजी क्षेत्र को सहायता प्रदान करने के लिए वैश्विक मानदंडों के आधार पर टैक्स, लेवी और रॉयल्टी को युक्तिसंगत बनाने के प्रयासों का भी उल्लेख किया गया है।

महत्वपूर्ण बिंदु

6.1 राष्ट्रीय खनिज नीति, 2019 में कुछ बदलाव किये गए हैं जैसे नीति के विजन के रूप में मेक इन इंडिया और लैंगिक समानता पर विशेष ध्यान देना।

6.2 खनिजों के विनियमन के लिए ई-प्रशासन, आईटी सक्षम प्रणाली, जागरूकता तथा सूचना अभियान आदि को शामिल किया गया है।

6.3 स्वीकृति मिलने में विलंब होने की स्थिति में ऑनलाइन पोर्टल में ऐसे प्रावधान शामिल किये गए हैं जिससे उच्च-स्तर पर मामलों को निपटाया जा सकेगा।

6.4 नीति में खनिजों के परिवहन को सुविधाजनक बनाने के लिए समर्पित खनिज कॉरिडोर का उल्लेख किया गया है।

6.5 परियोजना से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों और निवासियों के न्यायसंगत विकास के लिए जिला खनिज निधि के उपयोग की बात कही गई है।

6.6 एमएनपी, 2019 में खनिज क्षेत्र के लिए लंबी अवधि के आयात-निर्यात नीति का प्रस्ताव दिया गया है। नीति, 2019 में अंतर-पीढ़ी समानता के विचार का उल्लेख किया गया है। इसके तहत वर्तमान पीढ़ी के साथ-साथ आने वाली पीढ़ियों के कल्याण की बात कही गई है।

6.7 नीति में अंतर-मंत्रालय निकाय के गठन का भी उल्लेख है जो सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए तंत्र को संस्थागत रूप प्रदान करेगा।

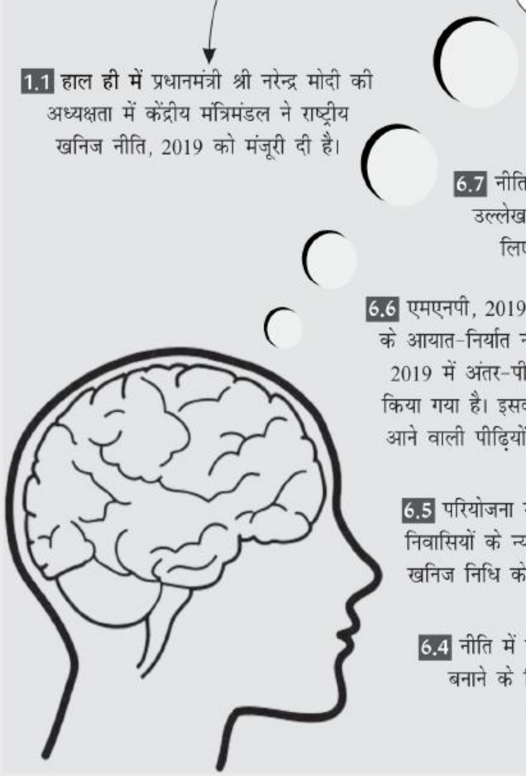

जिनेवा कन्वेंशन

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में पाकिस्तान ने विंग कमांडर अभिनंदन को भारत को सौंप दिया है।

1.2 पाकिस्तान ने भारतीय विंग कमांडर को युद्धबंदी (PoW) घोषित किया है, जिससे जिनेवा संधि चर्चा में आ गई है।

पृष्ठभूमि

2.1 19वीं सदी के मध्य से पहले दुनिया में युद्धबंदियों और युद्ध के दौरान भाग लेने वाले अन्य लोगों पर शत्रु देश की ओर से किये जाने वाले अमानवीय बर्ताव को रोकने के लिए न तो कोई कानून था और न ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा कोई कन्वेंशन हुआ था जो इस तरह के बर्ताव को रोकने का काम करे।

2.2 युद्ध के दौरान युद्ध बंदियों, अन्य कामों में लगे लोगों विशेषकर नागरिकों, स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं और बीमार लोगों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए जिनेवा कन्वेंशन की शुरूआत हुई।

उद्देश्य

3.1 जिनेवा कन्वेंशन और उसके प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवीय मूल्यों की रक्षा करना है।

3.2 जिनेवा कन्वेंशन में चार संधियाँ और 3 अतिरिक्त प्रोटोकॉल यानी मसौदे को मंजूरी दिया गया है जो युद्धबंदियों को कुछ अधिकार प्रदान करता है।

पहला कन्वेंशन

4.1 मानवता को बरकरार रखने के लिए पहली जिनेवा संधि 1864 में हुई।

दूसरा कन्वेंशन

5.1 दूसरा जिनेवा कन्वेंशन वर्ष 1906 में हुआ। इस कन्वेंशन में समुद्री युद्ध और उससे जुड़े प्रावधानों को शामिल किया गया।

तीसरा कन्वेंशन

6.1 तीसरा जिनेवा कन्वेंशन 1929 में हुआ। यह कन्वेंशन युद्धबंदियों पर लागू होता है।

6.2 इस कन्वेंशन में कैद की स्थितियों और स्थानों को अधिक सटीक रूप से परिभाषित किया गया।

6.3 राहत और न्यायिक कार्यवाही के संबंध में व्यवस्था बनायी गई।

6.4 इसमें युद्धबंदियों को बिना देरी के रिहा करने का प्रावधान शामिल किया गया।

चौथा कन्वेंशन

7.1 दूसरे विश्व युद्ध में युद्धबंदियों और नागरिकों पर हर तरह के अमानवीय व्यवहार किए गए, जिससे इन घटनाओं से सबक लेते हुए 1949 में चौथे जिनेवा कन्वेंशन का आयोजन हुआ।

7.2 इसमें नागरिक और सैन्य अधिकार शामिल हैं। इसके मुताबिक युद्ध क्षेत्र में और आसपास के क्षेत्र में नागरिकों और घायलों की सुरक्षा स्थापित किये जाने की भी व्यवस्था की गई है।

7.3 1949 में सम्पन्न जिनेवा कन्वेंशन 21 अक्टूबर, 1950 से लागू हो गया।

7.4 वर्तमान में जिनेवा कन्वेंशन में शामिल देशों की संख्या 194 है।

प्रिजनर ऑफ वॉर के अधिकार

8.1 युद्धबंदियों के युद्धकालीन बुनियादी अधिकारों को परिभाषित किया गया है। इसमें नागरिक और सैन्य अधिकार दोनों शामिल हैं।

8.2 इन अधिकारों में कहा गया है कि बर्बरतापूर्ण व्यवहार पर रोक व भेदभाव का निषेध किया जाएगा। साथ ही सैनिकों को कानूनी सुविधा मुहैया करानी होगी।

8.3 जाति, धर्म, जन्म इत्यादि विषयों पर युद्धबंदियों से पूछताछ नहीं होगी।

8.4 युद्ध खत्म होने पर युद्धबंदी को तुरंत रिहा किया जाना चाहिए।

रेड क्रॉस के दिशा-निर्देश

9.1 कन्वेंशन के अनुच्छेद 3 के अनुसार युद्ध के दौरान घायल होने वाले युद्धबंदी का अच्छे तरीके से उपचार होना चाहिए।

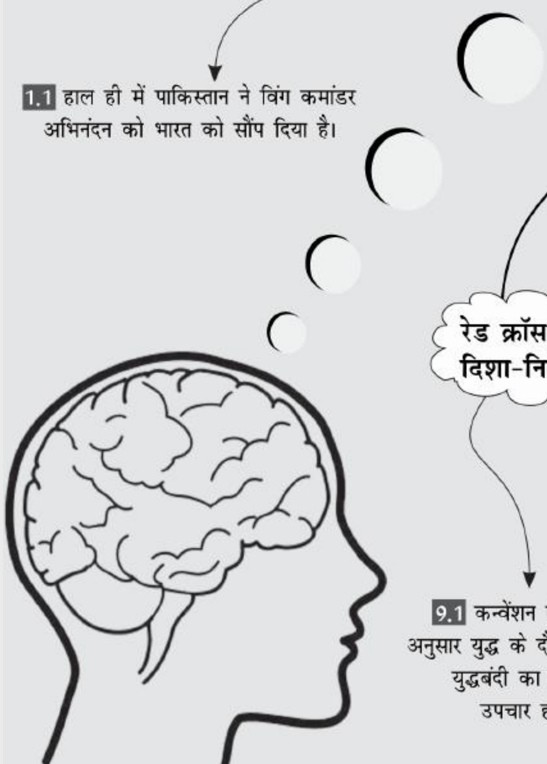

आईईए बायो-एनर्जी टीसीपी

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में, केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को आईईए बायो-एनर्जी टीसीपी का 25वाँ सदस्य बनने के लिए मंज़ूरी प्रदान की गई है ।

आईईए बायो-एनर्जी टीसीपी

2.1 बायो-एनर्जी (आईईए बायो-एनर्जी टीसीपी) संबंधी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी सहयोग कार्यक्रम विभिन्न देशों के बीच सहयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है।

2.2 इसका मुख्य कार्य बायो-एनर्जी अनुसंधान और विकास में राष्ट्रीय कार्यक्रमों वाले देशों के बीच सहयोग तथा सूचनाओं के आदान-प्रदान में सुधार करना है।

2.3 आईईए बायो-एनर्जी टीसीपी, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) के दायरे में काम करता है, जिसमें 30 मार्च, 2017 से भारत की स्थिति 'सम्बद्ध' की रही है।

अन्य सदस्य देश

3.1 अन्य सदस्यों में ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, ब्राज़ील, कनाडा, क्रोएशिया, डेनमार्क, एस्तोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, दक्षिण अफ्रीका, स्वीडन, स्विटजरलैंड, इंग्लैंड, अमरीका और यूरोपीय संघ शामिल हैं।

प्रमुख उद्देश्य

4.1 पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा आईईए बायो-एनर्जी टीसीपी में शामिल होने का प्रमुख उद्देश्य उन्नत बायो ईंधन के विपणन को सुविधा देना है, ताकि उत्सर्जन में कमी लाई जा सके और कच्चे तेल के आयात में कटौती हो सके।

4.2 आईईए बायो-एनर्जी टीसीपी बायो एनर्जी अनुसंधान, प्रौद्योगिकी विकास, प्रदर्शन और नीति-विश्लेषण में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सूचनाओं के आदान-प्रदान का मंच भी प्रदान करता है।

4.3 इस संबंध में बायो-एनर्जी प्रौद्योगिकियों के अल्प और दीर्घकालिक तैनाती के लिए पर्यावरण, संस्थागत, प्रौद्योगिकीय, सामाजिक और बाजार बाधाओं को दूर करने पर ध्यान दिया जाता है।

प्रमुख कार्य

5.1 आईईए बायो-एनर्जी टीसीपी में अनुसंधान एवं विकास कार्य सुपरिभाषित 3 वर्ष की अवधि के भीतर किया जाता है तथा इन कार्यक्रमों को 'नियत कार्य' कहा जाता है।

5.2 हर वर्ष इन नियत कार्यों की जाँच और मूल्यांकन किया जाता है तथा हर तीन वर्षों के दौरान नियत कार्य के विषय को दुरुस्त किया जाता है तथा नए नियत कार्य शुरू किये जाते हैं।

5.3 पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय जिन नियत कार्यों में भाग लेता है, उनमें सार्वजनिक क्षेत्र की तेल एवं विपणन कंपनियों के तकनीकी व्यक्ति भी योगदान देते हैं।

सदस्यता का लाभ

6.1 बायो-एनर्जी वैश्विक ऊर्जा की माँग को पूरा करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है।

6.2 उत्कृष्ट व्यवहारों, अनुसंधानकर्त्ताओं के नेटवर्क और व्यावहारिक कार्यान्वयन के साथ अनुसंधान के जुड़ाव संबंधी सूचनाओं का आदान-प्रदान भी होता है।

6.3 अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की संलिप्तता से मंत्रालय को बायो ईंधन सेक्टर में विश्व भर में होने वाले विकासों की जानकारी मिलती है।

6.4 इसके कारण नवाचार कर्त्ताओं/ अनुसंधानकर्त्ताओं के साथ व्यक्तिगत बातचीत का अवसर मिलता है तथा उचित नीति ईको प्रणाली तैयार करने में मदद मिलती है।

6.5 इसके अलावा आईईए बायो-एनर्जी टीसीपी का सदस्य बनने से भारत अन्य संबंधित नियत कार्यों में हिस्सा ले सकता है, जिनका संबंध बायो गैस, ठोस कचरा प्रबंधन, बायो परिशोधन इत्यादि से हैं।

राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर उत्पाद नीति

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर उत्पाद नीति को मंजूरी प्रदान की है।

उद्देश्य

2.1 इस नीति का उद्देश्य देश को सॉफ्टवेयर उत्पाद विकास का प्रमुख केंद्र बनाना है। केंद्र सरकार के अनुसार इससे वर्ष 2025 तक 65 लाख नौकरियों का सृजन होगा।

2.2 अधिकतर सॉफ्टवेयर उत्पाद आयात किए जाते हैं। यही वजह है कि सॉफ्टवेयर उत्पाद नीति को 2025 तक देश को सॉफ्टवेयर उत्पाद क्षेत्र में एक बड़ा केंद्र बनाने का लक्ष्य लेकर तैयार किया गया है।

वर्तमान परिदृश्य

3.1 भारत में सॉफ्टवेयर उत्पाद उद्योग अभी भी अपने प्रारंभिक अवस्था में है।

3.2 भारत का सूचना प्रौद्योगिकी कारोबार 168 अरब डॉलर का है। इसमें अधिकतर हिस्सेदारी सेवाओं की है, जबकि इसमें सॉफ्टवेयर उत्पादों का हिस्सा कम है। यह मात्र 7.1 अरब डॉलर है।

लक्ष्य

4.1 इस नीति के अंदर जिस रूपरेखा की परिकल्पना की गई है, उससे देश में सॉफ्टवेयर उत्पाद क्षेत्र के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं, पहलों, परियोजनाओं और तौर-तरीकों के सूत्रीकरण की राह बनेगी।

पाँच मिशन

5.1 बौद्धिक संपदा (आईपी) से संचालित होने वाले एक स्थायी भारतीय सॉफ्टवेयर उत्पाद उद्योग के निर्माण को प्रोत्साहित करना जिससे 2025 तक वैश्विक सॉफ्टवेयर उत्पाद बाजार में भारत की हिस्सेदारी में दस गुना बढ़ोतरी तक पहुँचा जा सके।

5.2 सॉफ्टवेयर उत्पाद उद्योग में 10,000 प्रौद्योगिकी स्टार्टअप को पोषित करना जिसमें टीयर-2 और टीयर-3 नगरों व शहरों में ऐसे 1000 प्रौद्योगिकी स्टार्टअप भी शामिल हैं और 2025 तक सीधे या अप्रत्यक्ष तौर पर 35 लाख लोगों के लिए रोजगार निर्मित करना।

5.3 सॉफ्टवेयर उत्पाद उद्योग के लिए एक प्रतिभा समूह का निर्माण करना। इसके लिए ये किया जाएगा - (क) 1,000,000 सूचना प्रौद्योगिकी पेशेवरों को अतिरिक्त कुशलताओं से सुसज्जित करना (ख) 100,000 स्कूल और कॉलेज विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना, और (ग) 10,000 विशेषीकृत पेशेवरों का निर्माण करना जो नेतृत्व प्रदान कर सकें।

5.4 एकीकृत आईसीटी आधारभूत ढाँचे, मार्केटिंग, इनक्यूबेशन, अनुसंधान व विकास/परीक्षण मंच और परामर्श सहयोग वाले 20 क्षेत्रवार व रणनीतिक रूप से स्थित सॉफ्टवेयर उत्पाद विकास क्लस्टर विकसित करते हुए एक क्लस्टर आधारित नवाचार संचालित पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना।

5.5 इस नीति की योजना और कार्यक्रमों पर निगरानी रखने और उन्हें विकसित करने की दिशा में राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर उत्पाद मिशन की स्थापना की जाएगी जिसमें सरकार, शिक्षा समुदाय और उद्योग की भागीदारी होगी।

सरकारी प्रयास

6.1 सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 'मेड इन इंडिया' सॉफ्टवेयर को बढ़ावा देना चाहती है।

6.2 अंतर्राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर बाजार फल-फूल रहा है और सरकार चाहती है कि भारतीय कंपनियों के पास ऐसे अवसर हों जिससे वे तरक्की कर सकें।

6.3 सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर सेवाओं के विकास के साथ-साथ सूचना प्रौद्योगिकी योग्य सेवाओं/जैव-प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन देना।

6.4 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (एस.टी.पी.आई.) सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन सोसाइटी है जिसकी स्थापना भारत से सॉफ्टवेयर के निर्यात को प्रोत्साहित करने, बढ़ावा देने और वृद्धि करने के उद्देश्य से 1991 में की गई थी।

भारतीय सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क

7.1 भारतीय सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क अथवा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया परामर्शी, प्रशिक्षण और कार्यान्वयन सेवाएं प्रदान करने के लिए आंतरिक इंजीनियरिंग संसाधन रखता है।

7.2 इन सेवाओं में नेटवर्क डिजाइन, प्रणाली एकीकरण, विविध क्षेत्रों में अप्रयुक्त नेटवर्क और सुविधाओं के संस्थापन, प्रचालन और उनका अनुरक्षण शामिल हैं।

आधार अध्यादेश

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आधार अध्यादेश को मंजूरी दे दी है।

1.2 केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आधार एक्ट 2016, पीएमएलए 2005 तथा इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 में संशोधन करने को लेकर अध्यादेश जारी करने की मंजूरी दे दी है। प्रस्तावित संशोधन वही हैं, जिसे लोकसभा ने 4 जनवरी, 2019 को पारित विधेयक में शामिल किया था।

पृष्ठभूमि

2.1 ज्ञातव्य है कि सुप्रीम कोर्ट ने 26 सितम्बर, 2018 को अपने फैसले में आधार कानून के कुछ प्रावधानों को निरस्त कर दिया था, जिससे लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की जा सके और उनकी निजता को बरकरार रखा जा सके।

2.2 सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों एवं डाटा सुरक्षा पर न्यायमूर्ति बी एन श्रीकृष्णा (सेवानिवृत्त) की रिपोर्ट के अनुसार आधार अधिनियम, भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम और काला धन शोधन अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव रखा गया।

मुख्य प्रावधान

3.1 विधेयक के उद्देश्यों एवं कारणों में कहा गया है कि आधार अधिनियम 2016 भारत में निवास करने वाले व्यक्तियों को सुशासन, विशिष्ट पहचान संख्या अनुदेशित करके ऐसी सुविधाओं और सेवाओं के कुशल, पारदर्शी और लक्षित परिदान के लिए तथा उससे संबंधित एवं अनुषांगिक विषयों का उपबंध करने के लिए लाया गया था।

3.2 आधार के इस्तेमाल के नियमों का उल्लंघन करने और निजता का उल्लंघन करने पर इस अध्यादेश में भारी-भरकम जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

3.3 टेलीग्राफ एक्ट तथा पीएमएलए के नियमों के तहत स्वेच्छा के आधार पर आधार का इस्तेमाल केवाईसी के लिए किया जा सकता है। आधार का इस्तेमाल करने वाली किसी भी इकाई को निजता के दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा।

3.4 अधिप्रमाणन या ऑफलाइन सत्यापन या किसी अन्य ढंग से भौतिक या इलेक्ट्रानिक रूप में आधार संख्या के स्वैच्छिक उपयोग के लिए उपबंध करना, आधार संख्या के ऑफलाइन सत्यापन का अधिप्रमाणन केवल आधार संख्या धारक की सूचित सहमति से किया जा सकता है।

3.5 अध्यादेश में यह स्पष्ट किया गया है कि आधार कार्ड न देने पर किसी को भी किसी तरह की योजना से वंचित नहीं किया जा सकता, चाहे बैंक खाता खुलवाना हो या मोबाइल फोन का सिम खरीदना हो।

3.6 निजी संस्थाओं द्वारा आधार के उपयोग से संबंधित आधार अधिनियम की धारा 57 के विलोपन का प्रस्ताव रखता है।

3.7 यूनिक आइडेंटीफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया फंड की स्थापना के लिए प्रावधान करता है।

प्रभाव

4.1 ये संशोधन यूआईडीएआई को जनहित की सेवा करने एवं आधार के दुरुपयोग को सीमित करने के लिए अधिक मजबूत तंत्र की स्थापना करने में सक्षम बनायेंगे।

4.2 इस संशोधन के बाद किसी भी व्यक्ति को अपनी पहचान स्थापित करने के प्रयोजन से सत्यापन की प्रक्रिया के लिए आधार संख्या रखने का प्रमाण उपलब्ध कराने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, जब तक कि संसद द्वारा बनाये गए किसी कानून द्वारा ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया जाता।

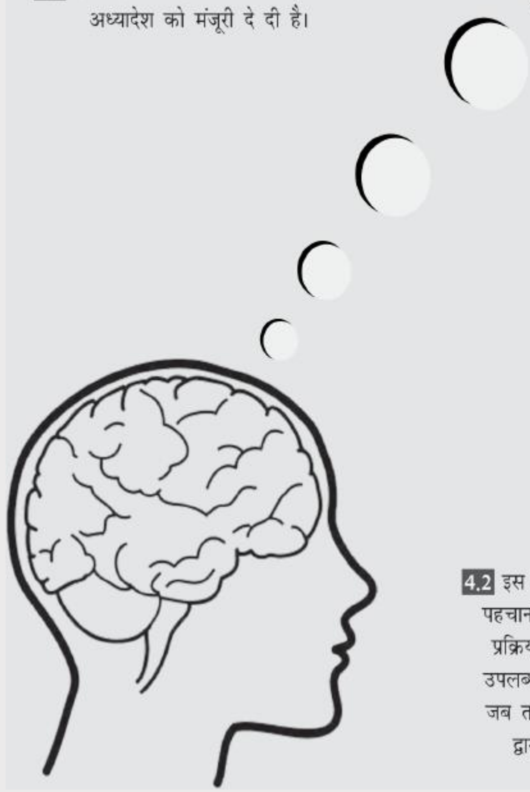

सात वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा उनके व्याख्या सहित उत्तर
(ब्रेन बूस्टर्स पर आधारित)

1. एंटी–माइक्रोबियल प्रतिरोध

प्र. एंटी-माइक्रोबियल प्रतिरोध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. रोगाणुरोधी प्रतिरोध तब होता है जब सूक्ष्मजीवी आनुवंशिक परिवर्तनों के कारण उन दवाओं से प्रतिरोधी हो जाते हैं जिनसे वे पहले प्रभावित होते थे।
2. विश्व के देशों ने 2020 तक 17 सतत् विकास लक्ष्यों को पूरा करने का वादा किया है जिसमें टी.बी. उन्मूलन शामिल नहीं है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तरः (a)

व्याख्याः विश्व के 193 देशों ने 2030 तक 17 सतत् विकास लक्ष्यों को पूरा करने का वादा किया है जिसमें टी.बी. उन्मूलन भी शामिल है। एंटी-माइक्रोबियल प्रतिरोध कतिपय कारणों से उत्पन्न हो जाती है, जैसे- मानव, पशु और कृषि क्षेत्र में दवाओं का अतिप्रयोग या दुरुपयोग। इस प्रकार कथन 1 सही है। ■

2. प्रधानमंत्री जी–वन योजना

प्र. प्रधानमंत्री जी-वन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. भारत सरकार ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम 2003 में लागू किया था।
2. इस योजना के तहत ऐसी एकीकृत बायो-इथेनॉल परियोजनाओं को, जो लिग्नोसेल्यूलॉजिक बायोमास और अन्य नवीकरणीय फीडस्टॉक का इस्तेमाल करती हैं, के लिए वित्तीय मदद का प्रावधान है।
3. इस योजना को लागू करने का अधिकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सौंपा गया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) केवल 1 और 2 (d) केवल 3

उत्तरः (c)

व्याख्याः भारत सरकार ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम को 2003 में लागू किया था। इसके जरिये पेट्रोल में इथेनॉल का मिश्रण कर पर्यावरण को जीवाश्म ईंधनों के इस्तेमाल से होने वाले नुकसान से बचाना तथा कच्चे तेल के आयात को कम कर विदेशी मुद्रा बचाना है। इस योजना को लागू करने का अधिकार पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत काम करने वाली एक तकनीकी इकाई सेंटर फॉर हाई टेक्नोलॉजी को सौंपा गया है। इस प्रकार कथन 3 गलत है, जबकि अन्य कथन सही हैं। ■

3. राष्ट्रीय खनिज नीति, 2019

प्र. राष्ट्रीय खनिज नीति, 2019 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. इसका उद्देश्य निजी निवेश को आकर्षित करना है और इसके लिए प्रोत्साहन देने की भी व्यवस्था की गई है।
2. इससे खनिज की गतिविधियों में स्थिरता आएगी और बड़े पैमाने पर होने वाली वाणिज्यिक खनिज गतिविधियों में निवेश आकर्षित होगा।
3. खनिजों के विनियमन के लिए ई-प्रशासन, आईटी सक्षम प्रणाली आदि को शामिल नहीं किया गया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही नहीं है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) केवल 1 व 2 (d) केवल 3

उत्तरः (d)

व्याख्याः राष्ट्रीय खनिज नीति, 2019 का उद्देश्य प्रभावी, अर्थपूर्ण और कार्यान्वयन-योग्य नीति का निर्माण करना है जो बेहतर पारदर्शिता, नियमन और कार्यान्वयन, संतुलित सामाजिक व आर्थिक विकास के साथ-साथ दीर्घावधि खनन अभ्यासों को समर्थन प्रदान करती है। खनिजों के विनियमन के लिए ई-प्रशासन, आई.टी. सक्षम प्रणाली, जागरूकता तथा सूचना अभियान आदि को शामिल किया गया है। इस प्रकार कथन 3 गलत है, जबकि अन्य कथन सही हैं। ■

4. जिनेवा कन्वेंशन

प्र. जिनेवा कन्वेंशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. जिनेवा कन्वेंशन और उसके प्रोटोकाल का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवीय मूल्यों की रक्षा करना है।
2. इस कन्वेंशन के अनुच्छेद 3 के अनुसार युद्ध के दौरान घायल होने वाले युद्धबंदी का अच्छे तरीके से उपचार होना चाहिए।
3. 1949 में संपन्न जिनेवा कन्वेंशन तत्काल प्रभाव से लागू हो गया था।
4. इस कन्वेंशन में युद्धबंदियों की कैद की स्थितियों और स्थानों को परिभाषित नहीं किया गया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/ हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 1 व 2

(c) केवल 3 (d) केवल 1, 3 व 4

उत्तर: (b)

व्याख्या: युद्ध के दौरान युद्धबंदियों, अन्य कामों में लगे लोगों विशेषकर नागरिकों, स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं और बीमार लोगों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए जिनेवा कन्वेंशन की शुरूआत हुई। 1949 में सम्पन्न जिनेवा कन्वेंशन 21 अक्टूबर, 1950 से लागू हो गया है। इस कन्वेंशन में कैद की स्थितियों और स्थानों को अधिक सटीक रूप से परिभाषित किया गया है। इस प्रकार कथन 1 व 2 सही हैं जबकि अन्य कथन गलत हैं। ■

5. आईईए बायो–एनर्जी टीसीपी

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. आईईए बायो-एनर्जी टीसीपी, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के दायरे में काम करता है।
2. आईईए बायो-एनर्जी टीसीपी बायो-एनर्जी अनुसंधान, प्रौद्योगिकी विकास, प्रदर्शन और नीति-विश्लेषण में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सूचनाओं के आदान-प्रदान का मंच भी प्रदान करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (c)

व्याख्या: आईईए बायो-एनर्जी टीसीपी, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) के दायरे में काम करता है, जिसमें 30 मार्च, 2017 से भारत की स्थिति 'सम्बद्ध' की रही है। इसका मुख्य कार्य बायो-एनर्जी अनुसंधान और विकास में राष्ट्रीय कार्यक्रमों वाले देशों के बीच सहयोग तथा सूचनाओं के आदान-प्रदान में सुधार करना है। ■

6. राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर उत्पाद नीति

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. भारत में सॉफ्टवेयर उत्पाद उद्योग अभी भी अपने प्रारंभिक अवस्था में है।
2. राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर उत्पाद नीति का उद्देश्य भारत को सॉफ्टवेयर उत्पाद विकास का प्रमुख केंद्र बनाना है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (c)

व्याख्या: हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर उत्पाद नीति को मंजूरी प्रदान की है। इस नीति का उद्देश्य देश को सॉफ्टवेयर उत्पाद विकास का प्रमुख केंद्र बनाना है। केंद्र सरकार के अनुसार इससे वर्ष 2025 तक 65 लाख नौकरियों का सृजन होगा। ■

7. आधार अध्यादेश

प्र. आधार अध्यादेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. इस अध्यादेश के आने के बाद कोई व्यक्ति जिसके पास आधार नहीं है, उसे किसी भी योजना से वंचित किया जा सकेगा।
2. आधार के इस्तेमाल के नियमों का उल्लंघन करने और निजता का उल्लंघन करने पर इस अध्यादेश में भारी-भरकम जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 व 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (b)

व्याख्या: आधार अध्यादेश में स्पष्ट किया गया है कि आधार कार्ड ने देने पर किसी को भी किसी तरह की योजना से वंचित नहीं किया जा सकता, चाहे बैंक खाता खुलवाना हो या मोबाइल फोन का सिम खरीदना हो। इसके अतिरिक्त आधार के इस्तेमाल के नियमों का उल्लंघन करने और निजता का उल्लंघन करने पर इस अध्यादेश में भारी-भरकम जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार कथन 1 गलत है जबकि कथन 2 सही है। ■

सात महत्वपूर्ण तथ्य

1. हाल ही में किस शहर में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का अनावरण किया गया?

-नई दिल्ली

2. हाल ही में किस राज्य ने सरकारी कर्मचारियों के अभिभावकों के लिए 'प्रणाम' आयोग की घोषणा की है?

-असम

3. हाल ही में किस राज्य को नया रेलवे जोन मिला है?

-आंध्र प्रदेश

4. हाल ही में किस अभिनेत्री को स्वस्थ इम्युनाइज्ड इंडिया कैम्पेन का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है?

-करीना कपूर खान

5. हाल ही में चौथा वैश्विक डिजिटल स्वास्थ्य भागीदारी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ?

-भारत

6. हाल ही में किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया?

-21 फरवरी

7. हाल ही में भारत ने किस व्यक्ति को खाद्य एवं कृषि संगठन के नए महानिदेशक के पद के लिए नामित किया है?

-रमेश चंद

सात महत्वपूर्ण बिंदु : साभार पीआईबी

1. वन नेशन, वन कार्ड

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेश निर्मित नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) का शुभारंभ किया है। लोगों को देश भर में मेट्रो सेवाओं और टोल टैक्स समेत कई तरह के परिवहन शुल्क का भुगतान करने में सक्षम बनाने के लिए यह सेवा आरंभ की गई है।

विशेषताएँ

- इस कार्ड का इस्तेमाल मेट्रो, बस, उप नगरीय रेलवे, टोल, पार्किंग और खुदरा दुकानों में भी किया जा सकेगा।
- पीओएस मशीन पर स्वाइप करने के साथ ही मेट्रो स्टेशनों पर मौजूद एएफसी गेट पर इस्तेमाल किया जा सकता है।
- इस नई पहल को ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन गेट स्वागत ने डेवलप किया है, जहाँ एक ओपन लूप ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम स्वीकार का इस्तेमाल किया गया है।
- यूजर्स इस दौरान इस कार्ड की मदद से एटीएम पर 5 प्रतिशत और दूसरे आउटलेट्स पर 10 प्रतिशत तक का कैशबैक पा सकते हैं।
- वन नेशन वन कार्ड बिलकुल रुपे, डेबिट या क्रेडिट कार्ड की तरह ही है जिसे आपका बैंक ही जारी करता है।
- रुपे वन नेशन कार्ड रेगुलर डेबिट और क्रेडिट कार्ड की तरह कांटैक्टलेस कार्ड होता है जो ठीक मेट्रो रेल स्मार्ट कार्ड की तरह ही है।
- रुपे कांटैक्टलेस कार्ड नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड सपोर्ट के तहत आएगा। ये कार्ड 25 से ज्यादा बैंकों में उपलब्ध होगा जिसमें एसबीआई और पीएनबी सहित कई बड़े बैंक शामिल हैं।
- वन नेशन वन कार्ड को पेटीएम पेमेंट्स बैंक से भी जारी किया जाएगा।
- वर्तमान में सिंगापुर, लंदन, पेरिस, सिडनी, पर्थ, मेलबर्न जैसे शहरों में इस तरह के कार्ड का इस्तेमाल हो रहा है।

लाभ

- यह कार्ड रुपे भुगतान प्रणाली से संचालित है और इससे यात्रा में भुगतान संबंधी सभी दिक्कतें खत्म हो जायेंगी।
- मेट्रो, बस, ट्रेन या टोल और पार्किंग शुल्क देने के लिए नकद में भुगतान करने के लिए कैश की आवश्यकता नहीं होगी। एक ही कार्ड से सभी भुगतान किये जा सकते हैं।
- इन सभी सेवाओं के लिए कार्ड के रूप में एक स्वचालित किराया संग्रह प्रणाली लायी गई है। आवास व शहरी विकास मंत्रालय, सीडैक व भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के सहयोग से ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम बनाया गया है जिसके चलते इसका उपयोग सुरक्षित सुनिश्चित किया गया है।

2. दिव्यांगजन खेल-कूद केंद्र

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दिव्यांगजन खेल-कूद केंद्र स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसका नाम दिव्यांगजन खेल-कूद केंद्र, ग्वालियर होगा। इस केन्द्र में खेलकूद की बेहतर बुनियादी सुविधाएँ होंगी और इसमें दिव्यांग व्यक्तियों की खेल गतिविधियों में भागीदारी सुनिश्चित होगी।

पृष्ठभूमि

- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 30 के तहत सरकार ने खेलों में दिव्यांगजनों की प्रभावी प्रतिभागिता सुनिश्चित करने का विधान किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ उनके खेल-कूद के लिए ढाँचागत सुविधाओं के प्रावधान शामिल हैं।
- वित्त मंत्री ने वर्ष 2014-15 के अपने बजट भाषण में दिव्यांगजन खेल केंद्र की स्थापना की घोषणा की थी। वर्तमान में देश में दिव्यांगजन के लिए विशिष्ट खेल प्रशिक्षण सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं।
- प्रस्तावित केंद्र की स्थापना से इस कमी को पूरा किया जाएगा। इस केंद्र में दिव्यांगजन सही और विशिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे।

विवरण

- इस केंद्र के प्रबंधन और देख-रेख के लिए एक प्रबंध निकाय होगी, जिसके सदस्य 12 से अधिक नहीं होंगे।
- इनमें से कुछ पदेन सदस्य के तौर पर कार्य करेंगे। इनके अलावा राष्ट्रीय स्तर के स्पोर्ट्स फेडरेशन के विशेषज्ञ और पैरा गेम्स के विशेषज्ञ भी सदस्य होंगे।

प्रभाव

- इस केंद्र द्वारा खेल-कूद के लिए बेहतर बुनियादी ढाँचा तैयार किए जाने से विभिन्न खेलों में दिव्यांगजनों की प्रभावी प्रतिभागिता सुनिश्चित होगी और वे राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्द्धा के लिए अधिक सक्षम होंगे।
- इस केंद्र की स्थापना से दिव्यांगजनों के मन में सहजता से समाज की मुख्यधारा से जुड़ने की भावना पैदा होगी।

3. जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन अध्यादेश, 2019

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू-कश्मीर आरक्षण संशोधन अध्यादेश, 2019 को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके जरिये अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास रहने वाले लोगों को भी आरक्षण का लाभ वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास रहने वाले लोगों की तरह की प्राप्त हो सकेगा।

पृष्ठभूमि

- संविधान (77वाँ संशोधन) अधिनियम, 1995 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 की धारा 4 में उप-धारा (4A) को जोड़कर लागू किया गया। धारा (4A) में सेवा में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों जिसमें गुर्जर और बकरवाल भी शामिल हैं, को पदोन्नति का लाभ देने का प्रावधान है।
- इससे पहले, जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण रेखा से केवल 6 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले युवाओं के लिये 3% आरक्षण का प्रावधान था। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास रहने वाली आबादी द्वारा लंबे समय से सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मांग की जाती रही रही है, क्योंकि उन्हें जम्मू-कश्मीर में सीमा पार से होने वाली गोलीबारी का सामना करना पड़ता है।

विवरण

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संविधान (जम्मू-कश्मीर में लागू होने के लिए) संशोधन आदेश, 2019 के माध्यम से संविधान (जम्मू-कश्मीर में लागू होने के लिए) आदेश, 1954 में संशोधन के संबंध में जम्मू-कश्मीर सरकार के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दी है।
- राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 370 की धारा (1) के अंतर्गत संविधान (जम्मू-कश्मीर में लागू) संशोधन आदेश, 2019 जारी किये जाने के बाद संविधान (77वाँ संशोधन) अधिनियम, 1995 तथा संविधान (103वाँ संशोधन) अधिनियम, 2019 के माध्यम से भारतीय संविधान के संशोधित तथा प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे।

लाभ

- अधिसूचित होने पर यह आदेश सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों को पदोन्नति में लाभ का मार्ग प्रशस्त करेगा और जम्मू-कश्मीर में सरकारी रोजगार में वर्तमान आरक्षण के अतिरिक्त आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10 प्रतिशत तक आरक्षण का लाभ प्रदान करेगा।

4. फेम इंडिया के दूसरे चरण को मंजूरी

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेन्द्री मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण और उनके तेजी से इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए फेम इंडिया योजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। यह योजना 01 अप्रैल, 2019 से तीन वर्षों के लिए शुरू की जाएगी। यह योजना मौजूदा 'फेम इंडिया वन' का विस्तारित संस्करण है। 'फेम इंडिया वन' योजना 01 अप्रैल, 2015 को लागू की गई थी।

फेम इंडिया-II का उद्देश्य

- इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों के तेजी से इस्तेमाल को बढ़ावा देना है।
- इसके लिए लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद में शुरूआती स्तर पर प्रोत्साहन राशि देने तथा ऐसे वाहनों की चार्जिंग के लिए पर्याप्त आधारभूत ढाँचा विकसित करना है।
- यह योजना पर्यावरण प्रदूषण और ईंधन सुरक्षा जैसी समस्याओं का समाधान करेगी।

फेम इंडिया योजना का विवरण

- बिजली से चलने वाली सार्वजनिक परिवहन सेवाओं पर जोर देना।
- इलेक्ट्रिक बसों के संचालन पर होने वाले खर्चों के लिए मांग आधारित प्रोत्साहन राशि मॉडल अपनाना, ऐसे खर्च राज्य और शहरी परिवहन निगमों द्वारा दिया जाना।
- नवीन प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन राशि का लाभ केवल उन्हीं वाहनों को दिया जाएगा, जिनमें अत्याधुनिक लिथियम ऑयन या ऐसी ही अन्य नई तकनीक वाली बैट्रियाँ लगाई गई हों।
- योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग के लिए पर्याप्त

आधारभूत ढाँचा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। इसके तहत महानगरों, 10 लाख से ज्यादा की आबादी वाले शहरों, स्मार्ट शहरों, छोटे शहरों और पर्वतीय राज्यों के शहरों में तीन किलोमीटर के अंतराल में 2700 चार्जिंग स्टेशन बनाने का प्रस्ताव है।

- ऐसे राजमार्गों पर 25 किलोमीटर के अंतराल पर दोनों तरफ भी ऐसे चार्जिंग स्टेशन लगाने की योजना है।

5. पोषण अभियान

हाल ही में महिला और बाल विकास मंत्रालय ने घोषणा की है कि सरकार 8 मार्च से 22 मार्च, 2019 तक पोषण अभियान के पहली वर्षगाँठ मनाने के लिए देश भर में पोषण पखवाड़े पर आयोजन करेगी।

प्रमुख विवरण

- महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रमुख गतिविधियों की जानकारी दी है। उन गतिविधियों में पोषण मेला, सभी स्तरों पर पोषाहार रैली, प्रभात फेरी, स्कूलों में पोषाहार पर सत्र आयोजन स्वयं सहायता समूहों की बैठकें, एनीमिया शिविर, बाल विकास निगरानी, आशा द्वारा नवजात हजार शिशुओं के घर जाना, ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वच्छता तथा पोषाहार दिवस शामिल हैं।
- पोषण पखवाड़े के दौरान मास मीडिया तथा सोशल मीडिया के माध्यम से गतिविधियाँ चलाई जायेंगी।
- पोषण पखवाड़े के दौरान शहरी क्षेत्र में पोषाहार पर जागरूकता फैलाई जायेगी। पखवाड़े के दौरा 15 मार्च, 2019 को कृषि पोषाहार पर कार्यशाला भी आयोजित की जायेगी।
- बहुक्षेत्रीय दिशा-निर्देश 12 मूल विषयों को कवर करते हैं, जिनका उपयोग जमीनी स्तर पर विभिन्न मंचों को सक्रिय बनाने में किया जायेगा।
- पोषण पखवाड़े के दौरान विभिन्न गतिविधियों को चलाने के लिए सभी संबंधित मंत्रालय/विभाग तथा राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेश महत्वपूर्ण भूमिका निभायेंगे। निचले स्तर तक राज्य/केन्द्रशासित प्रदेशों के संबंधित विभागों को शामिल करके सभी मंत्रालयों विभागों द्वारा गतिविधियाँ चलाई जायेंगी।

6. युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम

हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने इस वर्ष से स्कूली बच्चों के लिए "युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम" (युविका) नामक एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य मुख्य रूप से अंतरिक्ष कार्यकलापों के उभरते क्षेत्रों में अपनी रुचि जगाने के इरादे से युवाओं को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष विज्ञान और अंतरिक्ष अनुप्रयोगों पर बुनियादी ज्ञान प्रदान करना है।

युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम के मुख्य बिंदु

- आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम गर्मियों की छुट्टियों के दौरान लगभग दो सप्ताह की अवधि का होगा और प्रत्येक वर्ष इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रत्येक राज्य/केंद्रशासित प्रदेश से 3 छात्रों का चयन करना प्रस्तावित है, जो सीबीएसई, आईसीएसई और राज्य पाठ्यक्रम को कवर करते हैं।
- जो छात्र 8 वीं कक्षा पूरी कर चुके हैं और वर्तमान में 9 वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, वे कार्यक्रम के लिए पात्र होंगे।
- इसरो ने त्रिपुरा में इनक्यूबेशन केंद्र विकसित किया है। ऐसे ही चार और केन्द्रों को त्रिची, नागपुर, राउरकेला और इंदौर में विकसित किया जाएगा।

7. स्मार्ट फेंसिंग

हाल ही में गृह मंत्रालय ने जानकारी दी है कि असम में भारत-बांग्लादेश सीमा के तटवर्ती क्षेत्र की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी शुरू हो गयी है। इस क्षेत्र में काँटेदार तार की बाड़ नहीं लगी है।

उद्देश्य

- इस निगरानी का लक्ष्य घुसपैठियों पर लगाम कसना तथा हथियारों, विस्फोटकों, मादक पदार्थों और मवेशियों की तस्करी को रोकना है।
- असम के धुबरी जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 61 किलोमीटर लंबे जलीय क्षेत्र में 'स्मार्ट फेंसिंग' काम करना शुरू कर दिया गया है। ज्ञातव्य है कि इसी इलाके से ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है।
- इस परियोजना में भारत-बांग्लादेश सीमा के उस क्षेत्र पर नजर रखी जाएगी, जहां बालू के द्वीप और बहुत सारी नदी जलधाराएँ हैं, जो इस इलाके में विशेषकर बारिश के मौसम में सुरक्षा के काम को बहुत मुश्किल बना देती है।
- जनवरी 2018 में बीएसएफ की सूचना एवं प्रौद्योगिकी शाखा ने बॉर्डर इलेक्ट्रॉनिकल डॉमिनेटिड क्यूआरटी इंटरसेप्शन टेक्नीक (बोल्ड-क्यूआइटी) परियोजना पर काम करना शुरू किया था।

सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु)

1. प्राक्कलन समिति की भूमिका की विवेचना कीजिए।

2. स्थानीय स्वशासन को परिभाषित करते हुए पंचायत राज प्रणाली के महत्त्व पर प्रकाश डालिए।

3. निजता के अधिकार पर उच्चतम न्यायालय के नवीनतम निर्णय के आलोक में, मौलिक अधिकारों के विस्तार का परीक्षण कीजिए।

4. भारत में स्टेम कोशिका चिकित्सा लोकप्रिय होती जा रही है। संक्षेप में वर्णन कीजिए कि स्टेम कोशिका उपचार क्या होता है और अन्य उपचारों की तुलना में इसके क्या लाभ हैं?

5. नदी जोड़ो परियोजना से होने वाले लाभों एवं पर्यावरण पर इसके संभावित प्रभावों पर चर्चा कीजिए।

6. कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व कंपनियों को अधिक लाभदायक तथा चिरस्थायी बनाता है। विश्लेषण कीजिए।

7. वर्तमान संदर्भ में हिन्द महासागर का भू-राजनीतिक महत्त्व बहुत बढ़ गया है। टिप्पणी कीजिए।

ध्येय IAS®
most trusted since 2003

AN INTRODUCTION

Dhyeya IAS, a decade old institution, was founded by Mr. Vinay Singh and Mr. Q.H. Khan. Ever since its emergence it has unparallel track record of success. Today, it stands tall among the reputed institutes providing coaching for Civil Services Examination (CSE). The institute has been very successful in making potential realize their dreams which is evidents from success stories of the previous years.

Quite a large number of students desirous of building a career fro themselves are absolutely less equipped for the fairly tough competitive tests they have to appear in. Several others, who have a brilliant academic career, do not know that competitive exams are vartly different from academic examination and call for a systematic and scientifically planned guidance by a team of experts. Here one single move my invariably put one ahead of many others who lag behind. Dhyeya IAS is manned with qualified & experrienced faculties besides especially designed study material that helps the students in achieving the desired goal.

Civil Services Exam requires knowledge base of specified subjects. These subjects though taught in schools and colleges are not necessarily oriented towards the exam approach. Coaching classes at Dhyeya IAS are different from classes conducted in schools and colleges with respect to their orientation. Classes are targeted towards the particular exam. classroom guidance at Dhyeya IAS is about improving the individuals capacity to focus, learn and innovate as we are comfortably aware of the fact that you can't teach a person anything you can only help him find it within himself.

DSDL Prepare yourself from distance

Distance learning Programme, DSDL, primarily caters the need for those who are unable to come to metros fro economic or family reason but have ardent desire to become a civil servant. Simultaneously, it also suits to the need of working professionals, who are unable to join regular classes due to increase in work load or places of their posting. The principal characteristic of our distance learning is that the student does not need to be present in a classroom in order to participate in the instruction. It aims to create and provide access to learning when the source of information and the learners are separated by time and distance. Realizing the difficulties faced by aspirants of distant areas, especially working candidates, in making use of the institute's classroom guidance programme, distance learning system is being provided in General Studies.The distance learning material is comprehensive, concise and examoriented in nature. Its aim is to make available almost all the relevant material on a subject at one place. Materials on all topics of General Studies have been prepared in such a way that, not even a single point will be missing. In other words, you will get all points, which are otherwise to be taken from 6-10 books available in the market / library. That means, DSDL study material is undoubtedly the most comprehensive and that will definitely give you added advantage in your Preliminary as well as Main Examination. These materials are not available in any book store or library. These materials have been prepared exclusively for the use of our students. We believe in our quality and commitment towards making these notes indispensable for any student preparing for Civil Services Examination. We adhere all pillars of Distance education.

FACE-TO-FACE CENTRES

MUKHERJEE NAGAR -
635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009, Ph: 011-47354625/26, (691)-9205274741/42

RAJENDRA NAGAR -
25B, 2nd Floor, Pusa Road, Old Rajendra Nagar, Metro Pillar Number 117, Delhi Ph: (+91)-9205274745/43

LAXMI NAGAR -
1/53, 2nd Floor, Lalita Park, Laxmi Nagar, Delhi - 110092 Ph: 011-43012556, (+91)- 9311969232

ALLAHABAD -
2nd & 3rd Floor, Shri Ram Tower, 17C, Sardar patel marg, Civil Lines, Allahabad UP- 211001 Ph: 0532-2260189, +91-8853467068

LUCKNOW -
A-12 Sector-J Aliganj, Lucknow UP-226024 Ph: 0522-4025825, +91-9506256789

GREATER NOIDA -
Plot No. 28/1A Knowledge Park III, Greater Noida, UP- 201306, Ph: +91-9205336037/38

BHUBANESWAR, ODISHA -
Oeu Tower, Third Floor KIIT Road, Patia, Bhubaneswar, Odisha - 751024, Ph: +91- 9818244644, 7656949029

LIVE STREAMING CENTRES

BIHAR -Patna- 9334100961, CHANDIGARH -8146199399, DELHI & NCR - Faridabad - 9711394350, 01294054621, HARYANA Kurukshetra- 8950728524, 8607221300, YAMUNANAGAR -9050888338, MADHYA PRADESH -Gwalior- 9098219190, JABALPUR -8982082023, 8982082030, REWA- 9926207755, 7662408099, PUNJAB -Patiala- 9041030070, RAJASTHAN -Jodhpur- 9928965998, UTRAKHAND -Haldwani-7060172525, UTTAR PRADESH -Bahraich- 7275758422, Bareilly- 9917500098, Gorakhpur- 7080847474, 7704884118, Kanpur- 7275613962, LUCKNOW (Alambagh)- 7570009004, 7570009006, LUCKNOW (Gomti Nagar)- 7570009003, 7570009005, MORADABAD- 9927622221, VARANASI - 7408098888,

FOR DETAILS, VISIT US ON
DHYEYAIAS.COM
011-49274400

TRUEWORD
Quest for Wisdom

Price ₹ 50

ध्येय IAS अब व्हाट्सएप पर
Dhyeya IAS Now on Whatsapp

ध्येय IAS के व्हाट्सएप ग्रुप से जुडने के लिए 9205336069 पर "Hi Dhyeya IAS" लिख कर मैसेज करें

आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी जुड सकते हैं

www.dhyeyaias.com
www.dhyeyaias.in

ध्येय IAS
most trusted since 2003

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400